

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
की धारा 4 के अनुसार
मैनुअल्स का संग्रह



(मैनुअल-1)

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड,
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोवाला देहरादून।
देहरादून- 248001

फोन नं० - (0135) 2532850 फैक्स नं० (0135) 2532811

मैनुअल-1



संगठन की विशिष्टियां कृत्य एवं कर्तव्य

मैनुअल – 1 से सम्बन्धित शासनादेशों की संलग्नक सूची

मैनुअल	मद विवरण/मैनुअल
मैनुअल-1	<ul style="list-style-type: none"> - बोर्ड के गठन की नियमावली के बाबत शासनादेश सं०- 169/ XV-1/2(3)/2006, पशुपालन अनुभाग-1, दिनांक 09.01.2007 - बोर्ड के गठन हेतु कार्यालय ज्ञाप सं०- 187/पशुपालन/2003, देहरादून : दिनांक 19 मई, 2003 - बोर्ड के गठन के बाबत शासनादेश सं०- 531/XV/ पशुपालन/2004-05/2004 देहरादून दिनांक : 23 नवम्बर, 2004 - जनपद स्तर पर जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति (SPCA) गठित किये जाने के बाबत शासनादेश सं०- 526/XV-1/ पशुपालन/2005, देहरादून : दिनांक 02.09.2005 - बोर्ड के सचिव पद पर श्री विजय कुमार ढौंडियाल, अपर सचिव उत्तरांचल शासन की नियुक्ति का शासनादेश सं०- 74/पी०एस०/स०प०/०5, दिनांक देहरादून : दिसम्बर 20, 2005 - पशु क्रूरता निवारण हेतु जनपद स्तर पर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किये जाने हेतु शासनादेश सं०- 340/XV/ पशुपालन/2005, देहरादून : दिनांक 26 अक्टूबर, 2005 - बोर्ड के सचिव पद पर डा० आर०पी० बहुगुणा की नियुक्ति के बाबत शासनादेश सं०- 540/XV-1/2(29)/2005, देहरादून दिनांक 02 अगस्त, 2006 - बोर्ड के सचिव पद पर डा० वी०पी० सिंह की नियुक्ति के बाबत शासनादेश सं०- 155/XV-1/2(2)/2008, देहरादून : दिनांक 11 मार्च, 08 - जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समितियों को पुनर्गठित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-340 /XV-1/2(85)/2005, दिनांक : 25 फरवरी, 2009 - बोर्ड के सचिव पद पर डा० ए०एस० धामी की नियुक्ति के बाबत शासनादेश सं०- 4374/XV-1/09/2(96)/05 टीसी, देहरादून : दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 - जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समितियों (SPCA) को पुनर्गठित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-3063 /XV-1/10/2(85)/05, दिनांक : 4 जनवरी, 2011 - डा० कमल मेहरोत्रा द्वारा उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य सचिव पदभार ग्रहण किये जाने के क्रम में कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र - डा० एस०एस० बिष्ट द्वारा उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य सचिव पदभार ग्रहण किये जाने के क्रम में कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र - डा० के०के० जोशी द्वारा उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य सचिव पदभार ग्रहण किये जाने के क्रम में कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र

1.1 संगठन की विशिष्टियां कृत्य एवं कर्तव्य

सचिव पशुपालन उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या – 169/XV – 1 2(3)/2006 के अनुरूप बोर्ड के पंजीकरण हेतु स्वीकृत नियमावली के बिन्दु 6 के अनुसार पशुओं के प्रति अनावश्यक पीड़ा एवं कष्ट के निवारण, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के कानूनी प्राविधानों में बदलती हुयी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन हेतु राय देने, पशुओं में उत्पादकता वृद्धि हेतु नयी तकनीकों के समावेश की स्वीकार्यता एवं प्रेरणा के विकास तथा पशुओं के कष्ट तथा पीड़ा में कमी लाने हेतु कार्ययोजनाओं को तैयार करने तथा क्रियान्वित करना उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड के गठन का उद्देश्य है।

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड के कृत्य एवं कर्तव्य

सचिव पशुपालन उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या – 169/XV – 1 2(3)/2006 के अनुरूप बोर्ड के पंजीकरण हेतु स्वीकृत नियमावली के बिन्दु- 7 के अनुसार बोर्ड के निम्न कृत्य एवं कर्तव्यों का हिन्दी अनुवाद निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- 7.0 पशु कल्याण कार्यों को बढ़ावा देना एवं पशु कल्याण हेतु राज्य सरकार को परामर्श देना।
- 7.1 पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए प्रवृत्त विधि का निरन्तर अध्ययन करते रहना तथा समय-समय पर ऐसी किसी विधि में किये जाने वाले संशोधनों पर शासन को परामर्श देना।
- 7.2 पशुओं के प्रति अनावश्यक पीड़ा या यातना का निवारण करने की दृष्टि से और विशेषतया जबकि उनका एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवहन किया जा रहा हो अथवा जबकि उनका प्रयोग करतब दिखाने वाले पशुओं के रूप में किया जाता है अथवा जबकि उन्हें बन्दी व्यवस्था या बन्धन में रखा जाता है, इस अधिनियम के अध्याधीन नियमों के बनाने में सरकार को परामर्श देना।
- 7.3 सरकार अथवा किसी अन्य व्यक्ति को मानकों के आधार में सुधार के विषय में मन्त्रणा देना जिसमें कर्षण (खींचने वाले) पशुओं पर पड़ने वाले भार को कम किया जा सकें।
- 7.4 ऐसी समस्त कार्यवाही करना जैसा कि बोर्ड पशु कल्याण हेतु उपयुक्त समझे यथा; शेड्स, पानी की नादें इत्यादि के निर्माण को प्रोत्साहित करने अथवा उपलब्ध कराने अथवा अन्य कार्य तथा पशुओं की दशा सुधारने के लिए पशु चिकित्सा सहायता।
- 7.5 वध-शालाओं की रूपरेखा (Design) अथवा वध-शालाओं के संधारण (Maintenance) के विषय पर अथवा वध एवं वध से पूर्व पशुओं के अनावश्यक शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा एवं यातनाहित विधि से पशुओं के हनन (Slaughter) के सम्बन्ध में सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को इस प्रयोजन से परामर्श देना कि, पशुवध यथासंभव मानवीय विधि से कराना सुनिश्चित हो सके।
- 7.6 ऐसी समस्त कार्यवाही करना जो यह सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड उपयुक्त समझे कि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जब कभी ऐसा करना आवश्यक हो, अवांछनीय पशुओं को या तो तत्काल या पीड़ा अथवा यातना से संज्ञाहीन किये जाने के पश्चात विनष्ट किया जाये।
- 7.7 आर्थिक सहायता के अनुदान द्वारा या अन्यथा पिंजरा पोल, पशुसंरक्षण गृह, पशुशरणालय, पशु-पक्षी उद्यान (Sanctuaries) इत्यादि बनाये जाने को प्रोत्साहित करना जहां पशु या पक्षी वद्ध और निरूपयोगी हो जाने की स्थिति में जब उन्हें संरक्षण की आवश्यकता हो, आश्रय पा सकें।
- 7.8 पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना दिये जाने से रोकने के प्रयोजनार्थ अथवा पशु और पक्षियों के संरक्षण हेतु स्थापित संस्थाओं एवं निकायों के साथ सहयोग करना और कार्यों का समन्वय करना।
- 7.9 किसी स्थानीय क्षेत्र में कार्य करने वाली पशु कल्याण संस्थाओं को आर्थिक तथा अन्य सहायता देना अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसी पशु कल्याण संस्थाओं के आचरण को प्रोत्साहित करना जो बोर्ड की सामान्य देखरेख और निर्देशन के अधीन कार्य करें।
- 7.10 चिकित्सकीय देखभाल तथा सावधानी सम्बन्धी मामलों में जिनकी कि व्यवस्था पशु अस्पतालों में की जा सके। सरकार को परामर्श देना तथा पशु-अस्पतालों को आर्थिक तथा अन्य सहायता देना जब कभी बोर्ड ऐसा करना आवश्यक समझे।

- 7.11 पशुओं के साथ सद्व्यवहार के सम्बन्ध में शिक्षा प्रदान करना, व्याख्यानों, पुस्तकों, प्रचारपत्रों, चलचित्र प्रदर्शन इत्यादि के माध्यम से पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना पहुंचाये जाने के विरुद्ध एवं पशु कल्याण के उत्कर्ष के लिए जनमत बनाने में प्रोत्साहन देना।
- 7.12 पशुओं के प्रजनन तथा उत्पादन हेतु स्थापित पशुफार्मों तथा पशु चिकित्सा एवं आयुर्विज्ञान संस्थाओं में पशुओं पर अनुसंधान एवं प्रयोगों में पशुओं के प्रति अनावश्यक पीड़ा या यातना का निवारण के प्रयोजन से राज्य सरकार को नियमों/प्रक्रियाओं में संशोधन हेतु परामर्श देना।
- 7.13 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 एवं इसके तहत बनाये गये नियमों की भावनाओं के अनुरूप शब्दशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार को परामर्श देना।
- 7.14 राज्य में समस्त स्थानीय क्षेत्रों में पशु कल्याण संस्थाओं की स्थापना, पशु कल्याण कार्यों में रत संस्थाओं का मार्गदर्शन एवं पशु कल्याण कार्यों का निरीक्षण करना।
- 7.15 पशुओं के प्रति अनावश्यक पीड़ा या यातना का निवारण एवं पशुओं एवं पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित पशु कल्याण समितियों/निकायों/संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना तथा इस प्रकार की समस्त संस्थाओं से सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना।
- 7.16 पशुकल्याण के क्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी संगठनों को वित्तीय अनुदान (Financial Grant) हेतु अनुमोदन करना, उनका मार्गदर्शन तथा निरीक्षण करना।
- 7.17 स्वयं के कार्यों एवं प्रसाशनिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु बोर्ड द्वारा उचित निमावलियां तैयार की जायेंगी तथा तदनुसार शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित की जायेंगी।
- 7.18 अपने कार्यों की पूर्ति हेतु बोर्ड द्वारा राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, सरकारी विभागों तथा अन्य संवैधानिक निकायों (Statutory Bodies) से उनके कार्यों से संबंधित सूचनाएँ मांगी जायेंगी तथा अपने कार्यों की परिपूर्ति हेतु राज्य में किसी भी स्थान पर भ्रमण किया जायेगा।
- 7.19 बोर्ड द्वारा पशुकल्याण एवं संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु पशुपालन विभाग के अधिकारियों को प्रस्तावित किया जायेगा।
- 7.20 मानव शिक्षा कार्यक्रम (Human Education Programme) के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा पशु कल्याण विषय पर त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जायेगा। इस कार्य हेतु बोर्ड में मानव शिक्षा हेतु स्टैंडिंग कमेटी (Standing Committee on Human Education) का गठन किया जायेगा।

1.2 संगठन का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग—

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन द्वारा राज्य में पशुओं के कल्याण एवं एवं उन पर हो रहे अत्याचार को रोकने हेतु राज्य स्तरीय उत्तरांचल पशु कल्याण बोर्ड के गठन हेतु कार्यालय ज्ञाप सं० 187/पशुपालन/ 2003 दिनांक 19 मई, 2003 के अनुसार ज्ञापित किया गया। जिसके अनुसार बोर्ड का गठन निम्नवत किया गया :-

1-	मा० मंत्री, पशुधन एवं मत्स्य, उत्तरांचल सरकार	पदेन अध्यक्ष
2-	सचिव/अपर सचिव पशुधन एवं मत्स्य, उत्तरांचल शासन	पदेन सचिव
3-	निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल	सदस्य
4-	मुख्य वन्य जीव संरक्षक, उत्तरांचल	सदस्य
5-	गौशालाओं के 10 चयनित प्रतिनिधि	सदस्य
6-	उत्तरांचल सरकार द्वारा नामित पांच पशु प्रेमी	सदस्य
7-	समाजसेवी संस्थाओं के दो सदस्य जो पशु कल्याण का कार्य कर रहे हो (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
8-	प्रमुख सचिव गृह, उत्तरांचल शासन	सदस्य
9-	निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तरांचल	सदस्य
10-	जिला पंचायत अध्यक्ष (उत्तरांचल का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य

- | | | |
|-----|--|-------|
| 11- | उत्तरांचल विधान सभा के दो मा0 विधायक | सदस्य |
| 12- | सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायिक सेवा / प्रशासनिक सेवा से जुड़े दो प्रतिनिधि (उत्तरांचल सरकार द्वारा नामित) | सदस्य |
| 13- | सचिव, न्याय, उत्तरांचल शासन | सदस्य |

कालान्तर में सचिव पशुपालन उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या – 531/XV /पशुपालन /2004-4/2004 देहरादून दिनांक 23 नवम्बर 2004 के अनुसार उत्तरांचल राज्य में पशुओं के कल्याण एवं उन पर हो रहे अत्याचार को रोकने हेतु राज्य स्तर पर उत्तरांचल पशु कल्याण बोर्ड का गठन निम्न प्रकार किया गया :-

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 1- | मा0 मंत्री, पशुधन एवं मत्स्य, उत्तरांचल सरकार | पदेन अध्यक्ष |
| 2- | राज्य सरकार द्वारा नामित (पशुकल्याण सेवा के आधार पर) | उपाध्यक्ष |
| 3- | सचिव /अपर सचिव पशुधन एवं मत्स्य, उत्तरांचल शासन | पदेन सचिव |
| 4- | निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल | सदस्य |
| 5- | मुख्य वन्य जीव संरक्षक, उत्तरांचल | सदस्य |
| 6- | गौशालाओं के 10 चयनित प्रतिनिधि | सदस्य |
| 7- | पांच पशु प्रेमी | सदस्य |
| 8- | समाजसेवी संस्थाओं के दो सदस्य जो पशु कल्याण का कार्य कर रहे हो (राज्य सरकार द्वारा नामित) | सदस्य |
| 9- | प्रमुख सचिव गृह, उत्तरांचल शासन | सदस्य |
| 10- | निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तरांचल | सदस्य |
| 11- | जिला पंचायत अध्यक्ष (उत्तरांचल का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नामित) | सदस्य |
| 12- | विधान सभा के दो मा0 विधायक | सदस्य |
| 13- | सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायिक सेवा / प्रशासनिक सेवा से जुड़े दो प्रतिनिधि (उत्तरांचल सरकार द्वारा नामित) | सदस्य |

उत्तरांचल राज्य पशु कल्याण बोर्ड की प्रथम गवर्निंग बॉडी

क्रमांक	नाम	पता	पदनाम
1.	मा0 पं0 नारायण दत्त तिवारी	मुख्यमंत्री, उत्तरांचल सरकार	पदेन अध्यक्ष
2.	मा0 श्रीमती सरिता नेगी	ग्राम कटूड, पौडी गढ़वाल।	(कार्य. अध्यक्ष)
3.	मा0 श्रीमती मंजू संगुडी	सांगुडी भवन, हल्द्वानी	उपाध्यक्ष
4.	श्री नवीन चन्द्र शर्मा (आई0ए0एस0)	सचिव पशुपालन, उत्तरांचल शासन	पदेन सदस्य
5.	* श्रीमती दमयन्ती दोहरे (पी0सी0एस0)	अपर सचिव, पशुपालन, उत्तरांचल शासन	पदेन सदस्यसचिव
6.	श्री श्रीकान्त चन्दोला (आई0एफ0एस0)	मुख्य वन्य जीव संरक्षक, उत्तरांचल	पदेन सदस्य
7.	श्री एन0 एस0 नपलच्याल (आई0ए0एस0)	प्रमुख सचिव गृह, उत्तरांचल शासन	पदेन सदस्य
8.	श्री सुब्रतो विश्वास (आई0ए0एस0)	निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तरांचल	पदेन सदस्य

क्रमांक	नाम	पता	पदनाम
9.	श्री बी० के० विश्नोई	भू०पू० न्यायाधीश बलवीर रोड, देहरादून।	नामित सदस्य
10.	श्री चन्द्र सिंह (आई०ए०एस०)	भू० पू० प्रशासनिक सेवा अधिकारी, नेहरू कालोनी, देहरादून	नामित सदस्य
11.	मा० श्री फूल सिंह बिष्ट	विधायक प्रताप नगर, टिहरी गढवाल।	नामित सदस्य
12.	मा० श्री यशवीर सिंह	विधायक इकबालपुर, हरिद्वार	नामित सदस्य
13.	श्री मयूख महक	जिला पंचायत अध्यक्ष, पिथौरागढ़	नामित सदस्य
14.	सुश्री कामिनी कश्यप	स्वयं सेवी संगठन, अल्मोडा	नामित सदस्य
15.	श्री मोहन चन्द जोशी	स्वयं सेवी संगठन, देहरादून	नामित सदस्य
16.	श्री बी०एल० गोयल	सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पशु प्रेमी, बी०एच०ई०एल, हरिद्वार	नामित सदस्य
17.	डा० जी० काण्डपाल	पशु प्रेमी, हल्द्वानी	नामित सदस्य
18.	श्री राजेन्द्र सिंह	पशु प्रेमी, नैनीताल	नामित सदस्य
19.	सुश्री गौरी शर्मा	पशु प्रेमी, देहरादून	नामित सदस्य
20.	डा० डी०एस० दहिया	पशु प्रेमी, देहरादून	नामित सदस्य
21.	श्री रीतेश कुमार	गौशाला प्रतिनिधि, पन्तनगर	नामित सदस्य
22.	श्री सी०डी० पसबोला	गौशाला प्रतिनिधि, देहरादून	नामित सदस्य
23.	स्वामी देवानन्द	गौशाला प्रतिनिधि, हरिद्वार	नामित सदस्य
24.	स्वामी आत्मानन्द	गौशाला प्रतिनिधि, हरिद्वार	नामित सदस्य
25.	श्री एस०सी० जैन	गौशाला प्रतिनिधि, देहरादून	नामित सदस्य
26.	श्री संजय शास्त्री	गौशाला प्रतिनिधि, ऋषिकेश	नामित सदस्य
27.	श्री एच०सी० जोशी	गौशाला प्रतिनिधि, रूद्रपुर	नामित सदस्य
28.	श्री आर०पी० भट्ट	गौशाला प्रतिनिधि, रूडकी	नामित सदस्य
29.	स्वामी गुरुप्रकाश	गौशाला प्रतिनिधि, हरिद्वार	नामित सदस्य
30.	श्री जी०एस० शर्मा	गौशाला प्रतिनिधि, शांतिकुंज, हरिद्वार	नामित सदस्य
31.	डा० आर०सी० सयाना	महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल	पदेन सदस्य
32.	श्री एस० के० माहेश्वरी (आई०ए०एस०)	निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल	पदेन सदस्य
33.	निदेशक, जैव तकनीकी विकास	निदेशक, जैव तकनीकी विकास, उत्तरांचल	पदेन सदस्य
34.	श्री जयराज (आई०एफ०एस०)	मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन एवं प्रशासन, उत्तरांचल	नामित सदस्य
35.	श्री राजीव गुप्ता (आई०ए०एस०)	प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन, उत्तरांचल सरकार	नामित सदस्य

* कालान्तर में 'सदस्य सचिव', का कार्यभार श्री विजय ढौंडियाल (पी० सी० एस०), अपर सचिव कृषि, उत्तरांचल शासन को हस्तान्तरित किये जाने का प्राविधान किया गया तथा कुछ महीनों बाद 'सदस्य सचिव', का कार्यभार डा० आर० पी० बहुगुणा, संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित किये जाने का प्राविधान किया गया, तदुपरान्त सदस्य सचिव के पद के दायित्वों का निर्वहन तत्कालीन निदेशक पशुपालन डा० वी० पी० सिंह द्वारा किया गया है। वर्तमान समय में बोर्ड के सदस्य सचिव के दायित्वों का निर्वहन डा० के०के० जोशी, निदेशक पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा किया जा रहा है।

1.3 पूर्व में पशु कल्याण बोर्ड उत्तराखण्ड की जनरल बॉडी

सचिव पशुपालन उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या – 169/XV – 1 2(3)/2006 के अनुरूप बोर्ड के पंजीकरण हेतु स्वीकृत समृति पत्र के 'बिन्दु 12' एवं नियमावली के 'बिन्दु 5' के अनुसार निम्न प्रकार बोर्ड की जनरल बॉडी गठित है :-

क्र०	नाम व पता	पद
1	श्रीमान त्रिवेन्द्र सिंह रावतजी, मा० पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार	अध्यक्ष (पदेन) उ०प०क० बोर्ड
2	श्रीमती शांति मेहरा	उपाध्यक्ष उ०प०क० बोर्ड
3	श्रीमती बीना बिष्ट	उपाध्यक्ष उ०प०क० बोर्ड
4	श्री सुरेन्द्र चन्द्र जैन, मा० विधायक, विधानसभा क्षेत्र-रुडकी, जनपद-हरिद्वार।	मा० नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
5	श्री दीवान सिंह बिष्ट मा० विधायक, विधान सभा क्षेत्र-रामनगर जनपद-नैनीताल।	मा०नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
6	प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष, अधि० समिति उ०प०क० बोर्ड
7	प्रमुख सचिव/सचिव (गृह), उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
8	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
9	प्रमुख सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	उपाध्यक्ष, अधि० समिति उ०प०क० बोर्ड
10	सचिव परिवहन, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
11	सचिव वन, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
12	अपर सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
13	मुख्य वन्य जीव-जन्तु प्रतिपालक उत्तराखण्ड देहरादून,	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
14	निदेशक, शहरी विकास, उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
15	अधिष्ठाता पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, पन्तनगर	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
16	रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद, देहरादून	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
17	निदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
18	निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
19	श्री सत्यभूषण सिंघल पुत्र श्री मंगाराम, बाजपुर ऊधमसिंहनगर।	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
20	श्री महावीर सिंह रांगड़ पूर्व ब्लाक प्रमुख, ग्राम ललोटना, पो० थत्यूड, जिला टिहरी गढ़वाल।	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड

क्र०	नाम व पता	पद
21	श्री संजय कुमार पुत्र श्री सीताराम निकट अंकुर गैस एजेन्सी आशुतोष नगर, ऋषिकेश देहरादून।	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
22	श्री अनिल शाह (एडवोकेट) ग्राम मैदार पो० पोखरी, क्वीली पट्टी टिहरी गढ़वाल।	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
23	डा० नवनीत परमार हरिद्वार।	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
24	श्री मोहन सिंह जोशी 146 नेशविला रोड, देहरादून।	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
25	श्रीमती प्रेमा भट्ट एच 241 नेहरू कालोनी देहरादून।	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड

सचिव पशुपालन उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या – 169/XV – 1 2(3)/2006 के अनुरूप बोर्ड के पंजीकरण हेतु स्वीकृत समृति पत्र के 'बिन्दु 12' एवं नियमावली के 'बिन्दु 5' के अनुसार निम्न प्रकार बोर्ड की जनरल बॉडी गठित है :-

क्र०	नाम व पता	पद
1	श्रीमान प्रीतम सिंह पंवार जी, मा० पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार	अध्यक्ष (पदेन) उ०प०क० बोर्ड
2	श्री हेमेश खर्कवाल, मा० विधायक, विधानसभा क्षेत्र-चम्पावत, जनपद-चम्पावत।	मा० नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
3	श्री अनुसुया प्रसाद मैखुरी, मा० विधायक, विधान सभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग, जनपद-चमोली गढ़वाल।	मा०नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
4	श्रीमती सुनीता देवी, मा० जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत-पिथौरागढ़, जनपद-पिथौरागढ़।	मा० नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
5	न्यायमूर्ति शम्भूनाथ श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त न्यायधीश, 14 मोहित नगर (मुख्य मार्ग), जी०एम०एस० रोड, देहरादून।	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
6	प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष, अधि० समिति उ०प०क० बोर्ड
7	प्रमुख सचिव/सचिव (गृह), उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
8	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
9	प्रमुख सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	उपाध्यक्ष, अधि० समिति उ०प०क० बोर्ड
10	सचिव परिवहन, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
11	सचिव वन, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
12	अपर सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
13	मुख्य वन्य जीव-जन्तु प्रतिपालक उत्तराखण्ड देहरादून,	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
14	निदेशक, शहरी विकास, उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
15	श्री सुन्दर लाल मुयाल, सेवानिवृत्त आई०ए०एस०, लक्ष्मी रोड देहरादून।	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
16	श्री जयराज आई०एफ०एस०, अपर प्रमुख वन संरक्षक (पर्यावरण संरक्षण), 3/4 इन्द्रानगर फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून।	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
17	अधिष्ठाता पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, पन्तनगर	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
18	रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद, देहरादून	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड


क्र०	नाम व पता	पद
19	निदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
20	श्रीमती उजाली बिष्ट, ग्राम एवं पो०ओ० चिन्यालीसैड उत्तरकाशी।	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
21	श्री भरत सिंह पंवार, ग्राम मथाली, उत्तरकाशी।	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
22	श्री सूरवीर सिंह चौहान, ग्राम मौला गांव, पो०ओ० सारीगांव, उत्तरकाशी।	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
23	श्री आशीष रावत, निकट बी०एस०ए० ऑफिस, अजबपुरकलां, देहरादून।	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
24	श्री सत्यभूषण सिंघला, गौशाला प्रतिनिधि, अध्यक्ष श्री राधेकृष्ण गो-सेवा सदन ट्रस्ट, बाजपुर	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
25	श्री मोहन चन्द्र जोशी, एस०पी०सी०ए० प्रतिनिधि, 146 नैशविला रोड, देहरादून	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
26	डा० गंगा चन्दोला, श्री भागीरथी धाम आश्रम, नर्मदा विहार, ग्राम पो० हरिपुर कलां, द्वारा रायवाला, जिला-देहरादून 249 205	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
27	श्री नारायण दत्त रतूड़ी, चिटवाल किसान विकास समिति, शंकर मार्केट बूंगीधार, पट्टी चौथान, पौड़ी।	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
28	श्री शील नित्यानन्द पाद आश्रम, श्री गौर राधाकृष्ण मन्दिर, ग्राम-परमा, हल्द्वचौड़, नैनीताल।	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
29	श्री राम किशोर दास, अखिल भारतीय श्री हनुमान गौ सेवा ट्रस्ट हितारा बडेती तहसील चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
30	श्री खीमानन्द नैनवाल, श्री गुरुकृपा गौ सुरक्षा समिति, ग्राम जयखाल विकास खण्ड स्याल्दे अल्मोडा।	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
31	श्री नारद जोशी, गोकुल धाम ग्राम कनकपुर, रुद्रपुर तहसील-किच्छा ऊधमसिंहनगर।	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
32	श्री प्रेमानन्द गिरी, भारतीय ग्राम्य विकास एवं गौरक्षार्थ, न्यास ग्राम झिबरहेड़ी पो०आ० खेड़ी शिकोहपुर, हरिद्वार।	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
33	श्री अमितानन्द महाराज, हरिओम आश्रम कड़वापानी न्यास ग्राम भुङ्डी, पो० कारबारी, शिमला बाईपास रोड़, देहरादून।	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
34	वित्त नियंत्रक मा० राज्यपाल, राजभवन उत्तराखण्ड, देहरादून।	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
35	श्रीमती पूजा बहुखण्डी, 214 फेस-1, बसन्त विहार देहरादून	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
36	निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड	नामित सदस्य, उ०प०क० बोर्ड

वर्तमान समय में पशु कल्याण बोर्ड उत्तराखण्ड की जनरल बॉडी

सचिव पशुपालन उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या – 169/XV – 1 2(3)/2006 के अनुरूप बोर्ड के पंजीकरण हेतु स्वीकृत समृति पत्र के 'बिन्दु 12' एवं नियमावली के 'बिन्दु 5' के अनुसार निम्न प्रकार बोर्ड की जनरल बॉडी गठित है :-

क्र०	नाम व पता	पद
1	श्रीमती रेखा आर्यजी, मा० पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार	अध्यक्ष (पदेन) उ०प०क० बोर्ड
2	डा० विनोद आर्यजी, मा० उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड	उपाध्यक्ष उ०प०क० बोर्ड/ नामित सदस्य (गोशाला प्रतिनिधि)
3	प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष, अधि० समिति उ०प०क० बोर्ड
4	प्रमुख सचिव/सचिव (गृह), उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
5	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
6	प्रमुख सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	उपाध्यक्ष, अधि० समिति उ०प०क० बोर्ड
7	सचिव परिवहन, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
8	सचिव वन, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
9	अपर सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
10	मुख्य वन्य जीव-जन्तु प्रतिपालक उत्तराखण्ड देहरादून,	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
11	निदेशक, शहरी विकास, उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
12	अधिष्ठाता पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, पन्तनगर	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
13	रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद, देहरादून	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
14	निदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य, उ०प०क० बोर्ड
15	निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य सचिव, उ०प०क० बोर्ड
16	02 नामित विधायक	मनोनयन प्रक्रियाधीन है।
17	01 नामित जिला पंचायत अध्यक्ष	मनोनयन प्रक्रियाधीन है।
18	02 नामित सेवानिवृत्त प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारी	मनोनयन प्रक्रियाधीन है।
19	09 नामित गोशाला प्रतिनिधि	मनोनयन प्रक्रियाधीन है।
20	02 नामित जिला एस०पी०सी०ए० प्रतिनिधि सदस्य	मनोनयन प्रक्रियाधीन है।
21	05 नामित पशु कल्याण के क्षेत्र में सेवारत व्यक्ति	मनोनयन प्रक्रियाधीन है।

1.4 संगठन के विभिन्न स्तरों का संगठनात्मक ढांचा –



1.5 अधिशायी समिति का गठन –

सचिव पशुपालन उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 169/XV-1/ 2(3)/2006 के अनुरूप बोर्ड के पंजीकरण हेतु स्वीकृत नियमावली के 'बिन्दु 8.1' के अनुसार निम्न प्रकार बोर्ड की अधिशायी समिति गठन किये जाने का प्राविधान है :-

क्रमांक	नाम	पता	पदनाम
1	प्रमुख सचिव/आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन	प्रमुख सचिव/आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2	सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	उपाध्यक्ष
3	सचिव/प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सचिव/प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य

क्रमांक	नाम	पता	पदनाम
4	पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड अथवा उनका प्रतिनिधि (जो कि ए0डी0जी0 से कनिष्ठ न हो)	पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड अथवा उनका प्रतिनिधि (जो कि ए0डी0जी0 से कनिष्ठ न हो)	पदेन सदस्य
5	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य
6	निदेशक स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड शहरी विकास विभाग, देहरादून	निदेशक स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड शहरी विकास विभाग, देहरादून	पदेन सदस्य
7	मुख्य वन्य जीव-जन्तु प्रतिपालक उत्तराखण्ड	मुख्य वन्य जीव-जन्तु प्रतिपालक उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य
8	डा० वाई०पी०एस० डबास	अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, गो० ब०प० कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर	पदेन सदस्य
9	डा० आशुतोष जोशी	संयुक्त निदेशक (पशु कल्याण), उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड।	सदस्य सचिव
10	बोर्ड की सामान्य कार्यकारिणी में नामित दो एस०पी०सी०ए० प्रतिनिधि सदस्यों में से एक को अधिशासी समिति में नामित किया जाना है।	एस०पी०सी०ए० प्रतिनिधि	नामित सदस्य

1.6 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते एवं खुलने तथा बन्द होने का समय

कार्यालय का नाम	कार्यालय खुलने का समय	कार्यालय बन्द होने का समय
मुख्य कार्यालय :- उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड, शीर्ष तल पशुधन भवन, मोथरोवाला देहरादून।	प्रातः 10.00 बजे	सांय 5.00 बजे
विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारी :- अध्यक्ष, जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति।	प्रातः 10.00 बजे	सांय 5.00 बजे
विभिन्न जनपदों के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी :- सचिव, जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति।	प्रातः 10.00 बजे	सांय 5.00 बजे

मैनुअल-2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां
एवं कर्तव्य



उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड,
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोवाला देहरादून।
देहरादून- 248001

फोन नं० - (0135) 2532850 फैक्स नं० (0135) 2532811

मैनुअल – 2 से सम्बन्धित शासनादेशों की संलग्नक सूची

मैनुअल	मद विवरण/मैनुअल
मैनुअल-2	<ul style="list-style-type: none">- शासनादेश सं० – 356/XV-1/2(90)/2005, देहरादून : दिनांक 02 जून, 2006- शासनादेश सं० – 169/XV-1/2(3)/2006, पशुपालन अनुभाग-1, देहरादून : दिनांक 09 जनवरी, 2007

2.1 उत्तरांचल शासन पशुपालन अनुभाग-1 से जारी शासनादेश सं0 - 356/XV - 1/2(90)/2005 देहरादून, दिनांक 02 जून 2006 के अनुरूप मार्ग निर्देश संख्या-4 के अनुसार बोर्ड (परिषद्) के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार व दायित्व पूर्णतः सचिव परिषद् में निहित होंगे।

उक्त शासनादेश के अनुरूप निम्न आठ दिशा-निर्देश सचिव पशुपालन द्वारा दिये गये:-

1. कार्यवाहक अध्यक्ष/उपाध्यक्ष राज्य पशु कल्याण बोर्ड का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य होगा।
2. कार्यवाहक अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य पशु कल्याण बोर्ड की वार्षिक सामान्य बैठक तथा बोर्ड की अन्य बैठकों की अध्यक्षता की जायेगी। अध्यक्ष/कार्यवाहक अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
3. कार्यवाहक अध्यक्ष/उपाध्यक्ष परिषदों की बैठकों में प्रतिभाग कर पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को गति प्रदान करने हेतु समीक्षा करेंगे तथा परिषद के माध्यम से तदविषयक सुझाव शासन को उपलब्ध करायेगें।
4. परिषद के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार व दायित्व पूर्णतः सचिव परिषद् में निहित होंगे।
5. कार्यवाहक अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को परिषद से सम्बन्धित कार्यो हेतु यात्रा करने पर दैनिक भत्ता देय होगा।
6. परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व सदस्यों द्वारा परिषद की बैठक के अतिरिक्त पशुओं के कल्याण हेतु बैठकों के लिये उच्च स्तर पर अनुमोदन के उपरान्त यात्राओं में भाग ले सकेंगे।
7. बैठकों के आयोजन पर होना वाला व्यय परिषद के आय-व्ययक के अन्य व्यय के मद से वहन किया जायेगा, जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्तीय हस्तपुस्तिका में निहित प्राविधानों तथा वित्त विभाग के समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।
8. परिषद की बैठकें सचिव, पशु कल्याण बोर्ड द्वारा आहूत की जायेगी। सचिव द्वारा सभी सदस्यों को सूचना कम से कम दो सप्ताह पूर्व उपलब्ध करायी जायेगी। सचिव, पशु कल्याण परिषद का दायित्व होगा कि वास्तविक सामान्य बैठक में पशु कल्याण से सम्बन्धित विषयों को ही एजेण्डा में सम्मिलित किया जायेगा।

(ह0- श्री नवीन शर्मा)
सचिव
पशुपालन, उत्तरांचल शासन

सचिव पशुपालन उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 169/XV – 1 2(3)/2006 के अनुरूप बोर्ड के पंजीकरण हेतु स्वीकृत नियमावली के 'बिन्दु 3.2', 'बिन्दु 6.3', 'बिन्दु 7', 'बिन्दु 8', 'बिन्दु 9', 'बिन्दु 10' एवं 'बिन्दु 12' के अनुसार बोर्ड के प्रशासन, अधिषासी समिति एवं सदस्य सचिव के अधिकारों एवं दायित्वों को निम्न प्रकार सुस्पष्ट किया गया है :-

'बिन्दु 3.2' बोर्ड के अध्यक्ष –

मा0 पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे।

'बिन्दु 6.3' बोर्ड के उपाध्यक्ष –

राज्य सरकार द्वारा बोर्ड हेतु उपाध्यक्ष नामित किया जाएगा। उपाध्यक्ष, समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा दिये गये अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

'बिन्दु 7' बोर्ड का प्रशासन –

- 7.1 वर्ष में न्यूनतम दो बार अध्यक्ष द्वारा बोर्ड की बैठक आयोजित की जाएगी।
- 7.2 बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष के अनुपलब्ध होने पर उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता की जाएगी।
- 7.3 बोर्ड की बैठकों हेतु वर्तमान सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 कोरम होना आवश्यक होगा।
- 7.4 बोर्ड की बैठक 15 दिन की पूर्व सूचना पर आयोजित की जाएगी। अध्यक्ष को आपातकालीन परिस्थिति में किसी भी समय बैठक आयोजित करने का अधिकार होगा।
- 7.5 बोर्ड की सदस्य सचिव द्वारा बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त लिखवा लिया जाएगा। बैठक के उपरान्त सदस्य सचिव द्वारा बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त समस्त सदस्यों को प्रेषित किया जाएगा। सदस्य सचिव बोर्ड द्वारा अग्रसारित कार्यवृत्त को शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगे।
- 7.6 सदस्य सचिव आगामी वर्ष हेतु आवश्यक बजट मांग वित्तीय वर्ष के माह अक्टूबर में प्रस्तुत करेंगे।
- 7.7 बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप यात्रा भत्ता सुविधा अनुमन्य होगी।
- 7.8 बोर्ड का कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरान्त ही प्रभावी होगा।

'बिन्दु 8' बोर्ड की अधिषासी समिति –

- 8.1 प्रमुख सचिव (वर्तमान में अपर मुख्य सचिव)/आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय अधिषासी समिति का गठन किया गया।
- 8.2 बोर्ड के अध्यक्ष के निर्देशों के अनुरूप अथवा बोर्ड की आवश्यकता के अनुरूप वर्ष में अधिकतम चार बार बोर्ड की अधिषासी समिति की बैठक आयोजित की जाएगी।
- 8.3 अधिषासी समिति के पदेन सदस्यों का कार्यकाल उनके मूल पद धारण करने तक रहेगा।
- 8.4 अधिषासी समिति के सदस्य की अनुपलब्धता में समिति की बैठक के अध्यक्ष पद के दायित्वों का निर्वहन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
- 8.5 अधिषासी समिति को विषय विशेषता पर स्टैंडिंग कमेटी गठित करने का अधिकार होगा। स्टैंडिंग कमेटी में 2/3 सदस्य बोर्ड के सदस्यों में से ही नियुक्त किये जायेंगे तथा विभिन्न विषयों के विषय विशेषज्ञों को स्टैंडिंग कमेटी में राय देने हेतु आमंत्रित किया जा सकता है।
- 8.6 अधिषासी समिति की बैठकों हेतु वर्तमान सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 कोरम होना आवश्यक होगा।

- 8.7 अधिषासी समिति की बैठक 7 दिनों की पूर्व सूचना पर आयोजित की जाएगी।
- 8.8 अधिषासी समिति अधिनियमों तथा बोर्ड के कर्तव्यों के तहत समस्त अधिकारों के प्रयोग हेतु अधीकृत होगी।
- 8.9 अधिषासी समिति शासन को बोर्ड के प्रशासन एवं प्रबन्धन से सम्बन्धित नियमावली में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के लिये अधीकृत होगी।
- 8.10 अधिषासी समिति पशु कल्याण से सम्बन्धित समस्त श्रेणी के कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु अधीकृत होगी।

अधिषासी समिति के अधिकार –

- A अधिषासी समिति बोर्ड हेतु पदों के सृजन हेतु अधीकृत होगी (शशासन की पूर्वानुमति के बिना कोई भी पद सृजित नहीं किया जाएगा)।
- B अधिषासी समिति, राज्य सरकार के पशुपालन विभाग अथवा किसी अन्य विभाग के कार्मिकों, जो कि राजकीय सेवा अनुशासन एवं अपील नियम के तहत नियुक्त हैं, के अतिरिक्त, बोर्ड के समस्त अधिकारियों, लिपिक वर्गीय कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन निर्धारण, सेवानिवृत्ति, निलम्बन एवं सेवा समाप्ति हेतु अधीकृत होगी।
- C अधिषासी समिति बोर्ड अथवा इसके अधिकारियों द्वारा बोर्ड के कार्यक्षेत्रों के अन्तर्गत समस्त विधिक कार्यों के संस्थापन, संचालन, बचाव एवं समाप्ति हेतु अधीकृत होगी तथा तदनुसार देयक अथवा मांग के अनुरूप बोर्ड द्वारा अथवा बोर्ड के पक्ष में भुगतान स्वीकृत करने हेतु अधीकृत होगी।
- D बोर्ड के समस्त भुगतानों की देयता एवं बोर्ड की वित्तीय आवश्यकताओं के प्रस्तुतीकरण हेतु अधिषासी समिति के सदस्य सचिव अधीकृत होंगे।
- E अधिषासी समिति, राज्य सरकार की सम्पूर्ण नियन्त्रण एवं नीतियों के तहत शीघ्रातीशीघ्र अधिकतम मितव्ययिता बरतते हुए बोर्ड के समस्त कार्यक्रमों एवं नीतियों के निर्धारण, क्रियान्वयन हेतु अधीकृत होगी।
- F अधिषासी समिति बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु नीति निर्धारण एवं मार्गनिर्देशन हेतु अधीकृत होगी।
- G अधिषासी समिति बोर्ड के समस्त कार्मिकों में अनुशासन एवं आर्दष सेवा आचरण को सुस्थापित करने हेतु अधीकृत होगी।
- H अधिषासी समिति बोर्ड के बजट अनुमान/मांग के अनुमोदन तथा श्रेष्ठ लेखा नियन्त्रण, मूल्य निर्धारण, वित्तीय प्रबन्धन, समय-समय पर शासन के दिशा निर्देशों के अनुपालन, निरीक्षण टिप्पणियों एवं बैलेन्स शीट के पुनरावलोकन करने हेतु अधीकृत होगी।
- I अधिषासी समिति की बैठक के कार्यवृत्त भली प्रकार से उल्लिखित कर लिये जायेंगे, जिससे कि अधिषासी समिति के कर्तव्यों एवं अधिकारों का निर्वहन सुनिश्चित हो सके।
- J अधिषासी समिति की बैठक में उठने वाले प्रश्नों का अन्तिम निर्णय उपस्थित सदस्यों द्वारा दिये गये वोटों की अधिकता के आधार पर किया जायेगा तथा दिये गये वोटों की समानता होने की स्थिति में बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दिया गया निर्णय ही मान्य होगा।

‘बिन्दु 9’ बोर्ड का बजट, लेखा-जोखा एवं सम्प्रेक्षण

- 9.1 बोर्ड द्वारा आय संसाधन – समय-समय पर सरकार द्वारा दी गयी ग्रांट तथा उपहार, दान, सहयोग राशि, योगदान राशि जोकि, स्थानीय निकायों अथवा किसी भी व्यक्ति से प्राप्त की गयी हो
- 9.2 बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा आवर्तक एवं अनावर्तक ग्रांट्स
- 9.3 अन्य श्रोत से होने वाली आय
- 9.4 बोर्ड की जनरल बॉडी अथवा अधिशासी समिति द्वारा रेगुलर फन्ड से स्पेशिफिक फन्ड में धनराशि का डाइवर्जन
- 9.5 बोर्ड की लेखा पंजिकाओं को बोर्ड के कार्यालय अथवा अधिशासी समिति द्वारा निर्धारित स्थान पर रखा जायेगा। बोर्ड की लेखा पंजिका कार्यालय अवधि में अधिशासी समिति के सदस्यों द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी।
- 9.6 लेखा पंजिका को तैयार करना सदस्य सचिव का दायित्व होगा।
- 9.7 बोर्ड के लेखापरीक्षण हेतु अधिशासी समिति द्वारा लेखा संपरीक्षक की नियुक्ति की जायेगी। समय समय पर व्यय अवशेष की प्रमाणित प्रति बोर्ड की जनरल बॉडी में प्रस्तुत की जायेगी।
- 9.8 बोर्ड के लेखा संपरीक्षक को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने का अधिकार होगा तथा वह बोर्ड की बैठक की पूर्वसूचना प्राप्त करने हेतु अधीकृत होगा।
- 9.9 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा बोर्ड के वार्षिक लेखे की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जायेगी।

‘बिन्दु 10’ बोर्ड के सदस्य सचिव के अधिकार

- 10.1 बोर्ड अन्तर्गत समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सदस्य सचिव अन्तर्गत निहित होंगे।
- 10.2 बोर्ड की जनरल बॉडी तथा अधिशासी समिति द्वारा बोर्ड के सदस्य सचिव का सुपरविजन किया जायेगा।
- 10.3 सदस्य सचिव द्वारा राज्य सरकार, पशुपालन विभाग, अन्य संबधित विभागों, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा ऑफिस इन्टरनेशनल एपिजूटिस, पेरिस फ्रांस के मध्य समन्वयन किया जायेगा।
- 10.4 सदस्य सचिव द्वारा समय समय पर बोर्ड, अधिशासी समिति अथवा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये दायित्वों की पूर्ति की जायेगी। बोर्ड के नियमित कार्यों का क्रियान्वयन सदस्य सचिव का उत्तरदायित्व होगा।
- 10.5 सचिवालय स्तर पर बोर्ड के कार्यों तथा योजनाओं का क्रियान्वयन, विभिन्न स्टैन्डिंग कमेटीयों का सुपरविजन, तथा बोर्ड के विभिन्न कार्यों का निरीक्षण एवं निर्देशन का दायित्व सदस्य सचिव द्वारा वहन किया जायेगा।
- 10.6 समय समय पर बोर्ड, अधिशासी समिति अथवा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये दायित्वों की पूर्ति सदस्य सचिव द्वारा की जायेगी।

‘बिन्दु 12’ बोर्ड के सदस्य सचिव के दायित्व

- 12.1 बोर्ड अन्तर्गत विभिन्न मदों में आय तथा व्यय का लेखा तैयार कराया जाना।
- 12.2 बोर्ड अन्तर्गत समस्त अभिलेखों एवं परिसंपत्ति का रिकार्ड तैयार कराया जाना।
- 12.3 अन्य अभिलेखों में एजेन्डा रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवृत्त पंजिका, रोकड बही, लेखा अभिलेख, भुगतान पंजिका तथा स्टॉक पंजिका भी सम्मिलित कर लिये जायं।

मैनुअल-3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं



उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड,
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोवाला देहरादून।

देहरादून- 248001

फोन नं० - (0135) 2532850 फैक्स नं० (0135) 2532811

मैनुअल – 3 से सम्बन्धित शासनादेशों की संलग्नक सूची

मैनुअल	मद विवरण/मैनुअल
मैनुअल-3	<ul style="list-style-type: none"> - सचिव पशुपालन, उत्तरांचल शासन द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 32 एवं धारा 34 के तहत पशुचिकित्सा अधिकारियों एवं प्रभागीय वनाधिकारियों को अधीकृत किये के बाबत शासनादेश सं०-704/XV-1/2(72)/2005, देहरादून : दिनांक 03 दिसम्बर, 2005 - मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 32 एवं धारा 34 के तहत पशुचिकित्सा अधिकारियों एवं प्रभागीय वनाधिकारियों को अधीकृत किये के बाबत शासनादेश सं०-789/XV-1/05-2(85)/2005 दिनांक 17 दिसम्बर, 2005 - सचिव पशुपालन, उत्तरांचल शासन द्वारा पशु क्रूरता की दषा में वांछित कार्यवाही के बाबत शासनादेश सं०- पशुपालन अनुभाग-1, देहरादून : दिनांक 4 नवम्बर, 2006 - प्रमुख सचिव गृह एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति के गठन के क्रम में वांछित कार्यवाही हेतु शासनादेश संख्या- 986/Animal Welfare/78/210 दिनांक : 27 सितम्बर, 2010 - प्रमुख सचिव गृह एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण हेतु भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के सहयोग से पशुजन्म नियंत्रण कार्यक्रम (श्वान) प्रारम्भ किए जाने के क्रम में वांछित कार्यवाही हेतु शासनादेश संख्या- 987/Animal Welfare/78/210 दिनांक : 27 सितम्बर, 2010 - सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य में गो वंश के वध/तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण तथा वैधानिक रीति से पशु मेलों के आयोजन की दषा में वांछित कार्यवाही के बाबत शासनादेश सं०-2722/ XV-1/ 10/7(59) /08 पशुपालन अनुभाग-1, देहरादून दिनांक 22 दिसम्बर, 2010 - सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सेवा शुल्कों एवं लेवी मूल्यों में संशोधन हेतु वांछित कार्यवाही के बाबत शासनादेश सं०-103 /XV-1/2011/7/(81)2005 पशुपालन अनुभाग-1, देहरादून दिनांक 23 मार्च, 2011 - सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा 2008 गोसदनों की स्थापना हेतु दिषा निर्देश नीति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या संख्या- 759/XV-1/1(3)/2008 दिनांक 16 दिसम्बर 2008 - प्रमुख सचिव गृह एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा गो वंश की तस्करी को रोकने हेतु अपेक्षित कार्यवाही के क्रम में वांछित कार्यवाही हेतु शासनादेश संख्या- 3541-3574/ पशुकल्याण/2011 दिनांक 08 फरवरी, 2011 - प्रमुख सचिव गृह एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा विचारण के दौरान केस प्रॉपर्टी (गोवंश) को अभियुक्तों के पक्ष में अवमुक्त न किये जाने के क्रम में वांछित कार्यवाही हेतु शासनादेश संख्या- 356-415/ Animal Welfare/2011 दिनांक 21

अप्रैल, 2011

- निराश्रित गोवंश को शरण देने हेतु गोसदनों की स्थापना के क्रम में गैर सरकारी पशु कल्याण संस्थाओं को मान्यता/ राजकीय अनुदान हेतु पूर्ववर्ती दिषा निर्देश नीति में आंशिक संशोधन उपरान्त नवीन शासनादेश संख्या- 807/XV-1/11/1(3)08 दिनांक 07 अक्टूबर,, 2011 के अनुरूप दिषा निर्देश नीति।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत ड्राई डेरी कार्यक्रम में हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 929/XIII-1/2011-5(12)/2011 दिनांक 07 अक्टूबर,, 2011
- निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु समर्पित गोसदनों द्वारा दान/क्रय से अर्जित भूमि पंजीकरण शुल्क एवं स्टैम्प ड्यूटी से मुक्त के क्रम में शासनादेश संख्या- 816/XV-1/11/8(2)/10 दिनांक 14 अक्टूबर,, 2011 के अनुरूप दिषा निर्देश नीति।
- मा० मंत्री मण्डल द्वारा 100 वन पंचायत गोसदनों की स्थापना का निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या- 1282/XV-1/7(11)/11 दिनांक 05 दिसम्बर,, 2011 के अनुरूप दिषा निर्देश नीति।
- मा० मंत्री मण्डल द्वारा दो मण्डल स्तरीय वृहद गोसदनों की स्थापना का निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या- 1378/XV-1/7(11)/11 टी०सी० दिनांक 13 दिसम्बर,, 2011 के अनुरूप दिषा निर्देश नीति।
- मा० मंत्री मण्डल द्वारा MLA Fund से गोवंश हेतु रोगी पशुवाहन के क्रम में शासनादेश संख्या- 1348/XV-1/7(11)/11 दिनांक 05 दिसम्बर,, 2011 के अनुरूप दिषा निर्देश नीति।
- मा० मंत्री मण्डल द्वारा गो कल्याण निधि की स्थापना का निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या- 1335/XV-1/11/1(23)/2011 दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 के अनुरूप दिषा निर्देश नीति।
- राज्यान्तर्गत निराश्रित गोवंश को शरण देने वाले गोसदनों को गोवंश के भरण-पोषण हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में राजकीय अनुदान स्वीकृत किये जाने के क्रम में शासनादेश संख्या 101/XV-1/12/1(3)/08 पशुपालन अनुभाग-1 दिनांक 30 मार्च, 2012
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत चार स्थानों पर उरेडा के माध्यम से गोबर गैस ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की स्थापना एवं दस स्थानों पर गोशाला निर्माण हेतु 88.84 लाख अवमुक्त किये जाने के क्रम में शासनदेश संख्या 143(A) /XIII-1/2013-5(27)2012 कृषि एवं विपणन अनुभाग-1 दिनांक 28 जनवरी, 2013
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत हेतु कृषि विभाग के ढकरानी देहरादून के स्थित सेन्टर ऑफ ऐक्सीलेन्स में ड्राई डेरी के सुदृढीकरण में 17.14 लाख धनराशि अवमुक्त किये जाने के क्रम में शासनदेश संख्या 155/XIII-1/2012-5(25)2011T.C. कृषि एवं विपणन अनुभाग-1 दिनांक 30 जनवरी, 2013
- राज्यान्तर्गत 2012-13 में निराश्रित गोवंश को शरण देने हेतु गोसदनों को गोवंश के भरण-पोषण हेतु अनुदान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 120/XV-1/13/1(3)/08TC पशुपालन अनुभाग-1 दिनांक 19 फरवरी, 2013
- पशुकूरता निवारण अधिनियम-1960 की धारा-32 व धारा-34 के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों हेतु निर्धारित प्रक्रिया के सम्बन्ध में

दिनांक 11 दिसम्बर, 2018

- राज्यान्तर्गत 2018-19 में निराश्रित गोवंश को शरण देने हेतु गोसदनों को गोवंश के भरण-पोषण हेतु अनुदान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 154/XV-1/19/1(3)/2008 पशुपालन अनुभाग-1 दिनांक 14 फरवरी, 2019
- राज्यान्तर्गत 2018-19 में निराश्रित गोवंश को शरण देने हेतु गोशाला निर्माण मद में अनुदान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 40/XV-1/19/1(3)/08 पशुपालन अनुभाग-1 दिनांक 11 फरवरी, 2019

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं

3.1 पशु क्रूरता की स्थिति में जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समितियों के अध्यक्ष, सचिव, सदस्यों तथा उत्तराखण्ड राज्य पशु कल्याण बोर्ड के पदाधिकारी महानुभावों, सदस्यों तथा सचिव के द्वारा स्थानीय थानों/पुलिस चौकियों के सहयोग से विधिक कार्यवाही की जानी है। सचिव पशुपालन के शासनादेश संख्या 340/XV/पशुपालन/2005 दिनांक 26 अक्टूबर 2005 के अनुसार जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु नोडल अफसर घोषित किया गया है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ही पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 धारा 38 के अन्तर्गत गठित जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समितियों के पदेन सदस्य सचिव के दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं।

सचिव पशुपालन के शासनादेश संख्या 704/XV-1/2(72)/ 2005 दिनांक 3 दिसम्बर 2005 के अनुसार पशुपालन विभाग के पशु चिकित्साधिकारियों को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11, 12 तथा 13 के अन्तर्गत वर्णित पशु क्रूरता के निवारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 32 एवं धारा 34 के अन्तर्गत वर्णित शक्तियों का पुलिस की भांति उपयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है।

पशु क्रूरता की दशा में पशुपालन सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 722/XV-1/2 (72) 2005 पशुपालन अनुभाग-1 दिनांक 04 नवम्बर 2006 के अनुरूप उचित स्तर से विधिक कार्यवाही की जानी है।

राज्य का आम नागरिक, पशु क्रूरता की दशा में क्षेत्रीय पुलिस चौकियों/पुलिस थानों के सहयोग से विधिक कार्यवाही कर सकता है। इस क्रम में निम्न स्तरों से भी विधिक कार्यवाही हेतु सहयोग ले सकता है:-

- जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति के अध्यक्ष/जिलाधिकारी।
- जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति के सचिव/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी।
- जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति के सदस्य।
- पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के पशुचिकित्सा अधिकारी तथा वन विभाग उत्तराखण्ड के प्रभागीय वनाधिकारी से उनके विधिक कार्य क्षेत्रान्तर्गत।
- पशु कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संस्थायें।
- उत्तराखण्ड राज्य पशु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य महानुभाव।
- उत्तराखण्ड राज्य पशु कल्याण बोर्ड की अधिषासी समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण।

3.2 (क)- विभिन्न जनपदों के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समितियों के सचिव हैं तथा जिलाधिकारी जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समितियों के अध्यक्ष

3.2 (ख)- राज्य स्तर पर उत्तरांचल राज्य पशु कल्याण बोर्ड के सचिव द्वारा समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है।

3.3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था -

समाचार पत्र,
पत्रिकायें

फोन 0135 2532 850


फैक्स 0135 2532 811

ई-मेल तथा वैबसाइट <http://ahd.uk.gov.in/pages/display/132-uttarakhand-animal-welfare-board>

बैनर्स तथा पोस्टर्स,

डिस्प्ले बोर्ड्स, साईन बोर्ड, बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तिकायें तथा तथा लीफ्लैट्स।

3.4 विभिन्न स्तर किन अधिकारियों की संस्तुति/निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है—



3.5 अन्तिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत अधिकारी —

मा० पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार /
अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड

3.6 मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाना है

विषय (जिसके सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है)	राज्य स्तर पर
दिशा निर्देश	शासनादेश संग्रह अनुसार
निर्णय लेने की प्रक्रिया	उक्तानुसार
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम	प्रभारी अधिकारी 0135 – 2535 850 आहरण वितरण अधिकारी 0135 – 2532 809 सचिव, उ०प०क० बोर्ड 0135 – 2532 909 निदेशक, पशुपालन 0135 –2532 909 सचिव पशुपालन उत्तराखण्ड शासन 0135–2712 012
विषय (जिसके सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है)	जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति स्तर पर
दिशा निर्देश	शासनादेश संग्रह अनुसार
निर्णय लेने की प्रक्रिया	उक्तानुसार
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम	सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी / (पदेन सदस्यसचिव जनपदीय प०क्र०नि०स०) एवं सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी / (पदेन अध्यक्ष जनपदीय प०क्र०नि०स०)

मैनुअल-4

कृत्यों के निर्वहन हेतु स्वयं द्वारा
स्थापित मापमान



उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड,
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोवाला देहरादून।

देहरादून- 248001

फोन नं० - (0135) 2532850 फैक्स नं० (0135) 2532811

4.1 – कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम –

उत्तराखण्ड राज्य पशु कल्याण बोर्ड द्वारा बोर्ड के समस्त कार्यों एवं प्रस्तावों को बोर्ड की जनरल बॉडी/अधिकासी समिति के अनुमोदन उपरान्त क्रियान्वयन कराया जाता है। समय-समय पर शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। प्रतिवर्ष बोर्ड के अभिलेखों का विभागीय तथा महालेखाकार कार्यालय से सम्प्रेक्षण कराया जाता है। प्रतिवर्ष बोर्ड की गवर्निंग बाडी की आम बैठक आयोजित की जाती है जिसमें बोर्ड के कार्यक्रमों, किये गये कार्यों, उपलब्धियों पर विस्तृत चर्चा की जाती है।

4.2 पशु क्रूरता मापमान के स्थापित मानदण्ड

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11,12,13 एवं 40 के अन्तर्गत पशुओं के प्रति क्रूरता तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही से अभयदान की स्थिति को निम्न प्रकार चिन्हित किया गया है :-

धारा 11 उपधारा 1 अन्तर्गत पशुओं के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार

यदि कोई व्यक्ति

(खण्ड-क) : किसी पशु को पीटता है, लात मारता है, दौड़ा-दौड़ा कर थका डालता है, यंत्रणा देता है अथवा उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है कि उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना से वशीभूत करें अथवा किसी पशु के साथ इस प्रकार करता है अथवा स्वामी होते हुए, होने देता है अथवा

(खण्ड-ख) : किसी पशु को किसी ऐसे काम या परिश्रम में लगाता है जो किसी रोग, निर्बलता, घाव, फोड़ा-फुन्सी के कारण, अथवा अन्य किसी कारण से इस प्रकार काम में लगाये जाने के उपयुक्त नहीं है अथवा स्वामी होते हुए, ऐसे किसी अक्षम पशु को इस प्रकार काम में लगाये जाने की अनुमति देता है अथवा

(खण्ड-ग) : जानबूझकर तथा अयुक्तियुक्त रूप से किसी पालतू या बन्दी पशु को हानिकारक औषधियां या पदार्थ खिलाता पिलाता है अथवा जानबूझकर किसी पालतू या बन्दी पशु द्वारा ऐसी औषधी या पदार्थ ग्रहण किये जाने के कारण वशीभूत होता है या होने का प्रयास करता है अथवा

(खण्ड-घ) : किसी पशु को चाहे किसी यान से या उस पर अथवा नहीं इस रीति या स्थिति में वहन करता है या ले जाता है जिससे कि अनावश्यक पीड़ा यातना के वशीभूत हो अथवा

(खण्ड-ङ) : किसी पशु को किसी ऐसे पिंजरे या भाजन में रखता है या बन्द करता है जिसकी उंचाई, लम्बाई और चौड़ाई माप में इतनी पर्याप्त नहीं है कि उस पशु को हिलने-डुलने का युक्तियुक्त अवसर प्राप्त हो सकें अथवा

(खण्ड-च) : किसी पशु को अयुक्तियुक्त काल तक जंजीर या रस्सी से बांधे रखता है अथवा अयुक्तियुक्त रूप से छोटी या अयुक्तियुक्त रूप से भारी जंजीर या रस्सी से बांधकर रखता है अथवा

(खण्ड-छ) : स्वामी होते हुए किसी कुत्ते को जो नित्यतः जंजीर में बंधा रहता है या सकीर्ण परिरोध में रखा जाता है युक्तियुक्त रूप से घुमाने फिराने या घुमवाने-फिरवाने में अवहेलना करता है अथवा

(खण्ड-ज) : किसी पकड़े हुए पशु का स्वामी होते हुए उस पशु को पर्याप्त खाना पीना या आश्रय नहीं देता है अथवा

(खण्ड-झ) : युक्तियुक्त कारण के बिना किसी पशु का इन परिस्थितियों में परित्याग करना जिनसे यह सम्भाव्य हो जाता है कि उसे भूख और प्यास के कारण पीड़ा सहन करनी होगी अथवा

(खण्ड-ञ) : किसी पशु को जिसका कि वह स्वामी है जानबूझ कर किसी सडक पर मुक्त रूप से जाने देता है जबकि वह पशु साम्पर्शिक या संक्रामक रोग से ग्रस्त है अथवा युक्तियुक्त कारण के बिना किसी रोग ग्रस्त या अपंग पशु को जिसका कि वह स्वामी है किसी सडक पर मरने देता है अथवा

(खण्ड-ट) : किसी ऐसे पशु को विक्रय के लिए प्रदर्शित करता है या युक्तियुक्त कारण के बिना अपने अधिपत्य में रखता है जो अंग विच्छेद, भूख-प्यास, अतिभरण या अन्य दुर्व्यवहार के कारण पीड़ा ग्रस्त है अथवा

* **(खण्ड-ठ)** : व्यर्थ ही में किसी पशु को विकलांग करता है, अनावश्यक रूप से निर्दयतापूर्ण ढंग से किसी पशु की हत्या करता है, अथवा

(खण्ड-ड) : मात्र इस दृष्टि से कि अन्य लोगों का मनोरंजन हो किसी पशु को इस प्रकार से निरोधन करता है या कराता है कि वह किसी अन्य पशु का शिकार बनें अथवा

* **(खण्ड-ढ)** : अपने व्यापार के प्रयोजनार्थ पशुयुद्ध या किसी पशु को संत्रस्त करने के प्रयोजनार्थ किसी स्थान को विन्यस्त करता है, प्रयोग में लाता है या उसके प्रबन्ध में कार्य करता है अथवा ऐसे किसी प्रयोजन के लिए स्थान को प्रयोग में लाये जाने की अनुज्ञा देता है या प्रस्तुत करता है अथवा ऐसे किन्हीं प्रयोजनों के लिए रखे गये या प्रयोजित किसी स्थान में किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश के लिए धन प्राप्त करता है, अथवा

* **(खण्ड-ण)** : किसी लक्ष्यभेद प्रतियोगिता या प्रतिद्वन्द्विता को दुष्प्रेरित करता है या उसमें भाग लेता है जिसमें कि ऐसे लक्ष्यभेद के प्रयोजनार्थ पशुओं को बन्दी अवस्था से मुक्त किया जाता है, वह प्रथम अपराध की दशा में, जुर्माना जो पचास रुपये तक हो जायेगा और पहले अपराध में तीन वर्ष के भीतर किये गये द्वितीय या अनुवर्ती अपराध की दशा में जुर्माना से जो एक सौ रुपये तक हो सकेगा तीन मास की अवधि तक के कारावास से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

* धारा 11 उपधारा 1 के खण्ड ढ, खण्ड ड, तथा खण्ड ण के अन्तर्गत अपराध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 31 के अन्तर्गत प्रसंज्ञेय (Cognizable) अपराध है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार दण्डनीय अपराध है।

धारा 11 उपधारा 2 : धारा (11) उपधारा (1) के परियोजनों के लिए स्वामी के लिए यह माना जायेगा कि उसने अपराध किया है, यदि वह ऐसे अपराध के निवारण की दृष्टि से युक्तियुक्त सावधानी तथा देखरेख में चूक करता है,

परन्तु जब स्वामी निर्दयता की अनुमति देने के लिए केवल इसलिए दोषी ठहराया जाता है कि ऐसी सावधानी बरतने में तथा देखरेख करने में उससे चूक हुई है तो वह अर्थदण्ड के विकल्प के बिना कारावास के दण्ड का भागी होगा।

धारा 11 उपधारा 3: धारा (11) के अन्तर्गत कोई बात –

(खण्ड-क) – निर्दिष्ट रीति में किसी पशु के सींग काटने अथवा बधिया करने अथवा दाहांकित करने अथवा नकेल बांधने के प्रति अथवा

(खण्ड-ख) – वध-शालाओं में अथवा न्यूनतम पीडा वाले अन्य उपायों द्वारा आवारा कुत्तों के विनाश के प्रति अथवा

(खण्ड-ग) – तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के प्राधिकार के अधीन किसी पशु उन्मूलन या विनाश के प्रति अथवा

(खण्ड-घ) – अध्याय 4 विषयक (देह विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान की वृद्धि के प्रयोजनार्थ पशुओं पर परीक्षण) किसी मामले के प्रति अथवा

(खण्ड-ङ) – मनुष्यों के लिए भोजन के रूप में पशु के विनाश या विनाश हेतु तैयारी के क्रम में किसी कार्य के लिए जाने या उसके लोप के प्रति, जब तब कि उस विनाश की तैयारी में अनावश्यक पीडा या यातना पहुंचाये जाने का योग न हो, लागू नहीं होगा।

धारा 12- फूका या दूमदेव के प्रयोग के लिए दण्ड –

यदि कोई व्यक्ति किसी गाय या अन्य दूध देने वाले पशु पर फूका या दूमदेव कहलाने वाली क्रिया का प्रयोग करता है अथवा अपने कब्जे के अधीन नियंत्रणाधीन ऐसे पशु पर ऐसी क्रिया होने देता है तो वह जुर्माने से जो रुपये 1000.00 तक हो सकता है अथवा तो वर्ष की अवधि के कारावास से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा और उस पशु को जिस पर ऐसी क्रिया अपनायी गई है सरकार के पक्ष में समपहरण (Forfeited) कर लिया जायेगा।

* धारा 12 के अन्तर्गत अपराध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 31 के अन्तर्गत प्रसंज्ञेय (Cognizable) अपराध है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार दण्डनीय अपराध है।

धारा 13 – पीडित पशुओं का विनाश –

उपधारा – 1 – जब किसी पशु के स्वामी को धारा 11 के अधीन दोषी ठहराया जाता है। तब न्यायालय के लिए, यदि समाधान हो जावे कि उस पशु को जीवित रखना क्रूरतापूर्ण होगा, यह निर्देश देना कि वह पशु विनष्ट कर दिया जाय तथा उस प्रयोजन के लिए उस पशु को किसी उपयुक्त व्यक्ति को सौंप देना विधिसम्मत होगा और वह व्यक्ति जिसको कि ऐसा पशु इस प्रकार से सौंपा जाय, यथासम्भव शीघ्र ऐसे पशु को अनावश्यक यातना के बिना विनष्ट करेगा या अपनी उपस्थिति में विनष्ट करवायेगा और न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया जायेगा कि उस पशु को विनष्ट करने में होने वाला कोई भी युक्तियुक्त परिव्यय स्वामी से वसूल किया जाय मानो कि वह जुर्माना हो। परन्तु जब तक कि स्वामी उसके लिए सहमत न हो इस धारा के अधीन कोई आदेश उस क्षेत्र के भारसाधक पशु चिकित्सा सम्बन्धी पदाधिकारी की साक्ष्य के अतिरिक्त नहीं दिया जायेगा।

उपधारा – 2 : जब किसी मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक के पास यह विश्वास करने का कारण हों कि किसी पशु के सम्बन्ध में धारा 11 के अधीन अपराध किया गया है तो वह यदि उसके विचार से पशु को जीवित रखना क्रूरतापूर्ण होगा उस पशु के तत्काल विनाश का आदेश दे सकेगा।

उपधारा – 3 : आरक्षक की श्रेणी से उपर कोई पुलिस पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति जो किसी पशु को इतना रोगग्रस्त या इतने गम्भीर रूप से घायल अथवा ऐसी शारीरिक अवस्था में पाता है कि उसके विचार में क्रूरता के बिना उसे हटाया नहीं जा सकता है यदि स्वामी अनुपस्थित हो या उस पशु के विनाश के लिए स्वीकृति देने से इन्कार करता है, तत्काल उस क्षेत्र के पशु चिकित्सा पदाधिकारी को, जहां कि पशु पाया जाता है, बुलवायेगा और यदि वह पशु चिकित्सा पदाधिकारी यह प्रमाणीकृत करता है कि वह पशु घातक रूप से घायल है अथवा इतने गम्भीर रूप से घायल है या ऐसी शारीरिक अवस्था में है कि उसे जीवित रखना क्रूरतापूर्ण होगा, तो यथास्थिति वह पुलिस पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति, मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त करने के पश्चात घायल पशु को विनष्ट कर सकेगा या विनष्ट करा सकेगा।

उपधारा – 4 : पशु के विनाश के लिए मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी।

धारा – 40 : अभयदान – ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक है या समझा जाता है कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए नहीं की जायेगी।

मैनुअल-5



मैनुअल- 5 से सम्बन्धित अभिलेख

- 1- बोर्ड का पंजीकरण प्रमाण-पत्र
- 2- बोर्ड की नियमावली एवं स्मृति पत्र
- 3- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960
- 4- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत नियम
- 5- उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007
- 6- उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण नियमावली, 2011
- 7- उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2015

मैनुअल-5

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित
या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों
के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये
नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और
अभिलेख



उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड,
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोवाला देहरादून।
देहरादून- 248001

फोन नं० - (0135) 2532850 फैक्स नं० (0135) 2532811

5- अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख-

लोक प्राधिकरण तथा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों की सूची-

(प्रथम)

अभिलेख का नाम एवं विवरण	अभिलेख का प्रकार/अन्य जानकारी
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-दो भाग-दो-चार	नियम/विनियम
नियम/विनियम	स्थापना, अवकाश प्रकरण, वेतन निर्धारण, आदि से सम्बन्धित नियम
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं	1- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सम्बन्धित जनपद 2- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, पशुधन भवन, मोथरोंवाला रोड, देहरादून।
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)	---

(द्वितीय)

अभिलेख का नाम एवं विवरण	अभिलेख का प्रकार/अन्य जानकारी
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-तीन	नियम/विनियम
नियम/विनियम	यात्रा भत्ता से सम्बन्धित
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं	1- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सम्बन्धित जनपद 2- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, पशुधन भवन, मोथरोंवाला रोड, देहरादून।
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)	---

(तृतीय)

अभिलेख का नाम एवं विवरण	अभिलेख का प्रकार/अन्य जानकारी
वित्त नियम संग्रह खण्ड-पांच	नियम/विनियम
नियम/विनियम	यात्रा भत्ता से सम्बन्धित
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं	1- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सम्बन्धित जनपद 2- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, पशुधन भवन, मोथ्रोंवाला रोड, देहरादून।
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)	---

(चतुर्थ)

अभिलेख का नाम एवं विवरण	अभिलेख का प्रकार/अन्य जानकारी
पशुपालन विभाग की नियमावली	नियम/विनियम
नियम/विनियम	यात्रा भत्ता से सम्बन्धित
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं	1- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सम्बन्धित जनपद 2- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, पशुधन भवन, मोथ्रोंवाला रोड, देहरादून।
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)	---

(पंचम)

अभिलेख का नाम एवं विवरण	अभिलेख का प्रकार/अन्य जानकारी
उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड से सम्बन्धित शासनादेशों का संकलन	बोर्ड के स्थापना के बाद जारी शासनादेशों का संग्रह
नियम/विनियम	स्थापना/लेखा/बजट/यात्रा भत्ता इत्यादि से सम्बन्धित विषय।
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं	1- प्रभारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, पशुधन भवन, मोथ्रोंवाला रोड, देहरादून। 2- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, पशुधन भवन, मोथ्रोंवाला रोड, देहरादून। 3- सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, पशुधन भवन, मोथ्रोंवाला रोड, देहरादून। 3- सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)	---

mRRkjk[k.M xko'k Iij{k.k vf/kfu;e] 2007]

+
mRRkjk[k.M xko'k Iij{k.k ¼ Ii'kk/ku½ vf/kfu;e] 2015]

+
mRRkjk[k.M xko'k Iij{k.k fu;ekoyh] 2011]

o

mRRkjk[k.M xko'k Iij{k.k ¼ Ii'kk/ku½ fu;ekoyh] 201!]

शासनादेश

संख्या - 169/XV-1/2(3)/2006

प्रेषक,
डा० रणवीर सिंह,
सचिव,
उत्तरांचल शासन,
सेवा में,
सदस्य सचिव,
राज्य पशु कल्याण परिषद,
देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 09 जनवरी, 2007

विषय :- राज्य पशु कल्याण परिषद का मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि राज्य पशु कल्याण परिषद का मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि पशु कल्याण परिषद के सम्बन्ध में संलग्न एसोसिएशन के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा० रणवीर सिंह)
सचिव

संख्या - (1)/XV-1/2(3)/2006- तद्दिनांक।

प्रतिपि लि निम्नलिखित को सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी (विभागीय मंत्री)।
2. निजी सचिव, मा० अध्यक्ष/कार्यकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य पशु कल्याण परिषद।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।
5. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल।
6. आयुक्त, कुमाँयू मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

(डा० रणवीर सिंह)
सचिव

UTTARKHAND ANIMAL WELFARE BOARD

Memorandum of Association

- 1. Name of the Board :-** The Board shall be Uttarakhand Animal Welfare Board (UAWB)
- 2. Office of the Board :-** The office of the board shall be situated at Pashulok in district Dehradun with the liability to be transferred any where in the state as per the state Government instructions.
- 3. Location :-** Pashulok, Rishikesh, Dheradun.
- 4. Address :-** Uttarakhand Animal Welfare Board, Pashulok Rishikesh, Distt-Dehradun.
- 5. Essential Character :-** The Board is a corporate body composed of its members with rights, powers, privileges and responsibilities provided for from time to time by the law of the country. The Board, shall be a Body Corporate having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions to acquire, hold and dispose of property and may by its name sue and be sued.
- 6. The Objectives :-** The purpose of the Board shall be to prevent the infliction of unnecessary pain or suffering on animals and for the purpose to amend the law relating to the Prevention of Cruelty to Animals, 1960. To introduce, Promote and adopt appropriate technology for improving their production and to arrange, organize and undertake all activities relating to, and necessary for reducing pain or sufferings in the state.
- 7. The Functions of the Board :-** The objectives of the Board shall be to promote Animal Welfare in general and advise the State Government in all matters concerning animal welfare.

7.1 To keep the law in force in, India for the prevention of cruelty to animal under constant study and advise the Government on the amendment to be undertaken in any such law from time to time ;

7.2 To advise the State Government on the making of rules under Act with a view to preventing unnecessary pain or suffering to animals generally, and more particularly when they being transported from one place to another or when they are used as performing animals or when they are kept in captivity or confinement;

7.3 To advise the Government or any local authority or other person on improvements in the design of vehicles so as to sellen the burden on draught animals;

7.4 To take all such steps as the board may think fit for amelioration of animals by encouraging or providing for, the construction of sheds, water-troughs and the like and by providing for veterinary assistance to animals;

7.5 To advise the Government or any Local Authority or other person in the design of slaughter- houses or the maintenance of slaughter houses or in connection with slaughter of animals so that unnecessary pain of suffering, whether physical or mental, is eliminated in the pre-slaughter stages as far as possible, and animal are killed, wherever necessary, in as humane a manner as possible;

7.6 To take all such steps as the Board may think fir to ensure that unwanted animals are destroyed by local authorities, whenever it is necessary to do so, either instantaneously or after being rendered insensible to pain or suffering.

7.7 To encourage by the grant of financial assistance or otherwise, the formation or establishment of pinjrapoles, recue homes, animal shelters, sanctuaries and the like where

animals and birds may find a shelter when they have become old and useless or when they need protection;

7.9 To give financial and other assistance to animal welfare organisation functioning in any local area or to encourage the formation of animal welfare organisation in any local area which shall work under the general supervision and guidance of the Board;

7.10 To advise the State Government on matter relating to the medical care and attention, which may be provided in animal hospital and to give financial and other assistance to animal, hospitals whenever the Board thinks it necessary to do so;

7.11 To impact education in relation in collaboration with Animal Welfare Board of India to the humane treatment of animals and to encourage the formation of public opinion of animal welfare by means of lectures, books, posters, cinematographic, exhibitions and the like;

7.12 The board will advise the State Government on any matter connected with animal welfare or the prevention in infliction of unnecessary pain or suffering on animals in Animal Farms established for commercial breeding, research or experimentation in medical/veterinary research institutions in the state;

7.13 To advise the State Government for strict implementation of the Prevention of Cruelty to Animals act, 1960 in letter and spirit in the state and rules framed there under;

7.14 To encourage the formation of animal welfare organization in any local areas of the state and to issue guidelines to all N.G.O.s. Working in the state in connection with animal welfare activities and supervise their work;

7.15 Shall recognize and affiliate Animal Welfare societies/Bodies/Organizations established in the State for the purpose of preventing unnecessary pain or suffering to animals or for the protection of animals and birds and to co-operate with and co-ordinate the work and activities of all such N.G.O.s.

7.16 Shall recommend or grant financial or other assistance to N.G.O.s engaged in animal welfare activities, which shall work under the general supervision and guidance of the Board;

7.17 The board shall suggest and formulate appropriate regulations for the administration of its affairs and for carrying out its functions;

7.18 The Board shall call for any information from the State Government, Local Bodies, State Department and other Statutory Bodies pertaining to its work and also visit any place in the state for the purpose of discharge of its functions;

7.19 The Board shall deputed abroad official of animal husbandry department for higher training in the field of animal welfare and related fields beneficial in discharging their duties;

7.20 The Board under Human Education Program, shall publish a quarterly magazine Animal Welfare". The responsibility of bringing out the periodical should be that of standing committee on Humal Education.

8. Property and Assets :

The income of the Board, howsoever derived, shall be applied towards promotion of the objectives of the Board in the MOU.

9. The Government's Power :

The State Government may appoint one or more persons to review the work and progress of the Board.

10. Dissolution :

If on winding up or dissolution of the Board, there shall remain after the satisfaction of all its debts and liabilities, any assets and property, whatsoever, the same shall not be paid to or dealt with in such manner as the State Government may determine.

11. Certification :

A certified to be a true copy of the rules i.e. Article of Association of the Board by three members of the Governing Body of the board is filed along with the Memorandum of Association.

12. General Body :

We, the several persons, whose names and addresses are given below, having associated themselves for the purpose described in this Memorandum of Association, and set our several and respective hands here on to form ourselves into Board under the Society Registration Act, 1860.

S.No	Members of the Board	Status
12.1	Hon. Minister of Animal Husbandry, Govt. of UA	Ex-officio Chairperson
12.2	Principal Secretary/Forest & Rural Development Commissioner Govt. of UA	Ex-officio Member
12.3	Principal Secretary/Secy. Finance Govt. of UA	Ex-officio Member
12.4	Secretary/Addl. Secy. AH Govt. of UA	Ex-officio Member
12.5	The Principal Secretary/Secy. (Home) Govt. of UA	Ex-officio Member
12.6	The Principal Secretary/Secy, Transport, GOUA	Ex-officio Member
12.7	The Secretary, Forest, GOUA	Ex-officio Member
12.8	Secretary Animal Husbandry Govt. of UA	Ex-officio Member
12.9	The Chief Wildlife warden to Govt. of UA	Ex-officio Member
12.10	The Director, Local Bodies, Govt. of UA	Ex-officio Member
12.11	Dean, College of Veterinary Sciences, Pant Nagar	Ex-officio Member
12.12	Registrar State Veterinary council	Ex-officio Member
12.13	Director Animal Husbandry UA	Ex-officio Member
12.14	Director Animal Husbandry UA	Member
12.15	Two Hon. MLA of UA	Nominated Member
12.16	Five persons actively engaged in animal welfare work in the state	Nominated Member
12.17	Two retd. Administrative/Judicial services official	Nominated Member
12.18	Ten representative of the Gaushalas	Nominated Member
12.19	One person of President District Panchayat	Nominated Member
12.20	Two persons to represent SPCA	Nominated Member
	The Director, Dept. of Animal Husbandry Govt. of Uttaranchal/ or Chief Executive officer Appointed by the Govt. of Uttaranchal	Member Secretary

DESIROUS PERSONS : We, the several persons whose name and addresses are given below, having associated ourselves for the purposes described in this Memorandum of

Association, and set our several and respective hands here on to from our selves into Society under the Society Registration Act, 1860.

Certified to be true copy

S.No.	Name	Designation/Address	Signature
1	Smt. Vibha Puri Das	Principal Secretaty/ FRDC, Govt. of UA, Dehradun	
2	Sri. Om Prakash	Secretaty, Forest, Govt of UA, Dehradun	
3	Dr. Ranbir Singh	Secretary, AH&D Govt. of UA, Dehradun	
4	Dr. Ranbir Singh	Add. Director/Director, Dept. of AH, UA	
5	Smt. Radha Raturi	Secretaty, Finance, Govt. of UA or his nominee not below the rank of AO	
6	Sri S. Ramaswami	Transport Commissioner	
7	Sri Subrat Vishwash	Director, Local Bodies	
8	Sri S.K. Chandola	Chief Wildlife Warden, UA	
9	Dr. R.J. Shrama	Dean, College of Veterinary Science, Pantnagar (U.S. Nagar)	
10	Dr. Dilbagh Singh	Additional Secretary, Govt. of UA	
11	Dr. R.P. Bahuguna	Member Secretary	

Article of Association of Uttarakhand Animal Welfare Board

1. Short title, extent and Commencement

1.1 Name of the Board :

The Board may be called the Uttarakhand Animal Welfare Board.

1.2 These Rules may be called Uttarakhand Animals Welfare Board (UAWB) Rules 2006.

1.3 It extends to the whole of Uttarakhand State.

2. Office of the Board :

The office of Uttarakhand Animal Welfare Board shall be situated in District Dehradun.

3. Definition :

In these Rules, unless the context otherwise requires, words or expressions contained but not defined in these rules shall bear the same meaning as in the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 or any modification thereof in force on the date published in the official Gazette of Uttaranchal.

3.1 "Act" means the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960).

3.2 "Chairman" shall mean the Chairman of Uttanchal Animal Welfare Board.

3.3 "Member" shall means the members of Uttaranchal Animal Welfare Board.

3.4 "Executive Committee" shall mean the executive committee for the time being constituted under the Rules of the Board.

3.5 "Member Secretary" shall mean the Member Secretary of the Board.

4. Headquarters of the Board :

The Headquarter of the Board shall be in District Dehradun.

5. Constitution of the Board

The following shall be the member of the Board. Nominations as required shall be made by Government of Uttaranchal with the consultation of the Chairman of the Board. The Board shall consist of the following persons

S.No.	Members of the Board	Status
5.1	Hon. Minister of Animal Husbandry & Fisheries, Govt. of Uttaranchal	Chariperson
5.2	The Forest & Rural Development Commissioner, Govt. of Uttaranchal.	Ex-officio Member
5.3	Principal Secretary/Secy Finance, Govt. of UA	Ex-officio Member
5.4	Secretary/Addl Secy, AH Govt. of UA	Ex-officio Member
5.5	The Principal Secretary/Secy (Home), Govt. of UA	Ex-officio Member
5.6	The Principal Secretary/Secy, Transport, GOUA	Ex-officio Member
5.7	The Secretary, Forest, GOUA	Ex-officio Member
5.8	Secretary, Animal Husbandry, Govt of UA	Ex-officio Member
5.9	The Chief Wildlife Warden to Govt. of UA	Ex-officio Member
5.10	The Director, Local Bodies, Govt. of UA	Ex-officio Member
5.11	Dean, College of Veterinay Sciences, Pant Nagar	Ex-officio Member
5.12	Registrar, State Veterinary Council	Ex-officio Member
5.13	Director Education Govt. of UA	Ex-officio Member
5.14	An officer appointed by Government of Uttaranchal not below the Rank of CVO	Member Secretary
5.15	Two Hon. MLA of UA	Nominated Member
5.16	Five persons actively engaged in animal welfare work in the state	Nominated Member
5.17	Two retd. Administrative/Judicial services official	Nominated Member
5.18	Ten representative of the Gaushalas	Nominated Member
5.19	One person of President District Panchayat	Nominated Member
5.20	Two persons to represent SPCA	Nominated Member
5.21	The Director, Dept. of Animal Husbandry, Govt of UA/ or Chief Executive Officer Appointed by the Govt. of UA	Member Secretaty

Note : Number of nominated members may be changed by the State Government.

6. Cancellation of registration of the Board :

- (A) The term office of the Member elected or chosen under clause 5.3 to 5.15 of clause 5 represent anybody of persons shall come to and end as soon as he ceases to be a Member of the body, which elected him or in respect of which he was chosen.
- (B) Remaining period is the term of office of a Memner appointed, nominated or elected to fill a casual vacancy shall continue for the remainder of the term of office of the Member in whose place he is appointed or elected or chosen.
- (C) The State Government may at its discretion remove the member from the Board without aniguety any reason.
- (D) A member of the Board shall cease to be a member if he dies or resigns his membership or becomes of unsound mind or insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude.

6.1 The member of the Board shall receive such allowance, if any, as the Board may, subject to the prior approval of the State Government.

6.2 No act done or proceeding taken by the Board shall be questioned on the ground merely of the existence of any vacancy in, or defect in the constitution of the Board and in particular, and without prejudice to the generality of the foregoing, during the period intervening between the expiry of the term for which the Board has been constituted under clause 5, the ex-officio members of the Board shall discharge all the powers and function of the Board.

6.3 Vice Chairperson – The State Government may nominate one of the members of the Board to be its Vice Chairperson. The Vice Chairperson shall exercise such powers and perform such functions as the Chairperson may, with the prior approval of the State Government, delegate to him/her from time to time.

7 Administration of the Board

7.1 The Board shall meet at least twice in a year in any place as may be decided by the chairperson.

7.2 The Chairperson of the Board will preside over the meeting of the General Body. In the absence of the Chairperson, the Vice Chairperson will preside over the meeting.

7.3 The quorum for the Board meeting will be 1/3rd of the total sitting members.

7.4 The meeting will be held 15 days prior notice. Chairperson can call an emergency meeting at any time.

7.5 Minutes of the Board's meeting will be recorded by the Member Secretary/ Chief Executive Officer. Minutes will be circulated to all members and concerned organisation. Minutes approved by the Board will be forwarded to the State Government by Member Secretary/ Chief Executive Officer of the Board.

7.6 The Member Secretary/Chief Executive Officer of the Board will prepare the budget in advance in the month of October each financial year.

7.7 Non-official members of the Board will be entitled to traveling daily allowances as per standing rules of the State Government.

7.8 Any recommendation made by the Board will be given effect only after approval of the State Government.

8 The Executive Committee :

8.1 The Executive Committee, to whom by the rules of board, the management of its affairs is entrusted, will consist of the following as member, namely :-

S. No	Name	Address	Position	Signature
1	Smt. Vibha Puri Das	Principal Secretary/ Forest & Rural Development Commissioner, Govt of UA	Chairman	
2	Dr. Ranbir Singh	Secretary, Animal Husbandry	Vice-Chairman	
3	Smt. Radha Raturi	Secretary, Finance, Govt. of UA or his nominee not below the rank of AO	Ex-officio Member	
4	Smt. Kanchan Chaudhary Bhattacharya	Director, General of Police of UA or his nominee not below the rank of ADG	Ex-officio Member	
5	Sri. S. Ramaswami	Transport Commissioner	Ex-officio Member	
6	Sri. Subrat Vishwash	Director, Local Bodies	Ex-officio Member	
7	Sri. S.K. Chandola	Chief Wildlife Warden, Uttatanchal	Ex-officio Member	
8	Dr. R.J. Shrama	Dean, College of Veterinary Science, Pant Nagar(US Nagar)	Ex-officio Member	
9	One representative of SPCA	Nominated		
10	Dr. Ranbir Singh	Director, Animal Husbandry, UA		
11	Dr. R.P. Bahuguna	Joint Director (Head Quarter), Govt. of Uttaranchal		

8.2 The executive committee will be called maximum four times in a tenure of one year at a place as decided by the chairman or when it is required.

8.3 The term of office of an ex-officio Member of executive committee shall continue so long as he hold the office by virtue of which he is such a Member.

8.4 In the absence of Chairperson, Vice Chairperson may preside over the meeting of the executive committee.

8.5 The executive committee shall constitute any number of standing committees on specific matters, as and when required. On each such committee apart from 2-3 members of the Board an expert/specialist may be invited for expert opinion on the subject.

8.6 The quorum for executive committee meeting will be 1/3rd of the total sitting members.

8.7 The meeting of the Executive Committee meeting will be held 7 day prior notice.

8.8 The Executive Committee of the Board shall be entitled to exercise all such powers and to do all such acts and duties as the Board is authorized to exercise.

8.9 The Executive Committee may recommend to Government regarding making amendment or repeal any bye-laws related to administration and management of the Board.

8.10 To provide and arrange for training of all categories of personal engaged in the field of animal welfare.

Power of Executive Committee :

A. To create any post, provide that no post is created without prior approval of the Government; as the case may be.

B To appoints at its discretion, remove retire or suspend such officers, clerks and employees in special services, as it may from time to time think fit and to determine their powers and duties and fix their emoluments provided that if the officers and other employees are regular Government Employees of the Animal Husbandry Department or on the deputation the service shall be regulated in accordance with the provisions of service Rules Disciplinary and Appeal Rules prevalent in the state.

C. To institute, conduct, defend, compound and abandon any legal proceeding by or against the board or its officers or otherwise concerning the affairs of board and also to compound and allow time for payment or satisfaction of any claims or demands by or against the Board.

D. The powes vest with Member Secretary release and other discharges for money payable to the board and for the claims and demands of the board.

E. Subject to the overall controal and policies of the Government, to develop and frame specific policies, lay down and enforce timely action schedule programme and methods for the implementation of the polices and to direct their administration and speedy excution in the most economic way.

F. To prescribe policy and lay down procedure/guidelines for the operation of the Board.

G. To ensure the due observance of codes of discipline at all levels by the employees of the Board.

H. Approve Annual Budget estimate and to establish sound accounting, costing and financial in keeping with the general directives of the government and any other directives that may be issued from time to time and to review and consider inspection notes, balance-sheet etc. subject to the provision of these articles.

I Duties and Powers of Executive Committees :-

The Committees hall cause minutes of the proceeding to be recorded in books provided for duties and powers of Executive Committee.

1. Of all appointments of officers made at the meeting showing also the remuneration to be paid respectively to them.

2. Of all names of the member present at each meeting of the committee and of any committee of the members.

3. Of the names of the members, if any, dissention form or not concurring in any resolution passed at a meeting.

Quorum for Transaction of Business of the Executive Committee :-

A. Questions arising at any meeting of committees shall be determined by a majority of votes of the members present and in case of an equality of votes the Chairperson shall have a second or casting vote.

9 Funds, Accounts and Audit of the Board :-

9.1 The funds of the Board shall consist of grants made to it from time to time by the Government and of contributions, subscriptions, bequests, gifts and the like made to it by and local authority or by any other person.

9.2 Recurring and non-recurring grants made by the State/Central Government. for the furtherance of the objectives of the Board.

9.3 Income from other sources.

9.4 Such other amount as General Body/Executive Committee may decide to divert from the regular fund to special fund.

9.5 The books of accounts shall be kept at the registered office of the board or at such a place as the executive committee shall think fit and shall be open to inspection by the members of the Executive Committee during office hours.

9.6 The Member Secretary will be responsible for the maintenance of the accounts.

9.7 The executive Committee shall appoint an auditor to examine the Board's account and record from time to time and certified balance will be produced in general body meeting.

9.8 The auditors of the board have the right to attend the meeting and shall be entitled to receive the notice of the general body meeting.

9.9 Copies of the annual accounts of the Fund duly audited and certified by the member secretary of the board submitted to the Government of Uttaranchal of every year in the 1st Quarter of the next financial year.

10 Powers of Member Secretary :-

10.1 All financial and Administrative powers will resume with the Member Secretary.

10.2 The member Secretary will be supervised by and responsible to the General Body and the Executive Committee.

10.3 The Member Secretary will have liaison with the State Government, Department of Animal Husbandry & Dairying, Government of India other relevant department of State Government, Animal Welfare Board of India, Ministry of Environment & Forest, Government of India, Office International Epizooties (OIE), Paris, France.

10.4 The Member Secretary shall also perform such functions as may be delegated to him by the board, Chairman and/ or by the executive committee from time to time Member Secretary shall be responsible for the routine management of the Board.

10.5 The Member Secretary will have overall responsibility for planning and executing the work of Secretarial, for supervising the work of various committees, directing and overseeing implementation of various tasks through Animals Husbandry Department officers.

10.6 The Member Secretary shall also perform such functions as may be delegated to him/ her by the board, Chairman and/ or Executive Committees for time to time.

11 Standing Committee :-

11.1 The following Standing Committee for suggesting amendments of Transport of Animal, Registration of cattle premises, Training in Animal Welfare, ABC Program, SPCA Registration, NGO affiliation and Experimentation on animals may be constituted.

11.2 Recommendations made by the Executive/Standing Committee will be forwarded to the Member Secretary/Chief Executive Officer of the Board, who will place the same on the agenda for the next meeting of the board.

12 Duties of Member Secretary :-

12.1 The Board shall keep proper books of accounts of all sums of money received and source thereof, all sums of money expended by the Board and the purpose for which such sums are expended.

12.2 The records of Boards assets and liabilities.

12.3 The other records will include Agenda Register, Membership Register, Proceeding Register, Cash Book, Record of Accounts, Disbursements and Dead Stoct Register.

13 Modification of Objective :

13.1 The Board may alter and extend the purpose as per decision of the Executive Committee/ General Body Meeting.

14 Modification of the Articles/Regulation :-

14.1 The Rules may be altered or canceled by the resolution passed by a majority of two third of the members present at a general body meeting of the board convened for the purpose. Rule can be modified, amended or repealed Suo moto on the recommendation of the Governement.

14.2 The Modified Regulations will be deemed to have enforced in accordance with the provisions of the Board.

15 Change of Membership :-

15.1 The membership of General Body may be added, altered by a resolution of the General Body and there after and approval of the State Governemnt.

15.2 The members of Executive Committee may be added, altered by a resolution of the Executive Committee, there after an approval of the General Body and State Government.

16 Dissolution of the Board :-

16.1 The Board may resolve by a three fourth majority of th votes given at the meeting convened for that purpose, to dissolve the society provided that due notive of such resolutions have been given to the Members of the Board in accordance with the procedure laid down in thae behalf b the Society Registration Act, 1860 and provided that the prior approval of the Government of Uttaranchal for such dissolution had been taken.

17 Miscellaneous :-

17.1 Notwithstanding any thing contained in these Articles, all submissions and references to be made to the Government under any of these Articles shall be made through the Department of Animal Husbandry, Government of Uttaranchal, Dehradun.

मैनुअल-6

ऐसे दस्तावेजों के जो उनके द्वारा
धारित या उनके नियंत्रणाधीन हैं,
प्रवर्गों का विवरण



उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड,
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोवाला देहरादून।
देहरादून- 248001

फोन नं० - (0135) 2532850 फैक्स नं० (0135) 2532811

6- ऐसे दस्तावेजों के जो उनके द्वारा धारित या उनके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण-

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड कार्यालय शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोंवाला, देहरादून में निम्न दस्तावेज उपलब्ध है -

क- पंजिकायें :

1. उपस्थिति पंजिका (राजकीय सेवक)
2. उपस्थिति पंजिका (सेवादायी संस्था कर्मी)
3. यात्रा/भ्रमण पंजिका
4. डाक डिस्पैच पंजिका
5. डाक टिकट पंजिका
6. जनरल स्टॉक बुक
7. बजट नियंत्रण पंजिका
8. डैड स्टॉक बुक
9. लेखन सामग्री पंजिका

ख- पत्रावलियां-

1	योगदान आख्या, कार्मिकों की मांग, स्थानान्तरण/स्थगन से सम्बन्धित
2	वेतन आहरण मांग पत्र से सम्बन्धित
3	दूरभाष/विद्युत/जल/जलकर देयक से सम्बन्धित
4	जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समितियों से सम्बन्धित
5	विविध विषयों से सम्बन्धित
6	शासनादेशों के संकलन से सम्बन्धित
7	कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं से सम्बन्धित
8	बजट मांग/स्वीकृति/आहरण वितरण से सम्बन्धित
9	भुगतान हेतु प्राप्त देयकों से सम्बन्धित
10	भवन किराये की स्वीकृति से सम्बन्धित
11	अधिकांसी कमेटी की बैठकों से सम्बन्धित
12	बोर्ड के सदस्यों द्वारा कृत कार्यवाही रिपोर्ट से सम्बन्धित
13	राजकीय सेवकों की अत्याधिक अभाव की दशा में कार्मिकों के मांग से सम्बन्धित।
14	पशु कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवायें दे रहे व्यक्तियों/संस्थाओं को सम्मानित किये जाने से सम्बन्धित।
15	सचिव उ0रा0प0क0 बोर्ड को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रकरणों से सम्बन्धित।
16	बोर्ड की कार्य योजना से सम्बन्धित।
17	बोर्ड की नियमावली तथा एस0पी0सी0ए0 हेतु नियमावली तैयार करवाने सम्बन्धित।
18	बोर्ड के शासनादेशों, नियमों-उपनियमों एवं बाई-लॉ से सम्बन्धित।
19	अधिकांसी कमेटी तथा अन्य बैठकों के कार्यवृत्त के संकलन से सम्बन्धित।
20	मानदेय की स्वीकृति से सम्बन्धित।
21	बोर्ड की मा0 महानुभावों द्वारा कृत कार्यवाहियों तथा समाचार पत्रों की कटिंग्स से सम्बन्धित।
22	पशु बली कुप्रथा उन्मूलन से सम्बन्धित।
23	विभिन्न अधिनियमों एवं उनके अधीन नियमों/उपनियमों के संग्रह से सम्बन्धित।
24	विज्ञापनों हेतु आवेदन/विज्ञापन आदेश/विज्ञापन सामग्री से सम्बन्धित।

25	बोर्ड की मा0 महानुभाव श्रीमती सरिता नेगी से सम्बन्धित।
26	क्रय आदेशों से सम्बन्धित।
27	विज्ञापनों के क्रय-विक्रय से सम्बन्धित।
28	उत्तराखण्ड सूचना आयोग से सम्बन्धित।
29	भुगतान प्रक्रिया से सम्बन्धित।
30	श्रीमती संगूरी से सम्बन्धित।
31	श्रीमती सरिता नेगी से सम्बन्धित।
32	कोटेशन प्रक्रिया से सम्बन्धित।
33	भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड से सम्बन्धित।
34	उत्तराखण्ड भेड एवं ऊन विकास बोर्ड से सम्बन्धित पत्र।
35	एल0सी0डी0 से सम्बन्धित।
36	पलेक्स साईन बोर्ड से सम्बन्धित।
37	बोर्ड द्वारा वितरित प्रचार-प्रसार/साहित्य सामग्री से सम्बन्धित।
38	कार्यालय सामग्री का सर्विसिंग से सम्बन्धित।
39	उत्तराखण्ड में गो-सेवा आयोग स्थापना से सम्बन्धित।
40	उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड के रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित।
41	ऑडिट से सम्बन्धित।
42	उत्तराखण्ड गो-वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 से सम्बन्धित।
43	मा0 अदालतों में विचाराधीन प्रकरणों से सम्बन्धित।
44	यात्रा भत्ता से सम्बन्धित।
45	बोर्ड की मा0 उपाध्यक्ष श्रीमती शांती मेहरा से सम्बन्धित।
46	बोर्ड की मा0 उपाध्यक्ष श्रीमती बीना बिष्ट से सम्बन्धित।
47	विज्ञापनों के देयक से सम्बन्धित।
48	कानपुर गोशाला सोसाईटी से सम्बन्धित।
49	विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा अनुदान मांग से सम्बन्धित।
50	परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित।
51	अवकाश विवरण से सम्बन्धित।
52	गो-सदनों की स्थापना हेतु आवदन प्रपत्र से सम्बन्धित।
53	ए0बी0सी0 के प्रस्ताव से सम्बन्धित।
54	JNNURM
55	Quarterly Progress Report, PCA Act, 1960 Implementation
56	CPCSEA
57	NGO Recognised
58	गो-मूत्र अर्क संयंत्र
59	पंचगव्य उत्पाद
60	Agenda File
61	Audit Metters
62	गोबर गैस प्लान्ट हेतु आवेदन
63	Mohaans Trade Fair
64	I.L.R.I.
65	पशुबलि
67	बृहद गोसदन
68	प्रदर्शनी हेतु पशुओं की जांच
69	वन पंचायत गोसदन
70	Bank Account Fill
71	Animal Welfare Government of India
72	गोवंश तस्करी/ बिक्री रोकने सम्बन्ध
73	Slaughter House

74	सब कमेटी
75	मा० मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र
76	मा०पशुपालन मंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र
77	ATR
78	AWBI
79	Executive Committee 22 Sept. 2012
80	विधि परामर्श
81	शुष्क डेरी
82	Letter of FRDC
83	चरित्र प्रविष्टि
84	एनीमल लिपिटिंग वैन
85	लेखा समायोजन
86	PFA गौरी मौलेखी
87	पत्रिका भुगतान प्राप्त
88	मुख्य सचिव
89	बिलों को वापस करने
90	मासिक प्रगति आख्या
91	भवन अधिग्रहण
92	Note Sheet Approval
93	वित्तीय कार्यक्रम
94	व्यक्तिगत पत्रावली
95	SPCA की रसीद
96	M.P, MLA निधि से गो सदनों को सहायता धनराशि
97	विधान सभा प्रश्न एसेम्बली
98	सेवा का अधिकार अधिनियम 2011
99	सिटीजन चार्टर
100	गोवंश के पंजीकरण व चिन्हीकरण
101	MDEF वित्तीय वर्ष हेतु केन्द्रीय बजट मांग
102	समायोजन आख्या
103	स्मार्ट कार्ड
104	ई प्रोक्योरमेन्ट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु पत्रावली
105	डोईवाला बैल मण्डी
106	Ukd AWB पदोन्नती
107	नगर निगम देहरादून
108	Media
109	टेलीफोन डाइरेक्टरी
110	वेबसाइट
111	Income Tax 2011-12
112	पूनम सिंह सोबती को-ऑप्टेड सदस्य रिपोर्ट सम्बन्धित
113	AWBI Training
114	पशुधन नीति
115	गोवंश के भरण पोषण हेतु आवेदन
116	गोवंश के भरण पोषण हेतु प्रकरण के अनुदान के क्रम उपयोगिता प्रमाण पत्र
117	कम्प्यूटर/फैक्स/फोटो स्टेट मशीन से सम्बन्धित पत्रावली
118	मनरेगा गोसदन पत्रावली
119	मेनका गांधी मा० संसद सदस्य
120	LTC TTA बिल हेतु

121	गोवंश संरक्षण निधि
122	आर०के०वी०वाई० के गोशाला निर्माण बजट का समायोजन
123	गोसदनों को 2012-13 में भरण-पोषण मद में बजट का समायोजन आख्या
124	नोडल अधिकारी निबन्धक गोशाला से सम्बन्धित पत्रावली
125	निदेशालस पत्रावली
126	W.S.P.A.
127	S.P.C.A. हेतु AWBI. से बजट मांग
128	ईयर टैग से सम्बन्धित पत्रावली
129	PFA सफरपुर रुडकी
130	डॉग ब्रीडर्स से सम्बन्धित पत्रावली
131	M.D.D.A से सम्बन्धित पत्रावली
132	बोर्ड के ढांचे के क्रम में
133	भारतीय वन्य जीव संस्थान प्रशिक्षण से सम्बन्धित पत्रावली
134	नियोजन विभाग से सम्बन्धित पत्रावली
135	ए०बी०सी० प्रोग्राम से सम्बन्धित पत्रावली
136	वन गुर्जर से सम्बन्धित पत्रावली
137	Non SCS
138	राष्ट्रीय पशुकल्याण संस्थान बल्लभगढ़ प्रशिक्षण
139	विधि विज्ञान प्रयोगशाला पत्रावली
140	Animal census पत्रावली
141	NTCA ABC
142	ग्राम सभा गोसदन
143	NASP
144	प्रधामंत्री सम्बन्धित पत्रावली
145	बन्दरों के समाधान हेतु
146	पुलिस विभाग से सम्बन्धित
147	गोचर भूमि
148	गोवंष पंजीकरण पत्रावली
149	गोकुल ग्राम प्रोजेक्ट
150	कांजी हाउस केदारपुरम पत्रावली
151	अश्व वंशीय पशु पत्रावली
152	अन्तर विभागीय त्रैमासिक बैठक पत्रावली
153	झारखण्ड पशु कल्याण बोर्ड पत्रावली
154	HSI
155	मान्यता पत्रावली
156	दैवीय आपदा
157	लोक सभा प्रज्ञ पत्रावली
158	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद
159	राज्य मानवाधिकार आयोग
160	UJALA
161	Writ 134/2016
162	HC 1526/2016
163	Dehradun Zoo/ Malsi Dear Park
164	औषधि क्रय पत्रावली
165	कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड
166	पशुकूरता प्रकरण

167	आई०सी०ए०आर० पत्रावली
168	निराश्रित पशुओं हेतु निःशुल्क चिकित्सा
169	विधानसभा गोसदन
170	सी०एस०आर०
171	मुख्यमंत्री डैश बोर्ड पत्रावली
172	डी०जी०पी० पत्रावली
173	पी०एफ०एम०एस० पत्रावली
174	जी०एस०टी०
175	कांजी हाउस गोषाला पत्रावली
176	संयुक्त निदेशक, उ०प०क० बोर्ड पत्रावली
177	FIAPO पत्रावली
178	विद्युत बिल पत्रावली
179	एकाउन्ट से सम्बन्धित पत्रावली
180	रजिस्ट्रार UVC
181	वन विभाग से सम्बन्धित पत्रावली
182	Pet Shop Rules
183	Pet Shop Registration
184	मत्स्य पशुपालन एवं डेरी विकास मंत्रालय पत्रावली
185	पशुधन कौतिक
186	डॉग शो पत्रावली
187	व्यवसायिक डेरी परिसरों के पंजीकरण पत्रावली
188	नीति आयोग पत्रावली

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड के आहरण-वितरण अधिकारी पशुपालन निदेशालय देहरादून के कार्यालय में निम्न अभिलेख उपलब्ध है -

क- पंजिकायें :

1. बजट पंजिका
2. आकस्मिक देयक पंजिका
3. रोकड़ बही पंजिका
4. कैश रिस्पिट बुक
5. बिल भुगतान पंजिका
6. बैंक ड्राफ्ट पंजिका

मैनुअल-7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है



उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड,
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोवाला देहरादून।
देहरादून- 248001

फोन नं० - (0135) 2532850 फैक्स नं० (0135) 2532811

7- किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है

7.1 लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जनप्रतिनिधि का परामर्श/भागीदारी का प्राविधान-

क्रमांक	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है?	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1-	योजना का निर्माण	हां	बोर्ड की 36 सदस्सीय गवर्निंग बाडी में 22 नामित सदस्य समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते है, जिनमें से 10 गोशाला प्रतिनिधि, 5 पशु प्रेमी, 2 मा0 विधायकगण, 2 सेवानिवृत्त प्रशासनिक/न्यायिक सेवाओं के अधिकारी, 1 जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति के प्रतिनिधि सदस्य तथा 1 मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। वर्तमान में 20 नामित सदस्य शासन द्वारा नामित किये जा चुके हैं। शेष 2 नामित सदस्यों को नामित किये जाने की कार्यवाही शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

7.2 नीति के कार्यान्वयन हेतु-

लोक प्राधिकरण हेतु नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जनप्रतिनिधियों का परामर्श/भागीदारी का प्राविधान

क्रमांक	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है?	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1-	योजना का निर्माण	हां	बोर्ड की 36 सदस्सीय गवर्निंग बाडी में 22 नामित सदस्य समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते है।

मैनुअल-8

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी



उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड,
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोवाला देहरादून।
देहरादून- 248001

फोन नं० - (0135) 2532850 फैक्स नं० (0135) 2532811

8— बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण—

8.1 बोर्ड का संक्षिप्त विवरण—

- सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता— पशुपालन विभाग से सम्बद्ध उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोंवाला रोड, देहरादून।
- सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद्, समिति, निकाय या अन्य)— उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड।
- सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय :—
ज्ञापन वर्ष— 19 मई, 2003
स्थापना वर्ष— 23 नवम्बर 2004
संक्षिप्त उद्देश्य— सचिव पशुपालन, उत्तरांचल शासन के शासनादेश सं०— 187/पशुपालन/2003, दिनांक 19 मई, 2003 के अनुरूप पशुओं के कल्याण एवं उन पर हो रहे अत्याचार को रोकने हेतु।
- सम्बद्ध संस्था की भूमिका— कार्यकारिणी:
- स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य — मा० पशुपालन मंत्री बोर्ड के मा० पदेन अध्यक्ष हैं। 36 सदस्यीय जनरल बाडी जिसमें 22 सदस्य जनता के विभिन्न वर्गों से नामित हैं। 13 सदस्य पदेन राजकीय अधिकारी हैं।
- प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास बोर्ड की 11 सदस्यीय अधिशासी समिति के अध्यक्ष हैं तथा सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन बोर्ड की अधिशासी समिति के उपाध्यक्ष हैं। शेष 9 सदस्यों में से 1 सदस्य नामित सदस्य है तथा अन्य 8 पदेन सदस्य शासन में उच्च स्तर के प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष हैं।
- मुख्य अधिकारी का नाम— डा० के०के० जोशी (सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड)
- मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते—
 1. प्रभारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोंवाला रोड, देहरादून।
 2. आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, प्रशासनिक भवन, मोथरोंवाला रोड, देहरादून।
 3. कार्यालय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/सचिव, जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति।
 4. कार्यालय जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति।
- बैठक की आवृत्ति— बोर्ड की नियमावली में अधिशासी कमेटी की बैठक आवश्यकतानुसार वर्ष में अधिकतम चार बार आयोजित किये जाने तथा जनरल बाडी मीटिंग बोर्ड के मा० अध्यक्ष के निर्देशानुसार वर्ष दो बार आयोजित किये जाने का प्राविधान किया गया है।
- क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है — नहीं, केवल सदस्य
- क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है — हाँ।
- क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है — हाँ।
- प्रक्रिया का विवरण— प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करने पर।

मैनुअल-9

अधिकारियों और कर्मचारियों की
निदेशिका



उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड,
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोवाला देहरादून।

देहरादून- 248001

फोन नं० - (0135) 2532850 फैक्स नं० (0135) 2532811

9- अधिकारियों और कर्मचारियों की निदेशिका-

9.1 उत्तरांचल राज्य पशु कल्याण बोर्ड के केन्द्रीय कार्यालय में कार्यरत राजकीय अधिकारी/कर्मचारी

क्र०सं०	नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष सं०
1.	डा० के०के० जोशी	सचिव उ०प०क०बोर्ड / निदेशक, पशुधन भवन, मोथरोंवाला, देहरादून।	0135-2532 909
2.	डा० सत्यस्वरूप	आहरण वितरण अधिकारी, पशुधन भवन, मोथरोंवाला, देहरादून।	0135- 2532 909
3.	डा० आशुतोष जोशी	संयुक्त निदेशक/प्रभारी अधिकारी, उ०प०क०बोर्ड, पशुधन भवन, मोथरोंवाला, देहरादून।	0135- 2532 850
4.	डा० बीनू भदौरिया	पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1, उ०प०क०बोर्ड, पशुधन भवन, मोथरोंवाला, देहरादून।	0135- 2532 811
6	श्री विनीत कुमार	कनिष्ठ सहायक	0135- 2532 811
7.	श्री मोहन लाल	सफाई नायक/चौकीदार	0135- 2532 811

9.2 उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड में कार्यरत महानुभाव के साथ कार्यरत अनुवर्ती मानदेय कर्मी-

क्र०सं०	नाम	पदनाम
1.	श्री अरुण कुमार चौधरी	वैयक्तिक सहायक
2.	श्री गंगा दत्त	चतुर्थ श्रेणी

9.3 उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड कार्यालय हेतु सेवादायी संस्थाओं के माध्यम से कार्यरत कर्मी

क्र०सं०	नाम	पदनाम
1.	श्रीमती अन्जू देवी	कम्प्यूटर आपरेटर
2.	श्री राकेश चन्द रमोला	चतुर्थ श्रेणी

9.4 जिला स्तरीय पशु क्रूरता निवारण समितियों के सचिवों की निदेशिका

क्र०सं०	नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष सं०
1.	डा० शरद भण्डारी	सचिव, ज०प०क्रू०नि०स० / मुख्य पशुचिकित्साधिकारी गोपेश्वर	01372.252273
2.	डा० प्रलयंकरनाथ	सचिव, ज०प०क्रू०नि०स० / मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी	01374- 222320
3.	डा० बी०सी० कर्नाटक	सचिव, प०क्रू०नि०स० / मुख्य पशुचिकित्साधिकारी हरिद्वार	01334- 239978
4.	डा० पी०एस०रावत	सचिव, प०क्रू०नि०स० / मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, नरेन्द्र नगर टिहरी गढवाल	01376- 227296
5.	डा० षष्ठीबल्लभ पाण्डे	सचिव, प०क्रू०नि०स० / मुख्य पशुचिकित्साधिकारी देहरादून	0135-2712891
6.	डा० सुधीर कुमार सिंह	सचिव, प०क्रू०नि०स० / मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पौड़ी	01368- 223084
7.	डा० रविन्द्र चन्द्रा	सचिव, प०क्रू०नि०स० / मुख्य पशुचिकित्साधिकारी अल्मोडा	05962- 232289
8.	डा० उदय शंकर	सचिव, प०क्रू०नि०स० / मुख्य पशुचिकित्साधिकारी बागेश्वर	05963- 220041
9.	डा० विद्यासागर कापडी	सचिव, प०क्रू०नि०स० / मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पिथौरागढ	05964- 225159
10.	डा० रमेश नितवाल	सचिव, प०क्रू०नि०स० / मुख्य पशुचिकित्साधिकारी रूद्रप्रयाग	01364- 233251
11.	डा० गोपाल सिंह धामी	सचिव, प०क्रू०नि०स० / मुख्य पशुचिकित्साधिकारी उधमसिंह नगर	05944- 242787
12.	डा० पी०एस० भण्डारी	सचिव, प०क्रू०नि०स० / मुख्य पशुचिकित्साधिकारी नैनीताल	05942- 248367
13.	डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी	सचिव, प०क्रू०नि०स० / मुख्य पशुचिकित्साधिकारी चम्पावत	05965- 230843

मैनुअल-10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।



उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड,
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोवाला देहरादून।

देहरादून- 248001

फोन नं० - (0135) 2532850 फैक्स नं० (0135) 2532811

10- प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।

10.1 उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड में कार्यरत समस्त राजकीय अधिकारी/कर्मचारी पशुपालन विभाग से सम्बद्ध किये गये हैं तथा इनके वेतन निर्धारण एवं आहरण की कार्यवाही पशुपालन विभाग के जनपदीय मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों/उपनिदेशक पशुलोक परिसर/रोग अनुसंधान अधिकारी (भेड़) श्रीनगर/ रजिस्ट्रार पशु चिकित्सा परिषद/अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गोपेश्वर, चमोली (गढ़वाल) द्वारा की जाती है तथा मासिक उपस्थिति के आधार पर वेतन आदि का निर्धारण प्रचलित शासनादेशों/वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार की जाती है।

क्र०सं०	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक वेतनमान ₹० में	पारितोषिक/पारितोषिक भत्ता
1.	डा० के०के० जोशी	सचिव उ०प०क० बोर्ड/ निदेशक, पशुपालन विभाग पशुधन भवन, मोथरोंवाला देहरादून।	144200-218200 लेवल-14	---
2.	डा० सत्यस्वरूप	आहरण वितरण अधिकारी उ०प०क०बोर्ड/संयुक्त निदेशक पशुधन भवन, मोथरोंवाला देहरादून।	78800-209200 लेवल-12	---
3.	डा० आशुतोष जोशी	संयुक्त निदेशक/प्रभारी अधिकारी, उ०प०क०बोर्ड, पशुधन भवन, मोथरोंवाला देहरादून।	78800-209200 लेवल-12	---
4.	डा० बीनू भदौरिया	पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1 उ०प०क०बोर्ड, पशुधन भवन, मोथरोंवाला देहरादून।	78800-209200 लेवल-12	---
4	श्री विनीत कुमार	कनिष्ठ सहायक पशुधन भवन, मोथरोंवाला देहरादून।	21700-69100 लेवल-3	---
5.	श्री मोहन लाल	चतुर्थ श्रेणी कर्मी पशुधन भवन, मोथरोंवाला देहरादून।	19900-63200 लेवल-2	---

10.2 महानुभाव के साथ कार्यरत अनुवर्ती मानदेय कर्मी को निम्न प्रकार मानदेय देय है

क्र० सं०	नाम	पदनाम	मासिक मानदेय (₹० में)
1.	श्री अरुण कुमार चौधरी	वैयक्तिक सहायक	15,000
2.	श्री गंगा दत्त	चतुर्थ श्रेणी	12,000

10.3 बोर्ड के कार्यालय हेतु सेवादायी संस्था के माध्यम से नियुक्त कर्मी को निम्न प्रकार मानदेय देय है

क्र० सं०	नाम	पदनाम	मासिक मानदेय (₹० में)
1.	श्रीमती अन्जू देवी	कम्प्यूटर आपरेटर	14,415
2.	श्री राकेश चन्द रमोला	चतुर्थ श्रेणी	12,839 + 2800 (प्रोत्साहन भत्ता)

10.4 बॉर्ड के मा0 उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री स्तर) महानुभाव हेतु मासिक मानदेय ` 40,000 प्रतिमाह तथा आवास किराया भत्ता ` 15,000 प्रतिमाह अनुमन्य है।

मैनुअल-11

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट



उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड,
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोवाला देहरादून।
देहरादून- 248001

फोन नं० - (0135) 2532850 फैक्स नं० (0135) 2532811

1. वित्तीय वर्ष 2004-05 में आबंटित बजट

(₹ में)

क्रमांक	मद/मद संख्या	उपलब्ध बजट	कुल व्यय	बचत
1	04-यात्रा व्यय	20,000.00	20,000.00	---
2	07-मानदेय	10,000.00	10,000.00	---
3	08-कार्यालय व्यय	1,25,000.00	1,24,540.00	460.00
4	09-विद्युत देयक	10,000.00	10,000.00	---
5	10-जलकर जल प्रभार	5,000.00	---	5,000.00
6	13-टेलीफोन व्यय	15,000.00	15,000.00	---
7	15-मोटर गाडी अनुरक्षण	35,000.00	34,900.00	100.00
8	17-किराया उपशुल्क	60,000.00	---	60,000.00
	महायोग	2,80,000.00	2,14,440.00	65,560.00

2. वित्तीय वर्ष 2005-06 में आबंटित बजट

(₹ में)

क्रमांक	मद/मद संख्या	उपलब्ध बजट	कुल व्यय	बचत
1	04-यात्रा व्यय	1,20,000.00	1,12,900.00	7,100.00
2	07-मानदेय	3,73,000.00	291600.00	81,400.00
3	08-कार्यालय व्यय	1,10,000.00	1,09,100.00	900.00
4	11-लेखन सामग्री	35,000.00	34,900.00	100.00
5	13- टेलीफोन व्यय	1,00,000.00	59,800.00	40,200.00
6	15- मोटरगाडी अनु.	5,52,000.00	5,52,000.00	0.00
7	17- किराया उपशुल्क	25,000.00	22,500.00	2,500.00
8	42- अन्य व्यय	6,75,000.00	6,74,300.00	700.00
	महायोग	19,90,000.00	18,57,100.00	1,32,900.00

3. वित्तीय वर्ष 2006-07 में आबंटित बजट

(हजार रू० में)

क्रमांक	मद/मद संख्या	उपलब्ध बजट	कुल व्यय	बचत
1	04-यात्रा व्यय	200	118	82
2	07-मानदेय	525	494	31
3	08-कार्यालय व्यय	200	184	16
4	09- विद्युत देयक	15	1.6	13.4
5	10- जलकर	10	0	10
6	11-लेखन सामग्री	30	28.4	1.6
7	13- टेलीफोन व्यय	50	44.2	5.8
8	15- मोटरगाडी अनु०	600	573	27
9	17- किराया उपशुल्क	160	157.5	2.5
10	18- प्रकाशन	240	146	94
11	19- विज्ञापन	600	595	5
12	42- अन्य व्यय	1600	238	1362
	महायोग	4230	2579.7	1650.3

4. वित्तीय वर्ष 2007-08 में आबंटित बजट

(हजार रू० में)

क्रमांक	मद/मद संख्या	उपलब्ध बजट	कुल व्यय	बचत
1	04-यात्रा व्यय	100	12.135	87.9
2	07-मानदेय	100	43.75	56.3
3	08-कार्यालय व्यय	150	99.448	50.6
4	09- विद्युत देयक	15	15	0
5	10- जलकर	5	0	5
6	11-लेखन सामग्री	30	30	0
7	13- टेलीफोन व्यय	50	25.937	24.1
8	15- मोटरगाडी अनु०	125	109.441	15.6
9	17- किराया उपशुल्क	160	90.202	69.8
10	18- प्रकाशन	200	153.92	46.1
11	19- विज्ञापन	200	174.779	25.2
12	42- अन्य व्यय	100	92.78	7.2
	महायोग	1235	847.392	387.8

5. वित्तीय वर्ष 2008-09 में आबंटित बजट

(000 `)

क्र०	मद/मद संख्या	उपलब्ध बजट	कुल व्यय	बचत
1	04- यात्रा व्यय	90,000.00	89,985.00	15.00
2	07- मानदेय	5,50,000.00	4,81,441.00	68,559.00
3	08- कार्यालय व्यय	4,60,000.00	4,59,968.00	32.00
4	09- विद्युत देयक	40,000.00	4,131.00	35,869.00
5	10- जलकर	1,000.00	702.00	298.00
6	11- लेखन सामग्री	40,000.00	39,972.00	28.00
7	13- टेलीफोन व्यय	50,000.00	48,390.00	1,610.00
8	15- मोटरगाड़ी अनु०	3,50,000.00	3,44,167.00	5,833.00
9	17- किराया उपशुल्क	2,83,000.00	2,75,468.00	7,532.00
10	18- प्रकाशन	1,10,000.00	1,07,784.00	2,216.00
11	19- विज्ञापन	2,10,000.00	2,09,977.00	23.00
12	42- अन्य व्यय	2,80,000.00	2,78,241.00	1,759.00
महायोग		24,64,000.00	23,40,226.00	1,23,774.00

6. वित्तीय वर्ष 2009-10 में आबंटित बजट

(000 `)

क्र० सं०	मद/मद संख्या	कुल आबंटन	कुल व्यय	बचत
1	04- यात्रा व्यय	100.000	99.771	0.229
2	07- मानदेय	290.000	287.608	2.392
3	08- कार्यालय व्यय	350.000	348.746	1.254
4	09- विद्युत देयक	5.000	2.186	2.814
5	10- जलकर	1.000	0.000	1.000
6	11- लेखन सामग्री	50.000	49.968	0.032
7	12-कार्यालय फर्नीचर	120.000	119.853	0.147
8	13- टेलीफोन व्यय	65.000	64.211	0.789
9	15- मोटरगाड़ी अनुरक्षण	231.000	230.699	0.301
11	17- किराया उपशुल्क	225.000	224.902	0.098
12	18- प्रकाशन	275.000	274.315	0.685
13	19- विज्ञापन	210.000	206.891	3.109
14	39- औषधि रसायन	17.000	16.984	0.016
15	42- अन्य व्यय	92.000	91.083	0.917
	महायोग	2031.000	2017.217	13.783

7. वित्तीय वर्ष 2010-11* में आबंटित बजट

(000 `)

मानक मद का नाम	कुल बजट आबंटन	कुल व्यय	कुल बचत
04- यात्रा भत्ता	2,00,000.00	1,99,835.00	165.00
06- अन्य भत्ते	1,80,000.00	1,80,000.00	0.00
07- मानदेय	9,36,000.00	9,34,929.00	1,071.00
08- कार्यालय व्यय	9,25,000.00	9,24,906.00	94.00
09- विद्युत देयक	40,000.00	3,889.00	36,111.00
10- जलकर	1,000.00	00.00	1,000.00
11- लेखन सामग्री	1,00,000.00	99,950.00	50.00
12- कार्यालय फर्नी0	2,25,000.00	2,24,920.00	80.00
13- टेलीफोन व्यय	1,18,000.00	99,962.00	18,038.00
15- मोटरगाड़ी अनु0	5,43,000.00	5,42,922.00	78.00
16- व्यावसा0 सेवा0	90,000.00	89,832.00	168.00
17- किराया उपशु0	5,40,000.00	5,21,844.00	18,156.00
18- प्रकाशन	3,00,000.00	2,99,873.00	127.00
19- विज्ञापन	2,00,000.00	1,99,531.00	469.00
42- अन्य व्यय	4,60,000.00	4,59,970.00	30.00
46- कम्प्यूटर क्रय	1,00,000.00	99,960.00	40.00
47- कम्प्यूटर स्टेशनरी	1,00,000.00	99,986.00	14.00
कुल योग	50,58,000.00	49,82,273.00	75,727.00

* वित्तीय वर्ष 2010-11 में उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड एवं नवसृजित उत्तराखण्ड गोसेवा आयोग को एक ही बजट आबंटन हैड (2403 पशुपालन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-पशु कल्याण एवं गोसेवा आयोग -राज्य सैक्टर) अन्तर्गत बजट आबंटन किया गया।

8. वित्तीय वर्ष 2011-12* में आबंटित बजट

(000 `)

मानक मद का नाम	कुल बजट आबंटन	कुल व्यय	कुल बचत
06- अन्य भत्ते	230.00	230.00	0.00
07- मानदेय	1125.00	1125.00	0.00
08- कार्यालय व्यय	300.00	300.00	0.00
09- विद्युत देयक	20.00	20.00	0.00
10- जलकर	1.00	1.00	0.00
11- लेखन सामग्री	80.00	80.00	0.00
12- कार्यालय फर्नीचर	75.00	75.00	0.00
13- टेलीफोन व्यय	90.00	90.00	0.00
15- मोटरगाड़ी अनु०	550.00	550.00	0.00
16- व्यावसाय सेवा०	500.00	500.00	0.00
17- किराया उपशु०	420.00	414.00	6.00
18- प्रकाशन	200.00	200.00	0.00
19- विज्ञापन	300.00	300.00	0.00
37- उचन्त	200.00	200.00	0.00
42- अन्य व्यय	200.00	200.00	0.00
47- कम्प्यूटर स्टेशनरी	50.00	50.00	0.00
कुल योग	4341.00	4334.00	7.00

* वित्तीय वर्ष 2011-12 में उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड एवं उत्तराखण्ड गोसेवा आयोग को एक ही बजट आबंटन हैड (2403 पशुपालन-00-आयोजनागत-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-पशु कल्याण एवं गोसेवा आयोग -राज्य सैक्टर) अन्तर्गत बजट आबंटन किया गया।

9. वित्तीय वर्ष 2012-13* में आबंटित बजट

(000 में)

मानक मद का नाम	कुल बजट आबंटन	कुल व्यय	कुल बचत
20- सहायक अनुदान/राज्य सहायता/अंशदान	900.00	900.00	0.00
कुल योग	900.00	900.00	0.00

* वित्तीय वर्ष 2012-13 में उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड को एक ही बजट आबंटन हैड अनुदान संख्या-28 लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन आयोजनेत्तर-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03- निदेशालय -00- मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता मद में पशु कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत बजट आबंटन किया गया।

10. वित्तीय वर्ष 2013-14* में आबंटित बजट

(000 में)

मानक मद का नाम	कुल बजट आबंटन	कुल व्यय	कुल अवशेष
20- सहायक अनुदान/राज्य सहायता/अंशदान	10,00.00	10,00.00	0.00
कुल योग	10,00.00	10,00.00	0.00

* वित्तीय वर्ष 2013-14 में उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड को एक ही बजट आबंटन हैड अनुदान संख्या-28 लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन आयोजनेत्तर-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03- निदेशालय -00- मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता मद में पशु कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत बजट आबंटन किया गया।

10. वित्तीय वर्ष 2014-15* में आबंटित बजट

(000 में)

मानक मद का नाम	कुल बजट आबंटन	कुल व्यय	कुल अवशेष
20- सहायक अनुदान/राज्य सहायता/अंशदान	8,00.00	8,00.00	0.00
कुल योग	8,00.00	8,00.00	0.00

* वित्तीय वर्ष 2014-15 में उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड को एक ही बजट आबंटन हैड अनुदान संख्या-28 लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन आयोजनेत्तर-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03- निदेशालय

—00— मानक मद 20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता मद में पशु कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत बजट आबंटन किया गया।

11. वित्तीय वर्ष 2015—16* में आबंटित बजट

(` 000 में)

मानक मद का नाम	कुल बजट आबंटन	कुल व्यय	कुल अवशेष
20— सहायक अनुदान/राज्य सहायता/अंशदान	17,30.00	17,29.598	402.00
कुल योग	17,30.00	17,29.598	402.00

* वित्तीय वर्ष 2015—16 में उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड को एक ही बजट आबंटन हैड अनुदान संख्या—28 लेखाशीर्षक—2403—पशुपालन आयोजनेत्तर—00—001—निदेशन तथा प्रशासन—03— निदेशालय —00— मानक मद 20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता मद में पशु कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत बजट आबंटन किया गया।

12. वित्तीय वर्ष 2016—17* में आबंटित बजट

(` 000 में)

मानक मद का नाम	कुल बजट आबंटन	कुल व्यय	कुल अवशेष
20— सहायक अनुदान/राज्य सहायता/अंशदान	10,50.00	10,50.00	00.00
कुल योग	10,50.00	10,50.00	00.00

* वित्तीय वर्ष 2016—17 में उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड को एक ही बजट आबंटन हैड अनुदान संख्या—28 लेखाशीर्षक—2403—पशुपालन आयोजनेत्तर—00—001—निदेशन तथा प्रशासन—03— निदेशालय —00— मानक मद 20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता मद में पशु कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत बजट आबंटन किया गया।

13. वित्तीय वर्ष 2017—18* में आबंटित बजट

(` 000 में)

मानक मद का नाम	कुल बजट आबंटन	कुल व्यय	कुल अवशेष
20— सहायक अनुदान/राज्य सहायता/अंशदान	9.00	899915	85
कुल योग	9.00	899915	85

* वित्तीय वर्ष 2017-18 में उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड को एक ही बजट आबंटन हैड अनुदान संख्या-28 लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन आयोजनेत्तर-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03- निदेशालय -00- मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता मद में पशु कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत बजट आबंटन किया गया।

14. वित्तीय वर्ष 2018-19* में आबंटित बजट

(` 000 में)

मानक मद का नाम	कुल बजट आबंटन	कुल व्यय	कुल अवशेष
20- सहायक अनुदान/राज्य सहायता/अंशदान	21.93	2192254	746
कुल योग	21.93	2192254	746

* वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड को एक ही बजट आबंटन हैड अनुदान संख्या-28 लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन आयोजनेत्तर-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03- निदेशालय -00- मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता मद में पशु कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत बजट आबंटन किया गया।

15. वित्तीय वर्ष 2019-20* में आबंटित बजट

(` 000 में)

मानक मद का नाम	कुल बजट आबंटन	कुल व्यय	कुल अवशेष
20- सहायक अनुदान/राज्य सहायता/अंशदान	22.00	14,44,417	7,55,583
कुल योग	22.00	14,44,417	7,55,583

* वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड को एक ही बजट आबंटन हैड अनुदान संख्या-28 लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन आयोजनेत्तर-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03- निदेशालय -00- मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता मद में पशु कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत बजट आबंटन किया गया।

मैनुअल-12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसे आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।



उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड,
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोवाला देहरादून।
देहरादून- 248001

फोन नं० - (0135) 2532850 फैक्स नं० (0135) 2532811

मैनुअल – 12 से सम्बन्धित शासनादेशों की संलग्नक सूची

मैनुअल	मद विवरण/मैनुअल
मैनुअल-12	<ul style="list-style-type: none"> - वित्तीय वर्ष 2007-08 राज्य में निराश्रित गो-वंशीय पशुओं को शरण देने के लिए गो-सदनों की स्थापना/सुदृढीकरण के क्रम में राजकीय सहायता अनुदान धनराशि स्वीकृत किये जाने के बाबत शासनादेश सं0- 35/XV-1/1(3)/2008 पशुपालन अनुभाग-1, दिनांक 11 मार्च, 2008 - गो-सदनों की स्थापना हेतु दिषा निर्देश नीति के बाबत शासनादेश सं0- 759/XV-1/1(30)/2008 पशुपालन अनुभाग-1, दिनांक 16, दिसम्बर 2008 - वित्तीय वर्ष 2008-09 में गो सदनों की स्थापना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के बाबत शासनादेश सं0- 462/XV-1/1(3)/2008, पशुपालन अनुभाग-1, देहरादून : दिनांक 27 फरवरी, 2009 - वित्तीय वर्ष 2008-09 में गो सदनों की स्थापना किये जाने हेतु राजकीय सहायता अनुदान के क्रम में वित्तीय स्वीकृति के बाबत शासनादेश सं0- 489/XV-1/1(3)/08, पशुपालन अनुभाग-1, देहरादून : दिनांक 26 मार्च, 2009 - वित्तीय वर्ष 2009-10 में गो सदनों की स्थापना किये जाने हेतु राजकीय सहायता अनुदान के क्रम में वित्तीय स्वीकृति के बाबत शासनादेश सं0- 353 /XV-1/10/1(3)/08, पशुपालन अनुभाग-1, देहरादून दिनांक : 19 मार्च, 2010 - वित्तीय वर्ष 2010-11 में गो सदनों की स्थापना किये जाने हेतु राजकीय सहायता अनुदान के क्रम में वित्तीय स्वीकृति के बाबत शासनादेश सं0- 307 /XV-1/11/1(3)/2008, पशुपालन अनुभाग-1, दिनांक 30 मार्च, 2011 - गो-सदनों में गोवंशीय पशुओं के पशुपोषण हेतु राजकीय सहायता अनुदान के क्रम में शासनादेश सं0- 392/XV-1/7(81)/2005 पशुपालन अनुभाग-1, दिनांक 23 मार्च, 2011 - निराश्रित गोवंश को शरण देने हेतु गोसदनों की स्थापना के क्रम में गैर सरकारी पशु कल्याण संस्थाओं को मान्यता/ राजकीय अनुदान हेतु पूर्ववर्ती दिषा निर्देश नीति में आंशिक संशोधन उपरान्त नवीन शासनादेश संख्या- 807/XV-1/11/1(3)08 दिनांक 07 अक्टूबर,, 2011 के अनुरूप दिषा निर्देश नीति। - राज्यान्तर्गत निराश्रित गोवंश को शरण देने वाले गोसदनों को गोवंश के भरण पोषण हेतु राजकीय अनुदान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 101/XV-1/12/1(3)/08 दिनांक 30 मार्च, 2012 - राज्यान्तर्गत 2012-13 में निराश्रित गोवंश को शरण देने हेतु गोसदनों को गोवंश के भरण-पोषण हेतु अनुदान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 120/XV-1/13/1(3)/08TC पशुपालन अनुभाग-1 दिनांक 19 फरवरी, 2013 - राज्यान्तर्गत 2013-14 में निराश्रित गोवंश को शरण देने हेतु गोसदनों को गोवंश के भरण-पोषण हेतु अनुदान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 117/XV-1/14/1(3)/08TC पशुपालन अनुभाग-1 दिनांक 20 फरवरी, 2014

12- सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसे आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।

गत वर्षों में उत्तराखण्ड सरकार के पशुपालन विभाग अन्तर्गत राज्य में गो-सदनों की स्थापना/सुदृढीकरण हेतु राजकीय सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं की सूची

वित्तीय वर्ष 2007-08 में गो-सदनों की स्थापना करने हेतु आवेदन करने वाली एवं राजकीय सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं की सूची :-

उपलब्ध बजट ` 10.00 लाख

क्र	आवेदक का नाम/पता	सोसा0 रजि0 एक्ट, 1860 के तहत पंजी0 सं0	शरणागत निराश्रित पशुओं की संख्या	आवेदित राजकीय सहायता अनुदान धनराशि	स्वीकृत राजकीय सहायता अनुदान धनराशि
1	(7) श्री राधे कृष्ण गो-सेवा सदन ट्रस्ट, बेरिया रोड, बाजपुर, जिला- ऊधमसिंह नगर	भा.जी.ज.क. बोर्ड मान्यताकोड—UP163/02 ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था	534 गो-वंशीय पशु	5.00 लाख	` 5.00 लाख
2	(4) उत्तराखण्ड गो-संवर्धन समिति गो-तीर्थाश्रम, कोटेश्वरपुरम, टिहरी गढ़वाल	47 GTG 47 25.03.08	150 गाय	6.09 लाख	—

वित्तीय वर्ष 2008-09 में गो-सदनों की स्थापना करने हेतु राजकीय सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं की सूची :-

उपलब्ध बजट ` 15.00 लाख

क्र	आवेदक का नाम/पता	सोसा0 रजि0 एक्ट, 1860 के तहत पंजी0 सं0	आवेदक द्वारा वांछित राजकीय सहायता अनुदान धनराशि	शरणागत निराश्रित पशुओं की संख्या व कार्य अनुभव	स्वीकृत राजकीय सहायता अनुदान धनराशि
1	(1) गौ-सेवा समिति, ग्राम-सुनाऊँ, पो0 कुलसारी, चमोली गढ़वाल।	1041/ 2003-04	हाँ	41 गाय अनुभव 5 वर्ष से अधिक	` 0.50 लाख
2	(3) कृष्णा सामुदायिक गौ-सदन, तुराचौरा ब्लॉक, स्यालदे, जिला-अल्मोड़ा।	72 KAL0069 27.06.08	18.15 Lakh	दो दशकों से कार्य करने का उल्लेख	` 0.50 लाख
3	(4) उत्तराखण्ड गो-संवर्धन समिति, गो-तीर्थाश्रम, कोटेश्वरपुरम, टिहरी गढ़वाल।	47 GTG47 25.03.08	6.09 Lakh	150 गाय अनुभव दो वर्ष से अधिक	` 2.00 लाख
4	(6) गो-रक्षा केन्द्र महत गाँव, चौखुटिया, अल्मोड़ा	0033/ 2007-08 05.02.08	Cow shed 7.53 Lakh	18 गोपशु अनुभव 1 वर्ष से कम	` 3.00 लाख
5	(5) चिटवाल किसान विकास समिति, शंकर मार्केट, बूंगीधार, पट्टी-चौथान, तहसील-थैलीसैण, पौड़ी गढ़वाल भा0जी0ज0क0 बोर्ड, रजि0 नं0- 610/2000-01	575 2005-06	रु. 8.00 लाख	125 गाय अनुभव वर्ष 2000 से भा.जी.ज.क. बोर्ड द्वारा मान्यता वर्ष 2006 से पंजीकृत	` 3.00 लाख
6	(16) पीपुल फॉर एनिमल्स,	ट्रस्ट एक्ट	` 8.12 लाख	>50 पशु	` 1.00 लाख

अधोईवाला, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून भा.जी.ज.क. बोर्ड मान्यताकोड - UP316/07	के तहत ट्रस्ट डीड	>7 गोवंशीय पशु अनुभव फरवरी वर्ष 2007 से भा.जी.ज.क. बोर्ड मान्यता	
योग			` 10.00 लाख

वित्तीय वर्ष 2009-10 में गो-सदनों की स्थापना करने हेतु राजकीय सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था

उपलब्ध बजट ` 1.00 लाख

क्र	फाईल नं०/आवेदक का नाम/पता	सोसा0रजि0 एक्ट, 1860 के तहत पंजी0 सं०	तत्कालीन शरणागत निराश्रित पशुओं की संख्या	स्वीकृत राजकीय सहायता अनुदान धनराशि
1	श्री राधे कृष्ण गो-सेवा सदन ट्रस्ट, ग्राम- लखनपुर, बेरिया रोड, बाजपुर ऊधमसिंह नगर	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	634 गाय	` 1.00 लाख

वित्तीय वर्ष 2010-11 में गो-सदनों की स्थापना करने हेतु राजकीय सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था :-

उपलब्ध बजट ` 3.00 लाख

क्र	फाईल नं०/आवेदक का नाम/पता	सोसा0रजि0 एक्ट, 1860 के तहत पंजी0 सं०	पूर्व में राजकीय सदर पशुचिकित्सालय देहरादून अन्तर्गत इन्डोर वार्ड/गोसदन में शरणागत घायल/रोगी पशुओं की संख्या	स्वीकृत राजकीय सहायता अनुदान धनराशि
1	गोकुल सेवा एवं विकास समिति, नैशविला रोड, देहरादून।	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पंजीकरण 244/2006-07 भा०जी०ज०क० बोर्ड द्वारा मान्यता क्र० UP 360/2009 Dtd. 21-06-2008	10 -15 गोवंश	` 3.00 लाख

वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्यान्तर्गत पशुबलि निवारण जनचेतना गोष्ठियों तथा जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समितियों (District SPCA) के कार्यक्रमों हेतु आबंटित बजट धनराशि :-

क्र	जनपद	कार्यक्रम	कुल बजट आबंटन
1	जनपद नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, बागेश्वर, हरिद्वार एवं उत्तरकाशी @ ` 5.000/- प्रति जनपद।	District SPCA के कार्यक्रमों हेतु	` 25.000/-
2	जनपद पौड़ी, अल्मोडा, चम्पावत एवं पिथौरागढ़ @ ` 10.000/- प्रति जनपद।	पशुबलि निवारण जनचेतना गोष्ठियों हेतु	` 40.000/-
कुल योग			` 65.000/-

वित्तीय वर्ष 2011-12 में गो-सदनों की स्थापना करने हेतु राजकीय सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था :-

उपलब्ध बजट ` 20.00 लाख

क्र	फाईल नं०/आवेदक का नाम/पता	सोसा०रजि० एक्ट, 1860 के तहत पंजी० सं०	जनवरी 2012 में शरणागत गोवंश की संख्या	स्वीकृत राजकीय सहायता अनुदान धनराशि
1	ग्राम समाज कल्याण समिति, ग्राम पोस्ट तोल्यो(तल्ला सल्ट) अल्मोड़ा।	116 / 2007-08	109	` 1.00 लाख
2	श्री गुरु कृपा गो-सुरक्षा समिति, विकासखण्ड-स्यालदे, अल्मोड़ा।	266 / 2004-05 भा०जी०ज०क० बोर्ड मान्यता क्र० UP 381/2010	60	` 1.00 लाख
3	महर्षि दयानन्द विद्या मन्दिर समिति, बारांगल, विकासखण्ड-स्यालदे, अल्मोड़ा।	317 / 1995-96	52	` 1.00 लाख
4	श्री नित्यानन्द पाद आश्रम, श्रीगौर राधाकृष्ण मन्दिर परमा, हल्द्वचौड़ नैनीताल।	79 / 2008-2009	177	` 1.00 लाख
5	श्री राधेकृष्ण, गौ-सेवा सदन ट्रस्ट, बेरिया रोड़ बाजपुर उधमसिंहनगर।	भा.जी.ज.क. बोर्ड मान्यताकोड-UP163/02 ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था	317	` 1.00 लाख
6	गेलोक धाम, ग्राम कनक पुर रुद्रपुर, तहसील-किच्छा, उधमसिंहनगर।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकरण	70	` 1.00 लाख
7	उत्तराखण्ड गो संवर्धन, गौ-तीर्थाश्रम, कोटेश्वरपुरम, टिहरी गढ़वाल।	47 GTG47 25.03.08	158	` 1.00 लाख
8	श्री हनुमान गो सेवा ट्रस्ट ग्राम-हितारा, बड़ेती बिष्ट पट्टी, चिन्याली, उत्तरकाशी।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	54	` 1.00 लाख
9	चितवाल किसान विकास समिति, शंकर मार्केट, बूंगीधार, थलीसैण, पौड़ी गढ़वाल।	575 2005-06	78	` 1.00 लाख
10	गोवर्धन गो-तीर्थाश्रम, ग्राम्य-गजल्ड, श्रीनगर पौड़ी रोड़, पौड़ी गढ़वाल।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	50	` 1.00 लाख

क्र	फाईल नं०/आवेदक का नाम/पता	सोसा0रजि0 एक्ट, 1860 के तहत पंजी0 सं०	जनवरी 2012 में शरणागत गोवंश की संख्या	स्वीकृत राजकीय सहायता अनुदान धनराशि
11	बद्री गो संवर्धन एवं ग्राम्य विकास संस्थान, ग्राम-ओडल सैण, निकट सतपुली, पौडी गढ़वाल।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	51	` 1.00 लाख
12	श्यामा महाबगढ़ गौसंवर्धन एवं ग्राम क्वास संस्थान, निकट भुवन गदेरा, वि०ख०- पौखाल, दुग्डडा, पौडी गढ़वाल।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	54	` 1.00 लाख
13	भारतीय ग्राम्य विकास एवं गोरक्षार्थ न्याय, ग्राम झीवरहेडी, पोस्ट खेडी शिकोहपुर, हरिद्वार।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजी०	55	` 1.00 लाख
14	गौशाला सभा रुडकी, चाव मण्डी, रुडकी, हरिद्वार।	228 / 2010-2011	108	` 1.00 लाख
15	भद्रराज गौधाम, गौशाला समिति, ग्राम छरबा, सहसपुर, देहरादून।	270 / 2010-11	102	` 1.00 लाख
16	परियोजना निदेशक, पशुलोक ऋषिकेश, देहरादून।	-		` 0.75 हजार
योग				` 15.75 लाख

वित्तीय वर्ष 2012-13 में गो-सदनों की स्थापना करने हेतु राजकीय सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था :-

उपलब्ध बजट ` 15.00 लाख

क्र	फाईल नं०/आवेदक का नाम/पता	सोसा0रजि० एक्ट, 1860 के तहत पंजी० सं०	जनवरी 2013में शरणागत गोवंश की संख्या	स्वीकृत राजकीय सहायता अनुदान धनराशि
1	श्री राधेकृष्ण, गौ-सेवा सदन ट्रस्ट, बेरिया रोड बाजपुर उधमसिंहनगर।	भा.जी.ज.क. बोर्ड मान्यताकोड-UP163/02 ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था	490	` 1.00 लाख
2	श्री कृष्णायन देशी गोरक्षा गोलोक धाम सेवा समिति, बसोचन्दपुर, गैंडीखाता, हरिद्वार।	992 / 2010-11	488	` 1.00 लाख
3	श्री नित्यानन्द पाद आश्रम, श्रीगौर राधाकृष्ण मन्दिर परमा, हल्दूचौड़ नैनीताल।	79/ 2008-2009	258	` 1.00 लाख
4	उत्तराखण्ड गो संवर्धन, गौ-तीर्थाश्रम, कोटेश्वरपुरम, टिहरी गढ़वाल।	47 GTG47 25.03.08	109	` 1.00 लाख
5	भद्रराज गौधाम, गौशाला समिति, ग्राम छरबा, सहसपुर, देहरादून।	270/ 2010-11	131	` 97.00 हजार
6	गौशाला सभा रुड़की, चाव मण्डी, रुड़की, हरिद्वार।	228 / 2010-2011	107	` 96.00 हजार
7	भारतीय ग्राम्य विकास एवं गोरक्षार्थ न्याय, ग्राम झीवरहेड़ी, पोस्ट खेड़ी शिकोहपुर, हरिद्वार।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजी०	89	` 78.00 हजार
8	श्री गुरु कृपा गो-सुरक्षा समिति, विकासखण्ड-स्यालदे, अल्मोड़ा।	266 / 2004-05 भा०जी०ज०क० बोर्ड मान्यता क्र० UP 381/2010	59	` 78.00 हजार
9	महर्षि दयानन्द विद्या मन्दिर समिति, बारांगल, विकासखण्ड- स्यालदे, अल्मोड़ा।	317/ 1995-96	52	` 78.00 हजार
10	ग्राम समाज कल्याण समिति, ग्राम पोस्ट तोल्यो(तल्ला सल्ट) अल्मोड़ा।	116 / 2007-08	58	` 78.00 हजार
11	अखिल भारतीय श्री हनुमान गो सेवा ट्रस्ट ग्राम- हिटारा, बड़ेती बिष्ट पट्टी, चिन्याली, उत्तरकाशी।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	57	` 78.00 हजार

क्र	फाईल नं०/आवेदक का नाम/पता	सोसा0रजि0 एक्ट, 1860 के तहत पंजी0 सं०	जनवरी 2013 शरणागत गोवंश की संख्या	स्वीकृत राजकीय सहायता अनुदान धनराशि
12	चिटवाल किसान विकास समिति, शंकर मार्केट, बूंगीधर, थलीसैण, पौड़ी गढ़वाल।	575 2005-06	67	` 78.00 हजार
13	गोवर्धन गो-तीर्थाश्रम, ग्राम्य-गजल्ड, श्रीनगर पौड़ी रोड, पौड़ी गढ़वाल।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	51	` 78.00 हजार
14	गोलोक धाम, ग्राम कनक पुर रुद्रपुर, तहसील-किच्छा, उधमसिंहनगर।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकरण	78	` 78.00 हजार
15	बद्री गो संवर्धन एवं ग्राम्य विकास संस्थान, ग्राम-ओडल सैण, निकट सतपुली, पौड़ी गढ़वाल।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	44	` 78.00 हजार
16	श्यामा महाबगढ़ गौसंवर्धन एवं ग्राम क्वास संस्थान, निकट भुवन गदेरा, वि०ख०- पौखाल, दुग्डा, पौड़ी गढ़वाल।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	59	` 78.00 हजार
17	हरि ओम आश्रम कडवा पानी न्यास, ग्राम-भुडडी, डाकधर-कारबारी, शिमला बाईपास रोड, देहरादून	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	55	` 78.00 हजार
18	परियोजना निदेशक, पशुलोक ःषिकेश, देहरादून।	-	-	` 49.00 हजार
योग				` 15.00 लाख

वित्तीय वर्ष 2013-14 में गो-सदनों की स्थापना करने हेतु राजकीय सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था :-

उपलब्ध बजट ` 16.00 लाख

क्र	फाईल नं०/आवेदक का नाम/पता	सोसा0रजि0 एक्ट, 1860 के तहत पंजी0 सं०	जनवरी 2014में शरणागत गोवंश की संख्या	स्वीकृत राजकीय सहायता अनुदान धनराशि
1	श्री कृष्णायन देशी गोरक्षा गोलोक धाम सेवा समिति, बसोचन्दपुर, गैँडीखाता, हरिद्वार।	992 / 2010-11	546	` 3.19 लाख
2	श्री राधेकृष्ण, गौ-सेवा सदन ट्रस्ट, बेरिया रोड़ बाजपुर उधमसिंहनगर।	भा.जी.ज.क. बोर्ड मान्यताकोड-UP163/02 ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था	387	` 2.76 लाख
3	श्री नित्यानन्द पाद आश्रम, श्रीगौर राधाकृष्ण मन्दिर परमा, हल्दूचौड़ नैनीताल।	79/ 2008-2009	310	` 1.86 लाख
4	उत्तराखण्ड गो संवर्धन, गौ-तीर्थाश्रम, कोटेश्वरपुरम, टिहरी गढ़वाल।	47 GTG47 25.03.08	120	` 79.00 हजार
5	भद्रराज गौधाम, गौशाला समिति, ग्राम छरबा, सहसपुर, देहरादून।	270/ 2010-11	100	` 73.00 हजार
6	गौशाला सभा रुड़की, चाव मण्डी, रुड़की, हरिद्वार।	228 / 2010-2011	100	` 63.00 हजार
7	गोलोक धाम, ग्राम कनक पुर रुद्रपुर, तहसील-किच्छा, उधमसिंहनगर।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकरण	87	` 51.00 हजार
8	भारतीय ग्राम्य विकास एवं गोरक्षार्थ न्याय, ग्राम झीवरहेड़ी, पोस्ट खेड़ी शिकोहपुर, हरिद्वार।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजी०	72	` 49.00 हजार
9	दुर्गा गोसदन मांसी, चौखुटिया अल्मोडा।	79/2012-13	70	` 44.00 हजार
10	अखिल भारतीय श्री हनुमान गो सेवा ट्रस्ट ग्राम- हितारा, बड़ेती बिष्ट पट्टी, चिन्वाली, उत्तरकाशी।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	70	` 42.00 हजार
11	हरि ओम आश्रम कड़वा पानी न्यास, ग्राम-भुडडी, डाकधर-कारबारी, शिमला बाईपास रोड, देहरादून	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	65	` 39.00 हजार
12	चिटवाल किसान विकास समिति, शंकर मार्केट, बूंगीधार, थलीसैण, पौड़ी गढ़वाल।	575 2005-06	63	` 39.00 हजार

क्र	फाईल नं०/आवेदक का नाम/पता	सोसा0रजि0 एक्ट, 1860 के तहत पंजी0 सं०	जनवरी 2014में शरणागत गोवंश की संख्या	स्वीकृत राजकीय सहायता अनुदान धनराशि
13	श्री गुरु कृपा गो-सुरक्षा समिति, विकासखण्ड-स्यालदे, अल्मोड़ा।	266/ 2004-05 भा०जी०ज०क० बोर्ड मान्यता क्र० UP 381/2010	64	` 37.00 हजार
14	श्यामा महाबगढ़ गौसंवर्धन एवं ग्राम किसान संस्थान, निकट भुवन गदेरा, वि०ख०- पौखाल, दुग्डा, पौडी गढ़वाल।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	60	` 37.00 हजार
15	ग्राम समाज कल्याण समिति, ग्राम पोस्ट तोल्यो(तल्ला सल्ट) अल्मोड़ा।	116/ 2007-08	60	` 36.00 हजार
16	कत्यूर गोसेवा समिति, गोलोक धाम, गरुड़ बैजनाथ, बागेश्वर	55/2010-11	55	` 35.00 हजार
17	गोवर्धन गो-तीर्थाश्रम, ग्राम्य-गजल्द, श्रीनगर पौडी रोड, पौडी गढ़वाल।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	50	` 34.00 हजार
18	श्री सेमनागराजा सेवा आश्रम, सदड़गांव पो० मुखेम, टिहरी	101/2012-13	50	` 34.00 हजार
19	महर्षि दयानन्द विद्या मन्दिर समिति, बारांगल, विकासखण्ड- स्यालदे, अल्मोड़ा।	317/ 1995-96	53	` 33.00 हजार
20	बद्री गो संवर्धन एवं ग्राम्य विकास संस्थान, ग्राम-ओडल सैण, निकट सतपुली, पौडी गढ़वाल।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	52	` 32.00 हजार
21	महासू गोसेवा सहयोग समिति जौनसार बाबर, देहरादून	205/2011-12	50	` 32.00 हजार
22	परियोजना निदेशक, पशुलोक ऋषिकेश, देहरादून।	-	-	` 30.00 हजार
योग				` 16.00 लाख

वित्तीय वर्ष 2014-15 में निराश्रित अलाभकर गोवंष को षरण देने हेतु मान्यता प्रदत्त गो-सदनों हेतु गोवंष ढरण-पोषण मद में राजकीय सहायता अनुदान :-

उपलब्ध बजट ` 15.00 लाख

क्र	संस्था का नाम/पता	शरणागत गोवंष की औसत संख्या	'स्वीकृत राजकीय सहायता अनुदान धनराषि
1	श्री कृष्णायन देशी गोरक्षा गोलोक धाम सेवा समिति, बसोचन्दपुर, गैंडीखाता, हरिद्वार।	728	` 3,75,903
2	श्री राधेकृष्ण, गौ-सेवा सदन ट्रस्ट, बेरिया रोड बाजपुर उधमसिंहनगर।	529	` 2,73,150
3	श्री नित्यानन्द पाद आश्रम, श्रीगौर राधाकृष्ण मन्दिर परमा, हल्द्वौड़ नैनीताल।	341	` 1,76,075
4	उत्तराखण्ड गो संवर्धन, गौ-तीर्थाश्रम, कोटेश्वरपुरम, टिहरी गढ़वाल।	133	` 68,675
5	भद्रराज गौधाम, गौशाला समिति, ग्राम छरबा, सहसपुर, देहरादून।	97	` 50,086
6	गौशाला सभा रुड़की, चाव मण्डी, रुड़की, हरिद्वार।	139	` 71,773
7	गोलोक धाम, ग्राम कनक पुर रुद्रपुर, तहसील-किच्छा, उधमसिंहनगर।	101	` 52,151
8	भारतीय ग्राम्य विकास एवं गोरक्षार्थ न्याय, ग्राम झीवरहेड़ी, पोस्ट खेड़ी शिकोहपुर, हरिद्वार।	82	` 42,341
9	अखिल भारतीय श्री हनुमान गो सेवा ट्रस्ट ग्राम- हितारा, बड़ेती बिष्ट पट्टी, चिन्त्याली, उत्तरकाशी।	91	` 46,988
10	हरि ओम आश्रम कड़वा पानी न्यास, ग्राम-भुडडी, डाकधर-कारबारी, शिमला बाईपास रोड, देहरादून	54	` 27,883
11	चिटवाल किसान विकास समिति, शंकर मार्केट, बूंगीधार, थलीसैण, पौड़ी गढ़वाल।	57	` 29,432
12	श्री गुरु कृपा गो-सुरक्षा समिति, विकासखण्ड-स्यालदे, अल्मोड़ा।	64	` 33,046
13	श्यामा महाबगढ़ गौसंवर्धन एवं ग्राम किसान संस्थान, निकट भुवन गदेरा, वि०ख०- पौखाल, दुग्ड़डा, पौड़ी गढ़वाल।	62	` 32,014
14	ग्राम समाज कल्याण समिति, ग्राम पोस्ट तोल्यो(तल्ला सल्ट) अल्मोड़ा।	57	` 29,432
15	कत्यूर गोसेवा समिति, गोलोक धाम, गरुड़ बैजनाथ, बागेश्वर	58	` 29,948
16	गोवर्धन गो-तीर्थाश्रम, ग्राम्य-गजल्ड, श्रीनगर पौड़ी रोड, पौड़ी गढ़वाल।	56	` 28,916
17	श्री सेमनागराजा सेवा आश्रम, सदड़गांव पो० मुखेम, टिहरी	50	` 25,818
18	महर्षि दयानन्द विद्या मन्दिर समिति, बारांगल, विकासखण्ड-स्यालदे, अल्मोड़ा।	52	` 26,850
19	बद्री गो संवर्धन एवं ग्राम्य विकास संस्थान, ग्राम-ओडल सैण, निकट सतपुली, पौड़ी गढ़वाल।	51	` 26,334
20	महासू गोसेवा सहयोग समिति जौनसार बाबर, देहरादून	53	` 27,367
21	गोधाम गोसमिति डाबरी वल्ली रिखणीखाल, पौड़ी गढ़वाल	50	` 25,818
योग		2905	` 15,00,000

वित्तीय वर्ष 2011-12 में आर०के०वी०वाई० के ड्राई डेरी कार्यक्रम अन्तर्गत उरेडा के माध्यम से गोबर गैस ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की स्थापना हेतु सदुपयोग किया गया बजट

क्र	आवेदक का नाम/पता	सोसा० रजि० एक्ट, 1860 के तहत पंजी० सं०	शरणागत निराश्रित पशुओं की संख्या व कार्य अनुभव	स्वीकृत राजकीय सहायता अनुदान धनराशि
1.	श्री राधेकृष्ण, गौ-सेवा सदन ट्रस्ट, बेरिया रोड बाजपुर उधमसिंहनगर।	भा.जी.ज.क. बोर्ड मान्यताकोड-UP163/02 ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था	543	` 7.10 लाख
2.	उत्तराखण्ड गो संवर्धन, गौ-तीर्थाश्रम, कोटेश्वरपुरम, टिहरी गढ़वाल।	47 GTG47 25.03.08	183	` 7.00 लाख
3.	श्रील नित्यानन्द पाद आश्रम, श्रीगौर राधाकृष्ण मन्दिर परमा, हल्द्वीचौड़ नैनीताल।	79/ 2008-	204	` 7.10 लाख
योग				` 21.20 लाख *

उत्तराखण्ड शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल अवमुक्त बजट ` 32.00 लाख

* वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल अवशेष बजट ` 10.80 लाख

उत्तराखण्ड शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में आर०के०वी०वाई० के ड्राई डेरी कार्यक्रम अन्तर्गत उरेडा के माध्यम से गोबर गैस ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की स्थापना हेतु उरेडा को अवमुक्त किया गया बजट ` 20.40 लाख

क्र	आवेदक का नाम/पता	सोसा० रजि० एक्ट, 1860 के तहत पंजी० सं०	शरणागत निराश्रित पशुओं की संख्या व कार्य अनुभव	स्वीकृत राजकीय सहायता अनुदान धनराशि
1.	भद्रराज गौधाम समिति, ग्राम छरबा, सहसपुर, देहरादून।	270/ 2010-11	131	` 8.10 लाख
2.	भारतीय ग्राम्य विकास एवं गोरक्षार्थ न्याय, ग्राम झीवरहेड़ी, पोस्ट खेड़ी शिकोहपुर, हरिद्वार।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजी०	89	` 8.10 लाख
3.	परियोजना निदेशक, पशुलोक ऋषिकेश, देहरादून।	-	-	` 8.00 लाख
4.	श्री कृष्णायन देशी गोरक्षा गोलोक धाम सेवा समिति, बसोचन्दपुर, गैंडीखाता, हरिद्वार।	992/ 2010-11	488	` 7.00 लाख
योग				` 31.20 लाख *

* वित्तीय वर्ष 2011-12 के अवशेष बजट ` 10.80 लाख + वित्तीय वर्ष 2012-13 में नवीन बजट आबंटन ` 20.40 लाख सहित कुल बजट आबंटन ` 31.20 लाख

वित्तीय वर्ष 2012-13 में आर०के०वी०वाई० के ड्राई डेरी कार्यक्रम अन्तर्गत गोसदनों में गोशाला निर्माण हेतु कुल अवमुक्त बजट `68.44 लाख

क्र	आवेदक का नाम/पता	सोसा० रजि० एक्ट, 1860 के तहत पंजी० सं०	शरणागत निराश्रित पशुओं की संख्या व कार्य अनुभव	स्वीकृत राजकीय सहायता अनुदान धनराशि
1.	श्री राधेकृष्ण, गौ-सेवा सदन ट्रस्ट, बेरिया रोड बाजपुर उधमसिंहनगर।	भा.जी.ज.क. बोर्ड मान्यताकोड-UP163/02 ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था	490	` 6.55 लाख
2.	उत्तराखण्ड गो संवर्धन, गौ-तीर्थाश्रम, कोटेश्वरपुरम, टिहरी गढ़वाल।	47 GTG47 25.03.08	133	` 7.64 लाख
3.	श्रील नित्यानन्द पाद आश्रम, श्रीगौर राधाकृष्ण मन्दिर परमा, हल्दूचौड़ नैनीताल।	79/ 2008-	258	` 6.55 लाख
4	श्री कृष्णायन देशी गोरक्षा गोलोक धाम सेवा समिति, बसोचन्दपुर, गैँडीखाता, हरिद्वार।	992/ 2010-11	488	` 6.55 लाख
5	भद्रराज गौधाम समिति, ग्राम छरबा, सहसपुर, देहरादून।	270/ 2010-11	131	` 6.55 लाख
6	श्री गुरु कृपा गो-सुरक्षा समिति, विकासखण्ड-स्यालदे, अल्मोडा।	266/ 2004-05 भा०जी०ज०क० बोर्ड मान्यता क्र० UP 381/2010	59	` 7.64 लाख
7	चिटवाल किसान विकास समिति, शंकरमार्केट, बूंगीधार, पट्टी-चौथान, थलीसैण, पौडी।	575 2005.06	67	` 7.64 लाख
8	अखिल भारतीय श्री हनुमान गो-सेवा ट्रस्ट ग्राम-हिटारा, चिन्थालीसौड़, उत्तरकाशी।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	57	` 7.64 लाख
9	गौशाला सभा रुड़की, चाव मण्डी, रुड़की, हरिद्वार।	228/ 2010-2011	107	` 6.55 लाख
10	गोलोक धाम, ग्राम कनकपुर रुद्रपुर, उधमसिंहनगर ` ` 1.42 लाख की कमि	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकरण	78	` 5.13 लाख
योग				` 68.44

वित्तीय वर्ष 2015-16 में गो-सदनों की स्थापना करने हेतु राजकीय सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था :-

उपलब्ध बजट ` 22.58 लाख

क्र०	संस्था का नाम	सोसा०रजि० एक्ट, 1860 के तहत पंजी० सं०	कुल शरणागत गोवंष की संख्या	स्वीकृत धनराशि
1	श्री राधेकृष्ण, गौ-सेवा सदन बाजपुर जिला-ऊधमसिंहनगर।	भा.जी.ज.क. बोर्ड मान्यताकोड-UP163/02 ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था	572	352020
2	श्री कृष्णायन देषी गोरक्षा गैडीखाता, हरिद्वार।	992 / 2010-11	1139	700963
3	श्री नित्यानन्द पाद आश्रम, परमा, हल्द्वी, जिला नैनीताल।	79/ 2008-2009	439	270169
4	गौशाला सभा रुड़की, चाव मण्डी, रुड़की जिला-हरिद्वार।	228 / 2010-2011	181	111391
5	उत्तराखण्ड गो सम्वर्धन, समिति, कोटेश्वरपुरम, टिहरी गढ़वाल।	47 GTG47 25.03.08	145	89236
6	गोलोक धाम, ग्राम कनक पुर रुद्रपुर, तहसील-किच्छा, जिला-ऊंसि०न०।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकरण	125	76928
7	श्री गुरु कृपा गो-सुरक्षा समिति, स्यालदे, जिला अल्मोडा।	266 / 2004-05 भा०जी०ज०क० बोर्ड मान्यता क्र० UP 381/2010	73	44926
8	चिटवाल किसान विकास समिति, तहसील-थलीसैण, पौड़ी।	575 2005-06	56	34464
9	अ०भा० श्री हनुमान गो-सेवा ट्रस्ट ग्राम-हितारा, चिन्थालीसैण, उत्तरकाशी।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकरण	69	42464
10	भद्रराज गौधाम समिति, ग्राम छरबा, सहसपुर, जिला-देहरादून।	270/ 2010-11	78	48003
11	हरिओम आश्रम ग्राम भुडडी, शिमला बाईपास रोड, देहरादून	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	65	40002
12	भारतीय ग्राम्य विकास एवं गोरक्षार्थ न्यास, ग्राम झीवरहेड़ी, जिला-हरिद्वार।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजी०	99	60927
13	ग्राम्य समाज कल्याण समिति, ग्राम तोल्यो जनपद-अल्मोडा।	116 / 2007-08	54	33233
14	श्यामा महाबगढ़ गौसंवर्धन एवं ग्रा०वि०सं०, पौखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	67	41233
15	बद्री संवर्धन एवं ग्रा०वि०सं०, ओडल सैण निकट सतपुली, पौड़ी।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	50	30771
16	गोवर्धन, गो-तीर्थाश्रम, ग्राम-गजल्ड, श्रीनगर पौड़ी रोड, जिला पौड़ी गढ़वाल।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	59	36310

क्र०	संस्था का नाम	सोसा०रजि० एक्ट, 1860 के तहत पंजी० सं०	कुल शरणागत गोवंष की संख्या	स्वीकृत धनराशि
17	श्री सेमनागराज सेवा आश्रम, सदड़गांव पो० मुखेम, टिहरी गढ़वाल।	101/2012-13	66	40618
18	महासू गोसेवा सहयोग समिति, जौनसार बाबर, देहरादून।	205/2011-12	54	33233
19	कत्यूर गोसेवा समिति, गोलोक धाम गरुड बैजनाथ, बागेश्वर।	55/2010-11	58	35694
20	गोधाम गौ समिति डाबरी वल्ली रिखणीखाल, पौडी गढ़वाल।	642/2011-12	55	33848
21	गोपाल गोलोक धाम गंगोरी, उत्तरकाशी।	35/2011-12	51	31386
22	श्री कृष्णा गोसेवा धाम चेरिटेबल ट्रस्ट मूनाकोट पिथौरागढ़।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	60	36925
23	माँ कामधेनु वात्सल्य सेवा धाम ट्रस्ट चम्पावत।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	54	33233
योग			3669	` 22,57,977

**वित्तीय वर्ष 2015-16 में गोसदनों में गोशाला निर्माण/भूसा स्टोर निर्माण मद हेतु कुल अवमुक्त
बजट ` 41.00 लाख**

क्र	आवेदक का नाम/पता	सोसा० रजि० एक्ट, 1860 के तहत पंजी० सं०	शरणागत निराश्रित पशुओं की औसत संख्या	स्वीकृत राजकीय सहायता अनुदान धनराशि
1.	भारतीय ग्राम्य विकास एवं गोरक्षार्थ न्यास, ग्राम झीवरहेड़ी, जिला-हरिद्वार।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजी०	99	` 6.55 लाख
2.	हरिओम आश्रम ग्राम भुडडी, शिमला बाईपास रोड, देहरादून	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	65	` 6.55 लाख
3.	श्री सेमनागराज सेवा आश्रम, सदड़गांव पो० मुखेम, टिहरी गढ़वाल।	101/2012-13	66	` 7.64 लाख
4	महासू गोसेवा सहयोग समिति, जौनसार बाबर, देहरादून।	205/2011-12	54	` 7.64 लाख
5	कत्यूर गोसेवा समिति, गोलोक धाम गरुड बैजनाथ, बागेश्वर।	55/2010-11	58	` 7.64 लाख
	अ०भा० श्री हनुमान गो-सेवा ट्रस्ट ग्राम-हिटारा, चिन्यालीसौण, उत्तरकाशी।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकरण	69	` 4.98 लाख
6	गोलोक धाम, ग्राम कनकपुर रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर ' ` 5-13 लाख' पूर्व में आबंटित	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकरण	125	` 1.42 लाख

वित्तीय वर्ष 2015-16 में गोशाला निर्माण हेतु आबंटित कुल बजट	४2-42 लाख
वित्तीय वर्ष 2016-17 में गो-सदनों की स्थापना करने हेतु राजकीय सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था :-	

उपलब्ध बजट ` 24.36 लाख

क्र०	संस्था का नाम	सोसा0रजि0 एक्ट, 1860 के तहत पंजी0 सं0	कुल शरणागत गोवंष की संख्या	स्वीकृत धनराशि
1	श्री राधेकृष्ण, गौ-सेवा सदन बाजपुर जिला-ऊधमसिंहनगर।	भा.जी.ज.क. बोर्ड मान्यताकोड-UP163/02 ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था	591	` 342207
2	श्री कृष्णायन देषी गोरक्षा गैंडीखाता, हरिद्वार।	992 / 2010-11	1443	` 835540
3	श्री नित्यानन्द पाद आश्रम, परमा, हल्द्वीचौड, जिला नैनीताल।	79/ 2008-2009	637	` 368842
4	गौशाला सभा रुड़की, चाव मण्डी, रुड़की जिला-हरिद्वार।	228 / 2010-2011	220	` 127387
5	उत्तराखण्ड गो सम्वर्धन, समिति, कोटेश्वरपुरम, टिहरी गढ़वाल।	47 GTG47 25.03.08	143	` 82801
6	गोलोक धाम, ग्राम कनक पुर रुद्रपुर, तहसील-किच्छा, जिला-ऊ०सि०न०।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकरण	135	` 78169
7	श्री गुरु कृपा गो-सुरक्षा समिति, स्यालदे, जिला अल्मोडा।	266 / 2004-05 भा०जी०ज०क० बोर्ड मान्यता क्र० UP 381/2010	70	` 40532
8	चिटवाल किसान विकास समिति, तहसील-थलीसैण, पौड़ी।	575 2005-06	51	` 29531
9	अ०भा० श्री हनुमान गो-सेवा ट्रस्ट ग्राम-हितारा, चिन्यालीसौण, उत्तरकाशी।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकरण	64	` 37058
10	भद्रराज गौधाम समिति, ग्राम छरबा, सहसपुर, जिला-देहरादून।	270/ 2010-11	75	` 43427
11	श्री कृष्णा गोसेवा धाम चेरिटेबल ट्रस्ट, मूनाकोट, जनपद पिथौरागढ़।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	53	` 30689
12	हरिओम आश्रम ग्राम भुडडी, शिमला बाईपास रोड, देहरादून	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	105	` 60798
13	भारतीय ग्राम्य विकास एवं गोरक्षार्थ न्यास, ग्राम झीवरहेड़ी, जिला-हरिद्वार।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजी०	113	` 65430
14	ग्राम्य समाज कल्याण समिति, ग्राम तोल्यो जनपद-अल्मोडा।	116 / 2007-08	55	` 31847
15	श्यामा महाबगढ़ गौसंवर्धन एवं ग्रा०वि०सं०, पौखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	67	` 38795
16	बद्री संवर्धन एवं ग्रा०वि०सं०, ओडल सैण निकट सतपुली, पौड़ी।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	51	` 29531

क्र०	संस्था का नाम	सोसा0रजि0 एक्ट, 1860 के तहत पंजी0 सं0	कुल शरणागत गोवष की संख्या	स्वीकृत धनराशि
17	गोवर्धन, गो-तीर्थाश्रम, ग्राम-गजल्ड, श्रीनगर पौड़ी रोड, जिला पौड़ी गढ़वाल।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	60	` 34742
18	श्री सेमनागराज सेवा आश्रम, सदड़गांव पो० मुखेम, टिहरी गढ़वाल।	101/2012-13	52	` 30110
19	कत्यूर गोसेवा समिति, गोलोक धाम गरुड बैजनाथ, बागेश्वर।	55/2010-11	62	` 35900
20	गोधाम गौ समिति डाबरी वल्ली रिखणीखाल, पौड़ी गढ़वाल।	642/2011-12	55	` 31847
21	माँ कामधेनु वात्सल्य सेवा धाम ट्रस्ट चम्पावत।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	51	` 29531
22	गोपाल गोलोक धाम गंगोरी, उत्तरकाशी।	35 / 2011-12	54	` 31268
योग			4207	` 24,35,982

वित्तीय वर्ष 2016-17 में गोसदनों में गोशाला निर्माण/गोबर गैस ऊजा उत्पादन संयंत्र की स्थापना
मद हेतु कुल अवमुक्त बजट ` 15.64 लाख

क्र	आवेदक का नाम/पता	सोसा0 रजि0 एक्ट, 1860 के तहत पंजी0 सं0	शरणागत निराश्रित पशुओं की औसत संख्या	स्वीकृत राजकीय सहायता अनुदान धनराशि
1.	बद्री संवर्धन एवं ग्रा०वि०सं०, ओडल सैण निकट सतपुली, पौड़ी।	ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	51	` 7.64 लाख
2.	श्री कृष्णायन देषी गोरक्षा गैडीखाता, हरिद्वार।	992 / 2010-11	1443	` 8.00 लाख
वित्तीय वर्ष 2016-17 में गोशाला निर्माण/गोबर गैस ऊजा उत्पादन संयंत्र हेतु आबंटित कुल बजट				` 15.64 लाख

वित्तीय वर्ष 2017-18 में गो-सदनों की स्थापना करने हेतु राजकीय सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था :-

क्र०	संस्था का नाम	कुल शरणागत गोवंष की औसत संख्या	स्वीकृत धनराशि (₹ 32.36 लाख)	स्वीकृत धनराशि (₹ 12.36 लाख)
1	श्री राधेकृष्ण, गौ-सेवा सदन बाजपुर जिला-ऊधमसिंहनगर।	684	472449	180453
2	श्री कृष्णायन देषी गोरक्षा गैडीखाता, हरिद्वार।	1702	1175597	449023
3	श्री नित्यानन्द पाद आश्रम, परमा, हल्द्वौड़, जिला नैनीताल।	767	529778	202350
4	गौशाला सभा रुड़की, चाव मण्डी, रुड़की जिला-हरिद्वार।	169	116731	44586
5	उत्तराखण्ड गो सम्वर्धन, समिति, कोटेश्वरपुरम, टिहरी गढ़वाल।	144	99463	37990
6	गोलोक धाम, ग्राम कनक पुर रुद्रपुर, तहसील-किच्छा, जिला-ऊ०सि०न०।	135	93247	35616
7	श्री गुरु कृपा गो-सुरक्षा समिति, स्यालदे, जिला अल्मोडा।	67	46278	17676
8	श्री सेमनागराज सेवा आश्रम, सदड़गांव पो० मुखेम, टिहरी।	57	39371	15038
9	अ०भा० श्री हनुमान गो-सेवा ट्रस्ट ग्राम-हितारा, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।	72	49731	18995
10	भद्रराज गौधाम समिति, ग्राम छरबा, सहसपुर, देहरादून।	78	53876	20578
11	हरि ओम आश्रम ग्राम-भुडडी, शिमला बाईपास रोड़, देहरादून।	103	71144	27174
12	भारतीय ग्राम्य विकास एवं गोरक्षार्थ न्यास, ग्राम डीवरहेड़ी, हरिद्वार।	117	80814	30867
13	कत्यूर गोसेवा समिति, गोलोक धाम, गरुड़, बैजनाथ, बागेश्वर।	62	42824	16357
14	ग्राम्य समाज कल्याण समिति, ग्राम तोल्यो अल्मोडा।	55	37989	14510
15	गोवर्धन गो तीर्थ आश्रम, ग्राम-गजल्ड, श्रीनगर पौड़ी रोड़, पौड़ी।	55	37989	14510
16	पर्वतीय गोरक्षा सेवा समिति, ग्राम ईडधार चोपडाकोट थलीसैण, पौड़ी	80	55257	21106
17	श्री शंकरा देवी गौधाम गोसदन डाबरी रिखणी खाल पौड़ी गढ़वाल।	52	35917	13719
18	माँ कामधेनु वात्सल्य सेवा धाम ट्रस्ट, जनपद चम्पावत।	64	44206	16885
19	श्री कृष्णा गोसेवा धाम चेरिटेबल ट्रस्ट, मूनाकोट, जनपद पिथौरागढ़।	57	39371	15038
20	आकृति सेवा समिति, आमपड़ाव कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।	79	54566	20842
21	कृष्णा गौसेवा समिति, गौचर, जनपद चमोली गढ़वाल	86	59401	22689
कुल योग		4685	3236000	1236000

वित्तीय वर्ष 2017-18 में गोसदनों में गोशाला निर्माण की स्थापना मद हेतु कुल अवमुक्त बजट
`7.64 लाख

क्र	आवेदक का नाम/पता	सोसा0 रजि0 एक्ट, 1860 के तहत पंजी0 सं0	शरणागत निराश्रित पशुओं की औसत संख्या	स्वीकृत राजकीय सहायता अनुदान धनराशि
1.	ग्राम्य समाज कल्याण समिति, ग्राम तोल्यो जनपद-अल्मोड़ा।	116 / 2007-08	55	` 7.64 लाख
वित्तीय वर्ष 2017-18 में गोशाला निर्माण हेतु आबंटित कुल बजट				`7.64 लाख

वित्तीय वर्ष 2018-19 में गो-सदनों की स्थापना करने हेतु राजकीय सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था :-

क्र०	संस्था का नाम	कुल शरणागत गोवंश की औसत संख्या	प्रथम चरण में आबंटित धनराशि (लाख)	द्वितीय चरण में आबंटित धनराशि (लाख)
1	श्री राधेकृष्ण, गौ-सेवा सदन बाजपुर जिला-ऊधमसिंहनगर।	823	934767	934767
2	श्री कृष्णायन देषी गोरक्षा गैडीखाता, हरिद्वार।	2062	2342030	2342030
3	श्री नित्यानन्द पाद आश्रम, परमा, हल्द्वौड़, जिला नैनीताल।	811	921138	921138
4	गौशाला सभा रुड़की, चाव मण्डी, रुड़की जिला-हरिद्वार।	269	305531	305531
5	उत्तराखण्ड गो सम्बर्धन, समिति, कोटेश्वरपुरम, टिहरी गढ़वाल।	120	136296	136296
6	गोलोक धाम, ग्राम कनक पुर रुद्रपुर, तहसील-किच्छा, जिला-ऊ०सि०न०।	134	152198	152198
7	श्री गुरु कृपा गो-सुरक्षा समिति, स्यालदे, जिला अल्मोडा।	56	63605	63605
8	अ०भा० श्री हनुमान गो-सेवा ट्रस्ट ग्राम-हितारा, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।	82	93136	93136
9	हरि ओम आश्रम ग्राम-भुडडी, शिमला बाईपास रोड, देहरादून।	98	111309	111309
10	भारतीय ग्राम्य विकास एवं गोरक्षार्थ न्यास, ग्राम झींवरहेड़ी, हरिद्वार।	100	113580	113580
11	कल्यूर गोसेवा समिति, गोलोक धाम, गरुड, बैजनाथ, बागेश्वर।	59	67012	67012
12	ग्राम्य समाज कल्याण समिति,ग्राम तोल्यो अल्मोडा।	58	65876	65876
13	गोवर्धन गो तीर्थ आश्रम, ग्राम-गजल्ड, श्रीनगर पौड़ी रोड, पौड़ी।	55	62469	62469
14	पर्वतीय गौरक्षा सेवा समिति,ग्राम ईडधार चोपडाकोट थलींसेण, पौड़ी	87	98815	98815
15	माँ कामधेनु वात्सल्य सेवा धाम ट्रस्ट, जनपद चम्पावत।	65	73827	73827
16	श्री कृष्णा गोसेवा धाम चेरिटेबल ट्रस्ट, मूनाकोट, जनपद पिथौरागढ़।	33	37481	37481
17	आकृति सेवा समिति, आमपड़ाव कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।	116	131753	131753
18	कृष्णा गोसेवा समिति, गौचर, जनपद चमोली गढ़वाल।	85	96543	96543
19	महासू गोसेवा सहयोग समिति, जौनसार बाबर, देहरादून।	46	52247	52247
20	उत्तराखण्ड जनविकास समिति, बिन्दुखत्ता जनपद नैनीताल।	57	64741	64741
21	श्री गोपीनाथ जी गोशाला समिति, ग्राम कालूबांस पो० मानूबांस हरिद्वार।	86	97679	97679
22	श्री कृष्णप्रणामी महाराज अग्रसेन गोशाला ट्रस्ट सितारगंज ऊधमसिंहनगर।	195	221482	221482
कुल योग		5497	6243515	6243515

वित्तीय वर्ष 2018-19 में गोसदनों में गोशाला निर्माण की स्थापना मद हेतु कुल अवमुक्त बजट
` 72.04 लाख

क्र	आवेदक का नाम/पता	शरणागत निराश्रित पशुओं की औसत संख्या	स्वीकृत राजकीय सहायता अनुदान धनराशि
1.	माँ कामधेनु वात्सल्य सेवा धाम ट्रस्ट, जनपद चम्पावत।	65	` 7.64 लाख
2.	गोवर्धन गो तीर्थ आश्रम, ग्राम-गजल्ड, श्रीनगर पौड़ी रोड, पौड़ी।	55	` 7.64 लाख
3.	आकृति सेवा समिति, आमपड़ाव कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।	116	` 7.64 लाख
4.	पर्वतीय गोरक्षा सेवा समिति, ग्राम ईडधार चोपडाकोट थलीसैण, पौड़ी	87	` 7.64 लाख
5.	श्री कृष्णा गोसेवा धाम चेरिटेबल ट्रस्ट, मूनाकोट, जनपद पिथौरागढ़।	33	` 7.64 लाख
6.	कृष्णा गोसेवा समिति, गौचर, जनपद चमोली गढ़वाल।	85	` 7.64 लाख
7.	श्री राधेकृष्ण, गौ-सेवा सदन बाजपुर जिला-ऊधमसिंहनगर।	823	` 6.55 लाख
8.	श्री कृष्णायन देशी गोरक्षा गैडीखाता, हरिद्वार।	2062	` 6.55 लाख
9.	गोलोक धाम, ग्राम कनक पुर रुद्रपुर, तहसील-किच्छा, जिला-ऊंसि०न०।	134	` 6.55 लाख
10.	श्री नित्यानन्द पाद आश्रम, परमा, हल्द्वचौड़, जिला नैनीताल।	811	` 6.55 लाख
वित्तीय वर्ष 2018-19 में गोशाला निर्माण हेतु आबंटित कुल बजट			` 72.04 लाख

मैनुअल-13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों /
अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में
विवरण



उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड,
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोवाला देहरादून।

देहरादून- 248001

फोन नं० - (0135) 2532850 फैक्स नं० (0135) 2532811

13— अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों/अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड द्वारा कोई भी रियायतें/अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार पत्र निर्गत नहीं किये गये हैं। राज्य में निराश्रित गो-वंशीय पशुओं को शरण देने के उद्देश्य से कुछ गैर-सरकारी संगठनों को गो-सदनों की स्थापना/सुदृढीकरण हेतु राजकीय सहायता अनुदान धनराशि विभागाध्यक्ष पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के माध्यम से स्वीकृत करायी गयी है, जिनका विवरण मैनुअल सं०-12 में उल्लिखित है।

उक्त के अतिरिक्त राजस्व के मान्यता प्राप्त गोसदनों में शरणागत गोवंशीय पशुओं को, विभागीय पशुचिकित्सालयों द्वारा पशुचिकित्सा शुल्क तथा मृत्यु की दशा में पशु शवपरीक्षण शुल्क से मुक्त किये जाने तथा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों के श्वान वंशीय पशुओं की पशु चिकित्सा लेवी शुल्क `40/- प्रतिपशु के स्थान पर `10/- प्रतिपशु किये जाने के क्रम में शासनादेश संख्या 103 /XV-1/2011/7/(81)2005 दिनांक : 23 मार्च, 2011 द्वारा विशेष स्वीकृति दी गयी है।

प्रेषक,
विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-1
2011

दिनांक : 23 मार्च,

विषय : पशुपालन विभाग में लागू वर्तमान सेवा शुल्कों एवं लेवी मूल्यों में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पशु कल्याण बोर्ड देहरादून के पत्र संख्या-1392-1395/Ukd.AWB/2010-11 दिनांक 8 अक्टूबर, 2010 एवं पत्र संख्या-1396-99/Ukd. AWB/2010-11 दिनांक 8 अक्टूबर, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह करने का निदेश हुआ है कि, शासनादेश संख्या- 352/XV-1/2005 टी०सी० दिनांक 8 नवम्बर, 2005 के माध्यम से पशुपालन विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के वास्तविक व्यय के आधार पर पशुपालन विभाग द्वारा ली जा रही उपचार लेवी, स्वास्थ्य परीक्षण लेवी एवं पशु शव परीक्षण लेवी की दरों को आंशिक रूप से संशोधित की श्री राज्यपाल निम्नवत् स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	सेवाएँ	वर्तमान दरें (₹)	संशोधित दरें (₹)
1.	उपचार लेवी की दरें		
क.	पशु (बड़ा)	10.00	10.00
ख.	भेड़/बकरी/सूअर	5.00	5.00
ग.	(1).कुत्ता/बिल्ली (शहरी क्षेत्रों हेतु)	40.00	40.00
ग.	(2).कुत्ता/बिल्ली (ग्रामीण क्षेत्रों हेतु)	40.00	10.00
घ.	विधिक प्रकरणाधीन केस प्रॉपर्टी पशु	10.00	निःशुल्क
2.	शव परीक्षण लेवी की दरें		
क.	बड़ा पशु	100.00	100.00
ख.	छोटा पशु	20.00	20.00
ग.	विधिक प्रकरणाधीन केस प्रॉपर्टी पशु	100.00	निःशुल्क
3.	स्वास्थ्य परीक्षण लेवी की दरें		
क.	बड़ा पशु	50.00	50.00
ख.	छोटा पशु	20.00	20.00
ग.	विधिक प्रकरणाधीन केस प्रॉपर्टी पशु	50.00	निःशुल्क

2 शहरी क्षेत्रों से तात्पर्य राज्य के नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के क्षेत्रान्तर्गत पशुपालकों से है।

- 3 उक्त शुल्क से होने वाली प्राप्तियों राज्य के सुसंगत लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत जमा की जायेगी।
- 4 उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सेवाओं हेतु ली जा रही लेवी की दरें पूर्ववर्ती शासनादेश दिनांक 08 नवम्बर, 2005 के अनुसार यथावत रहेगी।
- 5 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- 201 (NP)/ XXVII(4)/ 2010 दिनांक - 18 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या -103 (1)/XV-1/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3. अपर निदेशक, उत्तराखण्ड गोसेवा आयोग, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-1
2014

दिनांक : 17 नवम्बर,

विषय : राज्यान्तर्गत मान्यता प्राप्त गोसदनों में शरणागत गोवंश हेतु निःशुल्क विभागीय सेवाएँ उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, पशु कल्याण बोर्ड के पत्र संख्या-207-208/Ukd.AWB(11/19-O)/2014-15 दिनांक 24.04.2014 के द्वारा राज्यान्तर्गत मान्यता प्राप्त गोसदनों में शरणागत अलाभकर एवं निराश्रित गोवंश के उपचार, शव परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण, शव विच्छेदन एवं जांच सेवाओं को निःशुल्क किये जाने के अनुरोध के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 352/XV-1/2005 TC दिनांक 8 नवम्बर, 2005 एवं शासनादेश संख्या- 103/XV-1/2011/7(81)2005 दिनांक 23 मार्च, 2011 के द्वारा निर्धारित शुल्कों में मान्यता प्राप्त गोसदनों में अवस्थित गोवंश हेतु छूट प्रदान करते हुए उपरोक्त सेवाओं को निःशुल्क किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उपरोक्त शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत् प्रभावी रहेंगी।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- 38 (NP)/ XXVII(4)/ 2014 दिनांक - 30 अक्टूबर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या -1238 /XV-1/14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3. अपर निदेशक, उत्तराखण्ड गोसेवा आयोग, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार सिंह)
अनुसचिव

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-1

दिनांक : 23 दिसम्बर 2016

विषय : SPCA के सदस्य अथवा प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा पशुचिकित्सालय में लाये गये निराश्रित पशुओं को विभागीय पशुचिकित्सकीय सेवाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-1238/XV-1/14/7(9)14 दिनांक 17 नवम्बर, 2014 के द्वारा मान्यता प्राप्त गोसदनों में शरणागत अलाभकर एवं निराश्रित गोवंश के उपचार, शव परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण, शव विच्छेदन एवं जांच सेवाओं को निःशुल्क किये जाने की स्वीकृत प्रदान की गई थी।

2. इस संबंध में Criminal Misc. Application 1526/2016 सुश्री पूजा बहुखण्डी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 27.10.2016 को दिये गये निर्देश के प्रस्तर-16(g) के अनुपालन के क्रम में उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला पशु क्रूरता निवारण समिति (एस०पी०सी०ए०) अथवा प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा निराश्रित पशुओं को उपचार हेतु पशुचिकित्सालय में लाये जाने पर उन्हें विभागीय पशुचिकित्सकीय सेवाएँ निःशुल्क प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उपरोक्त शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- 74 (NP)/ XXVII(4)/ 2016 दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या -1038(1)/XV-1/2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, पशु कल्याण बोर्ड एवं गौ सेवा आयोग, देहरादून।
3. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
4. समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कै० आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव

मैनुअल-14

किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के
सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो
या उसके द्वारा धारित हो



उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड,
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोवाला देहरादून।

देहरादून- 248001

फोन नं० - (0135) 2532850 फैक्स नं० (0135) 2532811

14- किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो-

बोर्ड के पास नागरिकों को सूचनायें उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न प्रणालियां उपलब्ध है :-

- a) उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड की ईमेल uttarakhandawb@gmail.com
- b) उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड की वेबसाइट <http://ahd.uk.gov.in/pages/display/132-uttarakhand-animal-welfare-board>
- c) भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड की वैवसाईट www.awbi.org
- d) भारतीय पशु कल्याण संस्थान की वैवसाईट www.edcil.co.in
- e) पशुपालन विभाग की वेबसाईट www.ahd.uk.gov.in
- f) गोष्ठियों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा
- g) समाचार पत्रों/पत्रिकाओं/स्मारिकाओं/रेडियो/टेलीविजन के माध्यम से
- h) हैंड विल/पम्पलैटस/लीफलेट्स के माध्यम से

वर्तमान समय में बोर्ड के पास कोई भी पुस्तकालय उपलब्ध नहीं है, जहां से नागरिकों को इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

मैनुअल-15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये
नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की
विशिष्टियां जिनके अंतर्गत किसी
पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक
उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो
कार्यकरण घंटे सम्मिलित है



उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड,
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोवाला देहरादून।

देहरादून- 248001

फोन नं० - (0135) 2532850 फैक्स नं० (0135) 2532811

15- सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए उत्तरांचल राज्य पशु कल्याण बोर्ड द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण-

- समाचार पत्र
- पत्रिकायें
- सूचना पटल
- दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था-प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर।
- पोस्टर्स, फ्लैक्स बैनर्स, साइन बोर्ड्स एवं फोल्डिंग डिस्प्ले बोर्ड्स के माध्यम से
- पशुओं के प्रति सद्भावना एवं दया के संदेश तथा विभिन्न विधिक प्राविधानों से सम्बन्धित पुस्तिकाओं, लीफलेट्स एवं ब्रोसर्स के प्रकाशन द्वारा
- विभागीय मैनुअल- जनपदीय कार्यालय एवं मुख्यालय।
- उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड की ईमेल uttarakhandawb@gmail.com
- उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड की वेबसाइट <http://ahd.uk.gov.in/pages/display/132-uttarakhand-animal-welfare-board>
-
- भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड की वेबसाइट www.awbi.org
- भारतीय पशु कल्याण संस्थान की वेबसाइट www.edcil.co.in
- पशुपालन विभाग की वेब साइट www.ahd.uk.gov.in
- टेलीविजन, रेडियो पम्पलेट इत्यादि।

मैनुअल-16

लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम
एवं अन्य विशिष्टियां



उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड,
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोवाला देहरादून।
देहरादून- 248001

फोन नं० - (0135) 2532850 फैक्स नं० (0135) 2532811

16- लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

16.1 लोक प्राधिकरण में कार्यरत सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलैट अथोरिटी के सम्बन्ध में सूचना-

क- लोक सूचना अधिकारी-

क्रमांक	नाम	पदनाम	टेलीफैक्स नं०	पता
1.	डा० आशुतोष जोशी	संयुक्त निदेशक/ प्रभारी अधिकारी	0135 2532850	शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोंवाला, देहरादून।

ख- सहायक लोक सूचना अधिकारी-

क्रमांक	नाम	पदनाम	टेलीफैक्स नं०	पता
1.	डा० बीनू भदौरिया	पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1	0135 2532811	शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोंवाला, देहरादून।

ग- विभागीय अपीलैट अथोरिटी-

क्रमांक	नाम	पदनाम	टेलीफैक्स नं०	पता
1.	डा० के०के० जोशी	सचिव उ०प०क० बोर्ड/निदेशक पशुपालन विभाग,	0135 2532909	प्रथम तल, पशुधन भवन, मोथरोंवाला, देहरादून।

मैनुअल-17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय



उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड,
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोंवाला देहरादून।

देहरादून- 248001

फोन नं० - (0135) 2532850 फैक्स नं० (0135) 2532811

मैनुअल – 17 से सम्बन्धित शासनादेशों की संलग्नक सूची

मैनुअल	मद विवरण/मैनुअल
मैनुअल-17	<p>– गो सदनों की स्थापना हेतु दिषा निर्देश नीति के बाबत शासनादेश सं0- 759/XV-1/1(3)/2008, पशुपालन अनुभाग-1, देहरादून : दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 (मैनुअल -3 में संलग्नित शासनादेश)।</p> <p>– निराश्रित गोवंश को शरण देने हेतु गोसदनों की स्थापना के क्रम में गैर सरकारी पशु कल्याण संस्थाओं को मान्यता/ राजकीय अनुदान हेतु पूर्ववर्ती दिषा निर्देश नीति में आंषिक संषोधन उपरान्त नवीन शासनादेश संख्या- 807/XV-1/11/1(3)08 दिनांक 07 अक्टूबर,, 2011 के अनुरूप दिषा निर्देश नीति (मैनुअल -3 में संलग्नित शासनादेश)।</p>

17— ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय—

17.1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न तथा उनके उत्तर प्रकरण पर कार्यवाही अपेक्षित है।

17.2 सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में—

- निर्धारित आवेदन—पत्र प्रारूप पर अथवा वांछित सूचना हेतु सुस्पष्ट निवेदन द्वारा।
- शुल्क— शासन द्वारा यथानिर्धारित।
- सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह मांगी जाय— आवेदन प्रारूप निर्धारित होने के उपरान्त।
- सूचना न देने व अपील करने के सम्बन्ध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया— किसी भी बिन्दु पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं तथा सूचना न देने पर शासन द्वारा राज्य सूचना आयुक्त से अपील की जा सकती है, जिसकी प्रक्रिया शासन द्वारा यथानिर्धारित।

17.3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के सम्बन्ध में :-

- बोर्ड द्वारा बोर्ड की गवर्निंग बाडी के सदस्यों, कार्मिकों, जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समितियों के सदस्यों, पशु कल्याण बोर्ड से सम्बन्धित विभागों यथा पशुपालन विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग, स्थानीय निकायों, परिवहन विभाग स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के कार्मिकों एवं पशु कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को **नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एनिमल वैलफेयर**, ग्राम सिकरी, जिला बल्लभगढ़, हरियाणा के माध्यम से प्रशिक्षण दिलवाया जा सकता है।
- अनुदान/सहायता— राजकीय सेवकों को पशु कल्याण हेतु प्रशिक्षण उक्त संस्था, जो कि केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, निःशुल्क दी जाती है। कार्मिकों को उनके एनटाईटिलमेन्ट के अनुसार यात्रा भत्ता तथा अन्य व्यक्तियों को शासन के दिशा—निर्देशों के अनुरूप यात्रा भत्ता बोर्ड द्वारा दिया जाता है।
- प्रशिक्षण आवेदन हेतु प्रक्रिया— आवेदन करने पर कम से कम 20 प्रशिक्षणार्थियों, अधिक से अधिक 35 प्रशिक्षणार्थियों को उक्त संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
- आवेदन करने के लिए कहां सम्पर्क करें— जनपद स्तर पर जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समितियों के सचिव/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से अथवा सीधे सचिव, उत्तरांचल राज्य पशु कल्याण बोर्ड को आवेदन किया जा सकता है।
- आवेदन शुल्क — कोई नहीं।
- अन्य शुल्क — कोई नहीं।
- आवेदन पत्र का प्रारूप— आवेदक की सुविधानुसार, जिसमें सभी संगत जानकारियां उपलब्ध हों।
- संलग्नकों की सूची— कोई नहीं।
- संलग्नकों का प्रारूप— कोई नहीं।
- चयन प्रक्रिया— सचिव, पशु कल्याण बोर्ड द्वारा अध्यक्ष के अनुमोदन उपरान्त।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारिणी— उक्त संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- प्रशिक्षण के समय के बारे में आवेदक को सूचित करने का तरीका— डाक द्वारा, दूरभाष द्वारा, सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के माध्यम से।

17.4 लोक प्राधिकरण द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि के सम्बन्ध में—

उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 के आलोक में राज्यान्तर्गत निराश्रित एवं तस्करों से जब्त किये गये केस प्रॉपर्टी गोवंश को शरण देने हेतु गैर सरकारी पशु कल्याण संस्थाओं के माध्यम से गो-सदनों की स्थापना हेतु दिषा-निर्देश नीति के क्रम में शासनादेश सं०- 759/XV-1/1(3)/2008 पशुपालन अनुभाग-1, दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 तथा शासनादेश संख्या 807/XV-1/11/1(3)/08 पशुपालन अनुभाग-1, दिनांक 7 अक्टूबर, 2011 के अनुरूप शासन की दिषा निर्देश नीति एवं उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण नियमावली, 2011 के अनुरूप निर्धारित आवेदन प्रपत्र के माध्यम आवेदन करने अर्ह आवेदकों को उ०प०क० बोर्ड द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र निर्गत जाता है तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तानुदान हेतु अनुषंसा की जाती है तदनुसार निर्धारित आवेदन पत्र तथा जांच आख्या का प्रारूप संलग्न प्रस्तुत है।

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड

Uttarakhand Animal Welfare Board

(मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन गठित संस्था)
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोंवाला देहरादून।

फोन नं० – 0135 – 2532 850 फैक्स : 0135 – 2532 811

वेब साइट : <http://ahd.uk.gov.in/pagesdisplay132-uttarakhand-animal-welfare-board>

पशु कल्याण संस्था के रूप में मान्यता/राजकीय अनुदान हेतु आवेदन प्रपत्र

1. संस्था का परिचय
 - नाम
 - पता
 - पिन कोड
 - दूरभाष/एस.टी.डी कोड
 - फैक्स
 - ई मेल
2. संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों के नाम एवं पते :
3. क्या संस्था भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड से मान्यता प्राप्त है ? यदि हाँ तो कोड संख्या ?
4. आपकी संस्था द्वारा पशु कल्याण का क्या कार्य किया जाता है ?
ए. बी. सी./बचाव कार्य/पशु शरणालय/पशु चिकित्सा /
प्राकृतिक आपदा में बचाव कार्य/विधिक न्यायालयी सहायता
5. क्या आपकी संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा ट्रस्ट एक्ट अथवा विदेशी सहायता एक्ट के तहत पंजीकृत है ?
यदि हाँ तो :-
(क) कृपया पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत करें।
(ख) पंजीकरण कार्यालय
(ग) पंजीकरण संख्या
(घ) पंजीकरण तिथि
6. संस्था का स्थापना वर्ष/नियमावली की सत्यापित छायाप्रति/
पदाधिकारियों का विवरण एवं उनके दायित्व तथा कार्यक्षेत्र :
7. गत तीन वर्षों का आय व्यय लेखा :
8. क्या संस्था द्वारा राजकीय कोष से (भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड अथवा भारत सरकार अन्तर्गत किसी अन्य संस्था या उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड अथवा उत्तराखण्ड सरकार अन्तर्गत किसी अन्य संस्था या सांसद निधि या विधायक निधि या ग्राम पंचायत अथवा क्षेत्र पंचायत अथवा जिला पंचायत या नगर पालिका अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय) से पशु कल्याण कार्य हेतु अनुदान प्राप्त किया गया ? यदि हाँ तो प्राप्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं लेखा विवरण भेज दिया गया है ?

प्राप्त अनुदान का विवरण प्रस्तुत करें।

9. संस्था की संपत्ति / संसाधन

9.1 भूमि :

(क) कुल भूमि उपलब्धता :

(ख) क्या भूमि आपकी संस्था के नाम पंजीकृत है ?

यदि हाँ तो कृपया अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

(ग) क्या भूमि आपकी संस्था के नियंत्रणाधीन है ?

यदि हाँ तो कृपया स्पष्ट करें कब से उक्त भूमि आपके नियंत्रणाधीन है ?

(घ) किस प्रकार भूमि अर्जित की गयी ? तदनुसार अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न करें।

- क्रय से अर्जित की गयी ?
- दान से अर्जित की गयी ?
- न्यूनतम 30 वर्ष के पट्टे से अर्जित की गयी ?
- राजकीय भूमि ?
- स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि ?

(ङ) क्या आपकी भूमि में परिसर दीवार अथवा आयरन फेंसिंग करा ली गयी है ?

(च) बड़े पशुओं के गौचर हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल :

(छ) छोटे पशुओं के भ्रमण हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल :

9.2 उपलब्ध पशु चिकित्सा/प्राथमिक चिकित्सा संसाधन :

पशु चिकित्सक : संख्या ?

उपलब्धता – पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

पैरा वैटनरी स्टाफ : संख्या ?

उपलब्धता – पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

श्रमिकवर्ग पैरावैट : संख्या ?

उपलब्धता – पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

- औषधालय :
- औषधि उपलब्धता सूची :
- क्या औषधि उपलब्धता सूची को मासिक रूप से पुनः नवीनीकृत किया जाता है ? :
- आइसोलेसन वार्ड/ आई. सी. यू. / बीमार पशु वार्ड :
- लिपिटिंग वैन / एम्बुलेंस की उपलब्धता :
- अन्य सुविधायें :

9.3 पशुओं हेतु चारा/भोजन का श्रोत एवं भण्डारण सुविधा :

– पशुओं हेतु चारागाह की सुविधा –

– सूखे चारे के श्रोत –

– परिसर में उपलब्ध चारा वृक्षों की संख्या ?

औसत उत्पादकता ?

– गत वर्ष लगाये गये पेड़ों की संख्या ?

औसत उत्पादकता

– चालू वर्ष में लगाये गये पेड़ों की संख्या ?

औसत उत्पादकता ?

– परिसर में चारा घासों का रोपित क्षेत्रफल ?

औसत उत्पादकता ?

- अन्य श्रोतों से उपलब्धता ?
- चाराचरी की उपलब्धता - संख्या -
- भूसा स्टोर कक्षों की व्यवस्था - संख्या एवं साइज -
- अन्य चारे हेतु स्टोर कक्षों की व्यवस्था - संख्या एवं साइज -
- चैप कटर की उपलब्धता - संख्या -
- चारा घासों का फसल चक्र -

9.4 अन्य संसाधन एवं अन्य सुविधायें :

- बिजली -
- बल्ब -
- ट्यूब लाइट -
- पंखे -
- ट्यूबवैल/बोरवैल/मोटोराइज्ड पम्प -
- मोटोराइज्ड चैपकटर -
- पेय जल श्रोत -

(कुआं / बोर वैल / हैंड पंप / प्राकृतिक श्रोत / नहर / नदी / पेय जल संयोजन)

- पेय जल संग्रहण की सुविधा :
 - ओवर हैड टैंक - संख्या क्षमता -
 - स्टोरेज टैंक (सीमेंट) - संख्या क्षमता -
 - स्टोरेज टैंक (प्लास्टिक) - संख्या क्षमता -
 - पानी पीने की नांद - संख्या

- नाली की व्यवस्था
- मूत्र संग्रह की व्यवस्था
- गोबर संग्रह की व्यवस्था
- चारा पिट्स की व्यवस्था
- स्वच्छता एवं सफाई की दशा :
- भोजन पकाने/ तैयार करने हेतु बर्तन आदि की सुविधायें :

9.5 कार्यालय अभिलेखों का विवरण :

- कार्यालय पंजिकाओं के शीर्षक :
- कार्यालय फाइलों के शीर्षक :
- अन्य अभिलेख :

10. वर्तमान में आपकी संस्था में शरणागत पशुओं की संख्या ?

आवेदन पत्र के साथ संलग्नक प्रपत्र 1 में समस्त सूचनाएँ उल्लिखित करें।

रोगी पशु संख्या ?

निराश्रित अपंग पशु संख्या ?

निराश्रित अनुत्पादक/बृद्ध पशु संख्या ?

निराश्रित उत्पादक पशु संख्या ?

11. दुधारु पशुओं में ऑक्सीटोसिन एवं अन्य दवाओं के प्रयोग का विवरण :

12. क्या आपकी संस्था में गोबर गैस का सदुपयोग प्रारम्भ कर दिया गया है ? :

यदि हाँ तो कृपया प्रगति विवरण दें।

13. क्या आपकी संस्था में वर्मी कल्चर का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?
14. क्या आपकी संस्था में गौ मूत्र विक्रय का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हाँ तो कृपया प्रगति विवरण दें।
15. क्या आपकी संस्था में गौमूत्र शोधन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हाँ तो कृपया प्रगति विवरण दें।
16. क्या आपकी संस्था में गौ मूत्र से अन्य उत्पाद तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हाँ तो कृपया प्रगति विवरण दें।
17. क्या आपकी संस्था में पंचगव्य से विभिन्न उत्पाद तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हाँ तो कृपया प्रगति विवरण दें।
18. गत वर्षों में आपकी संस्था द्वारा बचाये गये पशुओं का विवरण :
समाचार पत्रों की पेपर कटिंग्स, / फोटो ग्राफ्स / वी. सी. डी. संलग्न कर प्रस्तुत करें।
19. संस्था में पशुओं को रखने की क्षमता हेतु विवरण संलग्न-1 के अनुरूप प्रस्तुत करें।
20. संस्था में कर्मचारियों का विवरण संलग्न-2 के अनुरूप प्रस्तुत करें।
21. संस्था के अभिलेखों की छायाप्रतियाँ संलग्न-3 के अनुरूप प्रस्तुत करें।
22. स्पष्ट करें कि वांछित अनुदान धनराशि सुदृढीकरण हेतु वांछित है अथवा नव-निर्माण हेतु।

मैं/हम ने गौ-सदन स्थापना/सुदृढीकरण के लिये आर्थिक अनुदान धनराशि हेतु, उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण नियमावली, 2011, उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2018 एवं तत्सम्बन्धित शासनादेशों (शासनादेश संख्या 759/XV-1/1(3)/2008, पशुपालन अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 16 दिसम्बर, 2008, शासनादेश संख्या 807/XV-1/11/1(3)08, पशुपालन अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 07 अक्टूबर, 2011 एवं शासनादेश संख्या 1063/XV-1/16/1(3)/2008, पशुपालन अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 28 दिसम्बर, 2016) में उल्लिखित शर्तें एवं अनुमन्यतायें भली-भाँति पढ़ ली हैं। हमारी संस्था को सभी शर्तें स्वीकार हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

संलग्नक : आवेदन प्रपत्र-1 से प्रपत्र-3 संलग्न कर प्रेषित करें।

आवेदन प्रपत्र संलग्नक-1

योजना का नाम :- गौ सदन/पशु शरणालय

1. संस्थान का नाम :
2. वर्ष :

शरणागत पशुओं का विवरण

क्रम सं०	पशुओं के प्रकार व नस्ल	वयस्क		बच्चे		योग
		नर	मादा	नर	मादा	
1.	गोवंशीय पशु (भारतीय नस्ल)					
2.	गोवंशीय पशु (विदेशी नस्ल)					
3.	अन्य पशु					
कुल शरणागत पशु						
अतिरिक्त उपलब्ध क्षमता (वर्ग फुट)	 वर्ग फुट (गो पशुओं हेतु)				
	 वर्ग फुट (अन्य पशुओं हेतु)				

आवेदक के हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर तिथि :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

आवेदन प्रपत्र संलग्नक-2

योजना का नाम:- गौ सदन/पशु शरणालय के रख-रखाव/उपचार हेतु उपलब्ध कार्मिकों का विवरण
भाग-1 (गत वर्ष.....)

1. संस्था का नाम :-
2. संस्था का पता :-
3. वर्ष

क्रम सं०	कार्मिक का नाम व पता	योग्यता	नियुक्ति की तिथि	अवधि	प्रतिमाह वेतन	गत वर्ष किया गया कुल वेतन भुगतान	टिप्पणी

आवेदक के हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर तिथि :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

गौ-सदन/पशु शरणालय के स्थान हेतु प्रपत्र के साथ अपेक्षित अभिलेखों की सूची :-

1. निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र
2. विस्तृत प्रस्ताव एवं गौ सदन के निर्माण का औचित्य
3. आवेदन पत्र के बिन्दु-5 के अनुरूप पंजीकरण प्रमाण पत्र के सत्यापित छायाप्रति
4. संस्था का स्मृति पत्र की सत्यापित छायाप्रति
5. संस्था की नियमावली की सत्यापित छायाप्रति
6. साईट प्लान/ब्लू प्रिन्ट जो कि स्थानीय निकाय के द्वारा स्वीकृत हों।
7. भूमि के अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति (भूमि की रजिस्ट्री अथवा लीज अथवा पंचनामा की सत्यापित छायाप्रति। भूमि कम से कम 30 वर्ष हेतु पट्टे पर ली गयी हो।)
8. संस्था के नाम पर भूमि के पंजीकरण के रजिस्टर अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति।
9. स्थानीय निकायों के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत गौ-सदन/पशु शरणालय बनाये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (सत्यापित छायाप्रति)।
10. गौ-सदन/पशु शरणालय बनाये जाने हेतु धनराशि का मदवार आबंटन लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत दरों पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार किया जाए (मूल रूप में)।
11. संस्था की अधिशासी समिति तथा सामान्य कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची (नाम, पता, दूरभाष संख्या)
12. संस्था के गत वर्ष के आय-व्यय लेखा का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित निम्न अभिलेखों की छायाप्रति :-
 1. आय-व्यय का लेखा (बैलेन्स शीट)
 2. व्यय लेखा (एक्सपेंडिचर एकाउन्ट)
 3. प्राप्ति भुगतान लेखा
 4. सम्परीक्षण प्रतिवेदन
13. आज तक पशु कल्याण हेतु किये गये कार्यों का विवरण तथा उन पर किये गये व्यय।
14. गौ-सदन को भली-भाँति चलाने तथा पशुओं के रख-रखाव हेतु वित्तीय संसाधन।
15. क्या आज तक संस्था को भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड से वित्तीय अनुदान प्राप्त हुआ है (यदि हाँ तो विवरण दें तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)
16. औषधि/उपकरण क्रय हेतु रेट कोटेशन की छायाप्रति।
17. वर्तमान समय में उपलब्ध भवनों की क्षमता।
18. क्या संस्था द्वारा स्थानीय निकाय में आवारा पशुओं को षरण दिये जाने के बावत सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया गया है (यदि हाँ तो कृपया अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)
19. वर्तमान समय में आपकी संस्था में शरणागत पशुओं की संख्या के अभिलेख के क्रम में संलग्नक आवेदन प्रपत्र-1
20. वर्तमान समय में आपकी संस्था में कार्यरत कार्मिकों की संख्या के क्रम में संलग्नक आवेदन प्रपत्र-2

अपील :-

आवेदक संस्थाओं से निवेदन है कि अपने 'आवेदन प्रस्ताव' के साथ समस्त अभिलेख संलग्न करें, जिससे प्रस्तावों पर शीघ्रतिशीघ्र निर्णय हेतु सुविधा हो सके।

आवेदन प्रपत्र संलग्नक-3

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार से मान्यता लिये जाने के क्रम में आवेदक संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव

आवेदक संस्था का नाम :

आवेदक संस्था का पता :

आज दिनांक स्थान पर हमारी संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई। प्रबन्ध कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि :-

1. हमारी संस्था द्वारा अलाभकर गोवंश (बृद्ध / बीमार / विकलांग / बांझ / अनुत्पादक निराश्रित गोवंश तथा पुलिस प्रशासन द्वारा गोतस्करों से जब्त किये गये केस प्रॉपर्टी गोवंश) को शरण दिये जाने का पवित्र कार्य किया जायेगा।
2. हमारी संस्था द्वारा स्वयं के संसाधनों/दान अथवा जनसहयोग से मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 50 तथा पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 25 अलाभकर गोवंश को शरण दिये जाने हेतु कृत संकल्प एवं समर्थ है।
3. हमारी संस्था पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड से मान्यता लिये जाने हेतु सहमत है।
4. हमारी संस्था उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदत्त आंशिक सहायता/भरण पोषण अनुदान से लाभान्वित किये जाने हेतु आकांक्षी है।
5. हमारी संस्था, समस्त शरणागत गोवंश की भली प्रकार देख-रेख भरण पोषण करने हेतु कृत संकल्प एवं वचनबद्ध है।
6. हमारी संस्था, गोहत्या के निषेध तथा गोतस्करी के निवारण हेतु कृत संकल्प एवं वचनबद्ध है।
7. हमारी संस्था द्वारा शरणागत गोवंश की बीमारी की दशा में राजकीय पशुचिकित्सालय के माध्यम से चिकित्सा कराये जाने तथा मृत्यु की दशा में शव परीक्षण/प्रमाणन कराये जाने हेतु कृत संकल्प एवं वचनबद्ध है।

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड

Uttarakhand Animal Welfare Board

(मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन गठित संस्था)
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोंवाला देहरादून।

फोन नं० – 0135 – 2532 850 फैक्स : 0135 – 2532 811

वैब साइट : <http://ahd.uk.gov.in/pagesdisplay132-uttarakhand-animal-welfare-board>

गो-सदन की स्थापना हेतु सहायता अनुदान धनराशि स्वीकृति के क्रम में जाँच आख्या प्रपत्र

1. संस्था का परिचय
 - नाम
 - पता
 - पिन कोड
 - दूरभाष/एस.टी.डी कोड
 - फैक्स
 - ई मेल
2. संस्था के पत्राचार एवं अनुदान अनुबन्ध हेतु अधिकृत पदाधिकारी का नाम एवं पता :
3. क्या संस्था भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड से मान्यता प्राप्त है ? यदि हाँ तो कोड संख्या ?
4. आपकी संस्था द्वारा पशु कल्याण का क्या कार्य किया जाता है ?
ए. बी. सी./बचाव कार्य/पशु शरणालय/पशु चिकित्सा /
प्राकृतिक आपदा में बचाव कार्य/विधिक न्यायालयी सहायता
5. क्या संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा ट्रस्ट एक्ट अथवा विदेशी सहायता एक्ट के तहत पंजीकृत है ?
यदि हाँ तो :-
(क) कृपया पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत करें।
(ख) पंजीकरण कार्यालय
(ग) पंजीकरण संख्या
(घ) पंजीकरण तिथि
6. संस्था का स्थापना वर्ष/नियमावली की सत्यापित छायाप्रति/ पदाधिकारियों का विवरण एवं उनके दायित्व तथा कार्यक्षेत्र
7. क्या गत तीन वर्षों का आय व्यय लेखा आवेदन पत्र के साथ प्रेषित किया गया ?
8. क्या संस्था द्वारा राजकीय कोष से (भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड अथवा भारत सरकार अन्तर्गत किसी अन्य संस्था या उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड अथवा उत्तराखण्ड सरकार अन्तर्गत किसी अन्य संस्था या सांसद निधि या विधायक निधि या ग्राम पंचायत अथवा क्षेत्र पंचायत अथवा जिला पंचायत या नगर पालिका अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय) से पशु कल्याण कार्य हेतु अनुदान प्राप्त किया गया ? यदि हाँ तो प्राप्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं लेखा विवरण भेज दिया गया है ?

संस्था की संपत्ति / संसाधन

9.1 भूमि :

- (क) कुल भूमि उपलब्धता :
- (ख) क्या भूमि आपकी संस्था के नाम पंजीकृत है ?
यदि हाँ तो कृपया अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- (ग) क्या भूमि आपकी संस्था के नियंत्रणाधीन है ?
यदि हाँ तो कृपया स्पष्ट करें कब से उक्त भूमि आपके नियंत्रणाधीन है ?
- (घ) किस प्रकार भूमि अर्जित की गयी ? तदनुसार अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न करें।
- क्रय से अर्जित की गयी ?
 - दान से अर्जित की गयी ?
 - न्यूनतम 30 वर्ष के पट्टे से अर्जित की गयी ?
 - राजकीय भूमि ?
 - स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि ?
- (ङ) क्या आपकी भूमि में परिसर दीवार अथवा आयरन फेंसिंग करा ली गयी है ?
- (च) बड़े पशुओं के गौचर हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल :
- (छ) छोटे पशुओं के भ्रमण हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल :

9.2 उपलब्ध पशु चिकित्सा/प्राथमिक चिकित्सा संसाधन :

पशु चिकित्सक : संख्या ?

उपलब्धता – पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

पैरा वैटनरी स्टाफ : संख्या ?

उपलब्धता – पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

श्रमिकवर्ग पैरावैट : संख्या ?

उपलब्धता – पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

- औषधालय :
- औषधि उपलब्धता सूची :
- क्या औषधि उपलब्धता सूची को मासिक रूप से पुनः नवीनीकृत किया जाता है ? :
- आइसोलेसन वार्ड/ आई. सी. यू. / बीमार पशु वार्ड :
- लिपिटिंग वैन / एम्बुलेंस की उपलब्धता :
- अन्य सुविधायें :

9.3 पशुओं हेतु चारा/भोजन का श्रोत एवं भण्डारण सुविधा :

- पशुओं हेतु चारागाह की सुविधा –
- सूखे चारे के श्रोत –
- परिसर में उपलब्ध चारा वृक्षों की संख्या ? औसत उत्पादकता ?
- गत वर्ष लगाये गये पेड़ों की संख्या ? औसत उत्पादकता
- चालू वर्ष में लगाये गये पेड़ों की संख्या ? औसत उत्पादकता ?
- परिसर में चारा घासों का रोपित क्षेत्रफल ? औसत उत्पादकता ?
- अन्य श्रोतों से उपलब्धता ?
- चाराचरी की उपलब्धता – संख्या –
- भूसा स्टोर कक्षों की व्यवस्था – संख्या एवं साइज –
- अन्य चारे हेतु स्टोर कक्षों की व्यवस्था – संख्या एवं साइज –
- चैप कटर की उपलब्धता – संख्या –

— चारा घासों का फसल चक्र —

9.4 अन्य संसाधन एवं अन्य सुविधायें :

- बिजली —
- बल्ब —
- ट्यूब लाइट —
- पंखे —
- ट्यूबवैल / बोरवैल / मोटराइज्ड पम्प —
- मोटराइज्ड चैपकटर —
- पेय जल श्रोत —

(कुआं / बोर वैल / हैंड पंप / प्राकृतिक श्रोत / नहर / नदी / पेय जल संयोजन)

— पेय जल संग्रहण की सुविधा :

ओवर हैड टैंक	— संख्या	क्षमता —
स्टोरेज टैंक (सीमेंट)	— संख्या	क्षमता —
स्टोरेज टैंक (प्लास्टिक)	— संख्या	क्षमता —
पानी पीने की नांद	— संख्या	

- नाली की व्यवस्था
- मूत्र संग्रह की व्यवस्था
- गोबर संग्रह की व्यवस्था
- चारा पिट्स की व्यवस्था
- स्वच्छता एवं सफाई की दशा :
- भोजन पकाने / तैयार करने हेतु बर्तन आदि की सुविधायें :

9.5 कार्यालय अभिलेखों का विवरण :

- कार्यालय पंजिकाओं के शीर्षक :
- कार्यालय फाइलों के शीर्षक :
- अन्य अभिलेख :

10 वर्तमान में आपकी संस्था में शरणागत पशुओं की संख्या ?

आवेदन पत्र के साथ संलग्नक प्रपत्र 1 में समस्त सूचनाएँ उल्लिखित करें।

रोगी पशु संख्या ?

निराश्रित अपंग पशु संख्या ?

निराश्रित अनुत्पादक / बृद्ध पशु संख्या ?

निराश्रित उत्पादक पशु संख्या ?

11 दुधारु पशुओं में ऑक्सीटोसिन एवं अन्य दवाओं के प्रयोग का विवरण :

12 क्या आपकी संस्था में गोबर गैस का सदुपयोग प्रारम्भ कर दिया गया है ? :

यदि हाँ तो कृपया प्रगति विवरण दें।

13 क्या आपकी संस्था में वर्मी कल्चर का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

14 क्या आपकी संस्था में गौ मूत्र विक्रय का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :

यदि हाँ तो कृपया प्रगति विवरण दें।

15 क्या आपकी संस्था में गौमूत्र शोधन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :

यदि हाँ तो कृपया प्रगति विवरण दें।

16 क्या आपकी संस्था में गौ मूत्र से अन्य उत्पाद तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :

यदि हॉ तो कृपया प्रगति विवरण दें।

- 17 क्या आपकी संस्था में पंचगव्य से विभिन्न उत्पाद तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हॉ तो कृपया प्रगति विवरण दें।
- 18 गत वर्षों में आपकी संस्था द्वारा बचाये गये पशुओं का विवरण :
समाचार पत्रों की पेपर कटिंग्स, / फोटो ग्राफ्स / वी. सी. डी. संलग्न कर प्रस्तुत करें।
- 19 संस्था में पशुओं को रखने की क्षमता
गो पशुओं हेतु
श्वानवंशीय पशुओं हेतु
अन्य पशुओं हेतु
- 20 संस्था में कर्मचारियों का विवरण
- 21 संस्था की किन-किन अभिलेखों की समीक्षा / जांच की गई ?
- 22 आवेदक संस्था द्वारा सुदृढीकरण हेतु अनुदान आवेदन किया गया है अथवा नवनिर्माण हेतु ?
- 23 पशु कल्याण कार्यों में आवेदक संस्था की क्षमता
बहुत अच्छी / अच्छी / संतोषजनक / सामान्य / बेकार / बिल्कुल बेकार
- 24 क्या संस्था को अनुदान दिये जाने की संस्तुति की जाती है ?
- 25 जांच अधिकारी की विशेष टिप्पणी / आख्या यदि कोई हो, तो संलग्न करें।

जांच पत्रांक / तिथि

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर :

जांच अधिकारी का नाम:

जांच अधिकारी का पदनाम:

जांच अधिकारी की मोहर :

26. जांच अधिकारी चिन्हित कर लें (✓) कि, क्या आवेदक संस्था द्वारा निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं ?
1. निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र
 2. विस्तृत प्रस्ताव एवं गौ सदन के निर्माण का औचित्य
 3. आवेदन पत्र के बिन्दु-5 के अनुरूप पंजीकरण प्रमाण पत्र के सत्यापित छायाप्रति
 4. संस्था का स्मृति पत्र की सत्यापित छायाप्रति
 5. संस्था की नियमावली की सत्यापित छायाप्रति
 6. साईट प्लान/ब्लू प्रिन्ट जो कि स्थानीय निकाय के द्वारा स्वीकृत हों।
 7. भूमि के अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति (भूमि की रजिस्ट्री अथवा लीज अथवा पंचनामा की सत्यापित छायाप्रति। भूमि कम से कम 30 वर्ष हेतु पट्टे पर ली गयी हो।)
 8. संस्था के नाम पर भूमि के पंजीकरण के रजिस्टर अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति।
 9. स्थानीय निकायों के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत गौ-सदन/पशु शरणालय बनाये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (सत्यापित छायाप्रति)।
 10. गौ-सदन/पशु शरणालय बनाये जाने हेतु धनराशि का मदवार आबंटन लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत दरों पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार किया जाए (मूल रूप में)।
 11. संस्था की अधिशासी समिति तथा सामान्य कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची (नाम, पता, दूरभाष संख्या)
 12. संस्था के गत वर्ष के आय-व्यय लेखा का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित निम्न अभिलेखों की छायाप्रति :-
 - आय-व्यय का लेखा (बैलेन्स शीट)
 - व्यय लेखा (एक्सपेंडिचर एकाउन्ट)
 - प्राप्ति भुगतान लेखा
 - सम्परीक्षण प्रतिवेदन
 13. आज तक पशु कल्याण हेतु किये गये कार्यों का विवरण तथा उन पर किये गये व्यय।
 14. गौ-सदन को भली-भाँति चलाने तथा पशुओं के रख-रखाव हेतु वित्तीय संसाधन।
 15. क्या आज तक संस्था को भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड से वित्तीय अनुदान प्राप्त हुआ है (यदि हाँ तो विवरण दें तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)
 16. औषधि/उपकरण क्रय हेतु रेट कोटेशन की छायाप्रति।
 17. क्या संस्था द्वारा स्थानीय निकाय में आवारा पशुओं को शरण दिये जाने के बावत सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया गया है (यदि हाँ तो कृपया अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)
 18. क्या आवेदक संस्था द्वारा अपने आवेदन में शरणागत पशुओं की संख्या के क्रम में 'आवेदन प्रपत्र संलग्नक-1' भली प्रकार कर प्रेषित कर दिया गया है ?
 19. क्या आवेदक संस्था द्वारा अपने आवेदन में कार्यरत कार्मिकों की संख्या के क्रम में 'आवेदन प्रपत्र संलग्नक-2' भली प्रकार कर प्रेषित कर दिया गया है ?
 20. क्या आवेदक संस्था द्वारा अपने आवेदन में कार्यरत कार्मिकों की संख्या के क्रम में 'आवेदन प्रपत्र संलग्नक-3' भली प्रकार कर प्रेषित कर दिया गया है ?